

**THE BOOK WAS
DRENCHED**

सयानी कन्यासे

लेखक
नरहरि परीख



नवजीवन प्रकाशन मंदिर
अहमदाबाद

UNIVERSAL
LIBRARY

OU_178345

UNIVERSAL
LIBRARY

हमारे हिन्दुस्तानी प्रकाशन

	कोमत
दिल्ली - डायरी	३-०-०
भीशु खिस्त	०-१४-०
भेक धर्मयुद्ध	०-८-०
गोसेवा	१-८-०
मरुकुंज	१-४-०
हमारी बा	२-०-०
रचनात्मक कार्यक्रम	०-६-०
हिन्द और ब्रिटेनका आर्थिक लेन-देन	०-८-०
जीवनका काव्य	२-०-०
राष्ट्रभाषा हिन्दुस्तानी	१-८-०
गांधीजी	०-१२-०
हिमालयकी यात्रा	२-०-०
आरोग्यकी कुंजी	०-१०-०
वर्णव्यवस्था	१-८-०
बापूकी झॉंकियाँ	१-०-०
महादेवभा.भीकी डायरी (पहला भाग)	५-०-०
प्रेमदन्ध - १	०-४-०
हिन्दुस्तानी बालपाठावलि	०-५-०
हिन्दुस्तानी पाठावलि (नागरी)	०-६-०
हिन्दुस्तानी पाठावलि (अुर्दू)	०-११-०
हिन्दुस्तानी कहानी-संप्रह (नागरी)	०-४-०
हिन्दुस्तानी कहानी-संप्रह (अुर्दू)	०-५-०
जीवन शोधन .	छपता है

नवजीवन प्रकाशन मन्दिर
अहमदाबाद

सयानी कन्यासे

लेखक

नरहरि परीख

अनुवादक

काशिनाथ त्रिवेदी



नवजीवन प्रकाशन मंदिर

अहमदाबाद

सर्वोदय साहित्य मन्दिर

हुसेनीअब्दुल रोड, हैदराबाद (दक्षिण).

मुद्रक और प्रकाशक
जीवणजी डायाभाभी देसायी
नवजीवन मुद्रणालय, काछपुर, अहमदाबाद

पहली बार : प्रति २,०००

दूसरी बार : प्रति ५,०००

प्रकाशककी ओरसे

अपने दायित्वको समझनेवाले अेक संस्कारी, प्रेमल और पवित्र पिताने अपनी पुत्रीके नाम और पुत्रीके साथ रहने तथा पढ़नेवाली और अपने साथ पुत्रीवत् सम्बन्ध रखनेवाली दूसरी कन्याओंके नाम ये पत्र लिखे हैं । अिन कन्याओंको जिस समय अिस महत्त्वपूर्ण विषयका ज्ञान देनेकी जरूरत थी, अुस समय लेखक जेलमें थे । अिसलिअे पत्रोंके सिवा दूसरे किसी तरीकेसे वे अुन्हें यह ज्ञान दे नहीं सकते थे । गुजरातीमें अिन पत्रोंकी पहली आशुत्तिका गुजरातकी जनताने अच्छा स्वागत किया है । दूसरी आशुत्तिके समय लेखकने अिनमें बहुत परिवर्तन किया है, और प्रायः सारी पुस्तक नये सिरेसे लिखी गयी है । आशा है, अिन परिवर्तनोंके कारण ये पत्र अधिक अुपयोगी सिद्ध होंगे । अिसके साथ श्री० महादेवभाअीने भी चार पत्र लिखकर भेजे हैं, जिनके कारण अिस पुस्तकका महत्त्व बहुत ही बढ़ गया है ।

लेखकने अपने पहले पत्रके आखिरी हिस्सेमें अपने हेतुका और अिस प्रकारकी चर्चाकी मर्यादाका विवेचन अितने सुन्दर ढंगसे किया है कि अुसपर और कुछ लिखना आवश्यक नहीं रह जाता । मैं अिस श्रद्धाके साथ यह पुस्तक जनताकी सेवामें अुपस्थित करता हूँ कि जिस शुद्ध भावसे लेखकने यह सब लिखा है, मातापिता अुसी शुद्धभावसे अिस पुस्तकको अपनी कन्याओंके हाथमें देंगे और कन्यायें अिसका अुचित अुपयोग करेंगी ।

गुजराती भाषामें अिसकी चौथी आशुत्ति निकल चुकी है । हिन्दुस्तानीमें यह दूसरी आशुत्ति पाठकोंकी सेवामें पेश की जा रही है । अिस आशुत्तिमें गांधीजीके दो नये पत्र दिये गये हैं । अेक तो अुन्होंने बालकोंको लिंग सम्बन्धी ज्ञान देनेकी जरूरतके सम्बन्धमें सलाह देते हुअे लिखा था । और दूसरा अिस पुस्तकको पढ़कर अुसकी टीकाके रूपमें लिखा था । दूसरे पत्रमें हमें विवाह प्रथाके सम्बन्धमें गांधीजीके अाजके

विचार जाननेको मिलते हैं । गांधीजीके अिन दो पत्रोंके अलावा अिसमें श्री काकासाहबके दो पत्र भी दिये गये हैं, जो अुन्होंने अिस पुस्तककी पूर्तिके रूपमें लिखे हैं । हमारे देशमें जो अेक साम्प्रदायिक गुत्थी पैदा हो गयी है, अुसे सुलझानेके अनेक तरीकोंमेंसे अेक अिन पत्रोंमें पाठकोंको मिलेगा ।

‘बापूके आजके विचार’से लेकर शेष हिस्सेका अनुवाद भाभी खुशालसिंहजीने किया है ।

सूची

प्रकाशककी ओरसे	३
--------------------------	---

खण्ड १

१. तादृष्यका अुदय	३
२. सजीव और निर्जीवका भेद	८
३. जनन-व्यापार (वनस्पति)	१२
४. जनन व्यापार (सूक्ष्म जन्तु, मछली आदि)	१८
५. जनन-व्यापार (भौरी, मधुमक्खी वगैरा)	२२
६. जनन-व्यापार (पक्षी)	२५
७. जनन-व्यापार (औँचलवाले प्राणी)	२७
८. जनन-व्यपार (मनुष्यजाति)	३०
९. रज्जोदर्शन	३८
१०. विवेक और संयम	४३

खण्ड २

१. विद्यार्थी अवस्था	५१
२. कुँवारोंसे	५७
३. विवाहकी शुचित वय	६४
४. साथीका चुनाव	७१
अुपसंहार	८४
महादेवकाकाके दो शब्द	८६
बापूजीकी सलाह	९६
बापूके आजके विचार	९९
काकासाहबके दो शब्द	१०९

सयानी कन्यासे

खण्ड १ .

तारुण्य का अुदय

लड़कियोंके लिये तेरहचौदह सालकी अुम्र और लड़कोंके लिये पन्द्रहसोलह सालकी अुम्र अेक अैसी अुम्र है, जव वे अपने अन्दर विलकुल ही नये विचारों और भावोंका अेक अजीबसा अनुभव करते हैं । अिन दिनों शरीर पहलेकी अपेक्षा कहीं अधिक गतिसे बढ़ता है और अुसमें बहुतसे परिवर्तन भी होते हैं । शरीरमें अेक तरहकी विजली-सी पैदा हो जाती है । हृदयमें मानो अेक नये ही डंगका जोश अुत्पन्न होता है, और नयेनये साहस और पराक्रम करनेकी आकांक्षायें जाग अुठती हैं । मन यह संकल्प करने लगता है कि जो काम आज बड़ेबूढ़ोंसे नहीं हो सकते, अुन्हें हम समय आनेपर और मौक़ा मिलनेपर ज़रूर कर डालेंगे । अिस अुम्रमें लड़कों और लड़कियोंमें वे सब काम करनेकी अुमंग पैदा होती है, जिनमें संकट सहने, जोश्विम अुठाने और निडर रहनेकी ज़रूरत पड़ती है, और जिन्हें करते हुअे बड़ेबूढ़े सोचमें पड़ जाते हैं । मसलन, आजकी हमारी अिस लड़ाअीमें बहुतरे बड़ेबूढ़े यही सोचने लगते हैं कि अगर वे सत्याग्रहमें शामिल हुअे, तो अुन्हें जेल जाना पड़ेगा, जायदाद गँवानी पड़ेगी, परिवारवालोंसे अलग होना पड़ेगा, वगैरा वगैरा । नौजवानोंको ये विचार नहीं आते । अिसीलिये अिस लड़ाअीमें बुजुर्गोंके मुक़ाबले नौजवान ही ज़यादा शामिल होने हैं । अिसी तरह समाज और जातपाँतके कुछ मूर्खतापूर्ण बन्धनोंको — जैसे, अिसके साथ खाया जा सकता है, और अुसके साथ नहीं खाया जा सकता; अिसे छू सकते हैं, अुसे नहीं छू सकते; यह अँच है, वह नीच है; आदि समाजमें प्रचलित अनेक झूठी धारणाओंको — तोड़फोड़ डालनेके लिये अुनका मन अधीर हो अुठता है । मनमें अुनके यह विचार भी अुठता है कि अिन धारणाओंको मिथ्या समझनेके बाद भी लोग क्यों नहीं अपने व्यवहारको बदलते ? किसलिये गुरुजन अिन्हें निवाडे

चले जाते हैं ? अपने तो जो सच मालूम होगा, वही कहेंगे और वैसा ही व्यवहार करेंगे — एक वार, दो टुक । देर कैसी ? मतलब यह कि जहाँ जहाँ कुछ नया करनेकी बात आती है, उसके लिये त्याग करने, बलि चढ़ाने, विरोध करने या लड़नेका मौका आता है, वहाँ वहाँ नौजवान ही हमेशा आगे बढ़ते हैं ।

तुम आज जिस अुम्रमें हो, अक्सर उसी अुम्रमें अिन सब विचारोंका अुदय होने लगता है । दुनियामें महान् बनकर जिन्होंने यश कमाया है, पराक्रम किये हैं, दुनियाकी सेवा की है, लोगोंको जीवनका सच्चा मार्ग दिखाया है, अुन्होंने अपने अिन महान् कार्योंके सपने अिसी छोटी अुम्रमें देखे हैं । हमारे सामने संसारके बड़ेसे बड़े पुरुष पूज्य गांधीजीका दृशान्त मौजूद ही है । ढेढ़ और भंगीसे नुछूनेकी परम्परा हमारे देशमें अधिक नहीं, तो तीन हजार बरस पुरानी तो है ही । अितने पुराने समयसे जो बुराअी चली आ रही है, अुसे अेक ही पीढ़ीमें मिटा देना कोअी मामूली बात नहीं है । फिर भी गांधीजीने अिसका बीड़ा अुठाया है, और अिसके लिये कअी बार अपने प्राणोंको भी संकटमें डाला है । ठेठ बचपनसे गांधीजी हिन्दुओंमें करने योग्य अिस सुधारके सपने देखा करते थे । कभी किसी ढेढ़भंगीसे छू जानेपर जब माताजी नहानेको कहतीं, तो ठेठ दस बरसकी अुम्रमें भी गांधीजीको यह चीज अखरती थी । अुस वक़्त अुन्होंने मन ही मन यह ठान लिया था कि बड़ेपनमें स्वतंत्र होनेपर वे खुद अिस अन्यायपूर्ण प्रथाका पालन नहीं करेंगे । असुइयतानिवारण सम्बन्धी गांधीजीका वर्तमान आन्दोलन अुनके अिसी संकल्पका परिणाम माना जा सकता है ।

बचपनसे ही गांधीजीके मनमें यह बात बैठ गअी थी कि हमें अपने देशको स्वतंत्र बनाना चाहिये, और अुसे स्वतंत्र बनानेके लिये हमें अंग्रेजोंकी तरह तन और मनसे हट्टेकट्टे बनना चाहिये । साथ ही अुनके दिमागमें यह खयाल पैदा हो गया था, या किसीने पैदा कर दिया था, कि ताक़तवर बननेके लिये मांस खाना ज़रूरी है । अिसलिये चौदह या पन्द्रह सालकी अुम्रमें अुन्होंने सशक्त बननेके विचारसे मांस खानेका प्रयोग शुरू किया था । लेकिन चूँकि मातापिता वैष्णव थे, मांस

लुकछिपकर ही खाय जा सकता था, और अुसके लिअे माताजीको धोखेमें रखना जरूरी था, अिसलिअे गांधीजीने यह प्रयोग छोड़ दिया । वैसे अुनका यह खयाल भी चलत तो था ही कि मांस खानेसे ही आदमी ताकतवर बन सकता है । यह मिसाल तो मैंने अिसीलिअे दी है कि तुम जान सको कि तुम्हारी अिस अुम्रमें तुम्हारे समान लोगोंको कैसे कैसे विचित्र साहस करनेके विचार आते हैं । गांधीजीमें सत्यका आग्रह भी ठेठ बचपनसे पाया जाता है, सो तो ' सच्चे मोहन ' वाली घटनासे तुम जानती ही हो ।

अन्याय, अत्याचार और असत्यके खिलाफ़ बालकों और नौजवानोंके हृदय बड़ोंके मुक्ताविले जल्दी अुबल पड़ते हैं । वे अक्सर सोचते हैं कि जब हम बड़े होंगे, तो आजकलके बुजुर्गोंकी तरह चुप नहीं बैठें रहेंगे, बल्कि सीधे सच्चे बनकर अन्याय और अत्याचारसे लड़ेंगे और सत्ययुगकी ही स्थापनाका प्रयत्न करेंगे । फिर, ज़्यादातर बुजुर्गोंमें परस्पर, मनुष्य मनुष्यके बीच, अमीरगरीब, अँचनीच, छोटेबड़े और अपनेपराये वरैराका जो भेद पाया जाता है, वह भी छोटे बालकोंमें नहीं होता, या बहुत ही कम होता है । अुनमें समानता और न्यायकी प्रबल आकांक्षा होती है । आजसे १६ साल पहले रूसमें ज़ार (रूसका बादशाह ज़ार कहलाता था) का राज्य था । अुसके जमानेमें सारे देशके अन्दर मज़दूरों और किसानोंके अुपर सरकारी अफ़सर और अमीरअुमराव बहुत अत्याचार करते थे । रूसकी अिस ज़ारशाहीको अुलटकर अुसकी जगह किसानों और मज़दूरोंका राज्य कायम करनेवाले लेनिनका नाम तुमने सुना होगा । लेनिनके बड़े भाओंको राजद्रोहके अपराधमें फाँसीकी सज़ा दी गयी थी । अुस वक़्त लेनिनकी अुम्र पन्द्रह या सोलह सालकी थी । लेनिनके जीवन पर अिस घटनाका बहुत गहरा असर हुआ । ज़ारके अन्यायों और अत्याचारोंसे अुसका दिल तिलमिला अुठा और अुसी समय अुसने संकल्प किया कि वह रूससे ज़ारशाहीको नष्ट कर देगा और अुसकी जगह अेक नयी, न्याय और समानतावाली समाजव्यवस्थाकी स्थापना करेगा । वह मानता था कि हरअेक मनुष्यको मज़दूरी करनी चाहिये, और अिस भावनापर कि मज़दूरी करनेवाले सब बराबर हैं, अेक नयी समाजव्यवस्था रची

जानी चाहिये । अपने इस संकल्पके कारण ही खुसने रूसमें विप्लव फरवाया, और अपने नेतृत्वमें वहाँ आजके मज़दूर राज्यकी स्थापना की ।

कुछ बालक धनवान, कीर्तिमान और सत्तावान बननेके सपने भी देखते हैं । लेकिन उनके इन सपनोंमें भी एक तरहकी अदासता और कुलीनता तो होती ही है । धनवान बननेका विचार करनेके साथ ही बालक यह भी सोचते हैं कि वे आजकलके धनवानोंकी तरह अनुदार और स्वार्थी नहीं, बल्कि अुदार और परोपकारी धनिक बनेंगे । सत्ताधारी बननेकी महत्वाकांक्षाके साथ उनकी दूसरी महत्वाकांक्षा यह भी होती है कि वे उस सत्ताका उपयोग अच्छे कामोंमें करेंगे । हायकि अिम खयालमें भी एक दोष तो है ही, और वह यह कि धन और सत्ताके ज़रिये सेवा करना बहुत कठिन है : असंभव है । गरीबोंकी सेवाके लिये स्वेच्छापूर्वक गरीबीका अपनाना ज़रूरी है ।

अन्यायका विरोध करने, आत्मबलिदान करने, अुदार बनने, त्याग करने, बड़ेबड़े सुधार करने, खूब नाम कमाने, और सेवा आदिके विचार तो सभी बालकोंके मनमें अुठते हैं, लेकिन अितने ही से सभी बालक महापुरुष नहीं बन जाते । बहुतेरे बालक तो बड़े होकर दुनियादारीकी झंझटोंमें इस बुरी तरह फँस जाते हैं कि बचपनके सारे सपने धरे रहे जाते हैं, और बड़ोंकी तरह वे भी पुरानी लीकपर चल्ने लगते हैं । अिमकी खास वजह तो यह होती है कि बचपनके सपनोंको सच साबित करनेके लिये जिस सुरुचि, अोग्यता, कुशलता, परिश्रम, धैर्य और साहसकी ज़रूरत होती है, उसे वे अपने अन्दर बढ़ा नहीं पाते । बचपन और जवानीका समय जहाँ बड़ेबड़े सपने देखनेका है, तहाँ उन सपनोंको सच बनानेकी ताकत कमानेका भी है । जो अपने सपनों और आकांक्षाओंको बराबर ध्यानमें रखकर अपनी शक्तियोंका विकास करनेमें लगे रहते हैं, वे ही सप्तरमें महान् स्त्रीपुरुषके रूपमें मशहूर होते हैं । तुम्हारी यह अुम्र अैसी ही तैयारीकी अुम्र है ।

तैयारीके इस कालमें शरीरको सुदृढ़, सुगठित, कष्टसहिष्णु और लोहेकी तरह मज़बूत बनाना चाहिये । बुद्धिका विकास भी अितना कर लेना चाहिये कि जिससे वह सब बातोंको भलीभाँति सोच और समझ

सके । साथ ही मनोबल और चरित्रबल भी अितना बढ़ाना चाहिअे कि जिमसे सत्य और न्यायपर दृढ़ रहनेकी शक्ति प्राप्त होती रहे । शरीरके विकासके लिअे व्यायाम, बुदिके विकासके लिअे अुद्योग और अक्षरज्ञान, तथा चरित्रके विकास और अुसकी दृढ़ताके लिअे सदाचारी और चरित्र-शील मनुष्योंका सहवास आवश्यक है ।

साहस और पराक्रमके बड़ेबड़े काम करनेकी अिच्छाके साथ ही अिस अुम्रमें लड़कों और लड़कियोंके अन्दर अेक दूसरी अिच्छा या वासनाका भी अुदय होता है । महज्ज अेक झूठी शरमके कारण ही घरके बड़ेबड़े बालकोंके साथ कभी अिस सम्बन्धकी बातचीत नहीं करते । अिससे बालकोंको अक्सर बड़ी परेशानी और हानि अुठानी पढ़ती है । अिन पत्रोंमें मैं तुम्हें अिसी विषयपर कुछ लिखा चाहता हूँ ।

x

x

x

जैसे जैसे तुम मेरे अिन पत्रोंको पढ़ोगी, तुम्हें विश्वास होता जायगा कि यह सारा जान आवश्यक ही है । बचपनमें हम तुम्हें दातुन करना, नाककान साफ़ रखना, चबाचबाकर खाना और अच्छी तरह नहाना सिखाते थे । ये सब काम जितने आवश्यक हैं अुतना ही आवश्यक और महत्त्वपूर्ण मेरे अिन पत्रोंका विषय भी है । अिस विषयमें झूठी शरम रखनेकी कोअी वजह नहीं मालूम होती । जो शरीर अीश्वरने हमें दिया है, अुसकी ठीक ठीक सारसँभालके अुपाय जाननेमें शरम कैसी ! अिस विषयके अज्ञानके कारण अनेक कन्यायें कुटेवोंमें फँस जाती हैं । जिस् समय अिस सारे ज्ञानकी आवश्यकताका अनुभव होने लगता है, अुस समय कन्यायें अिस विषयमें मातापिताओंसे कुछ पूछनेकी हिम्मत नहीं कर पातीं । अिस विषयको गन्दा समझकर घरमें कोअी अिसकी चर्चा भी नहीं करता । नतीजा यह होता है कि जवान लड़कियाँ परस्पर मज़ाक ही मज़ाकमें अनेक तरहकी बातें करती हैं, अधपके ज्ञानका आदान-प्रदान करती हैं, और अभी कभी दुष्ट प्रकृतिवाले लोग अुन्हें ये सारी बातें समझानेका ढोंग करके अुनके दिमागमें चाहे जैसी कल्पनायें ठूस देते हैं ।

अिसका अुत्तम अुपाय यही है कि कन्यायें अिस विषयका आवश्यक ज्ञान अपने मातापितासे अथवा मातापिताके समान ही प्रौढ़ और पूज्य

गुरुजनोंसे प्राप्त कर लें। कुछ पृष्ठनेकी ज़रूरत मालूम पड़े, तो सुन्हींसे बिना किसी संकोचके पृष्ठें। मुँहसे न पृष्ठ सकें, तो पत्र लिखकर पृष्ठें। कोअी बात गले न अतरे, मनमें शंका रह जाय, तो उसे छिपाकर न रखें।

अगर तुम सब मिलकर मेरे अिन पत्रोंको पढ़ो, तो मैं खुसमें कोअी बुराअी नहीं देखता। यह सोचना ही गलत है कि अिसमें किसी प्रकारकी गन्दगी या शरम है। हाँ, जिस आदमीकी शुद्धता और पवित्रताके बारेमें शंका हो, उस आदमीके साथ जैसे प्रश्नोंकी चर्चा न करनी चाहिये। चर्चाके आनन्दके लिये भी चर्चा करना ठीक नहीं। जब सचमुच ही दिलमें अिस सम्बन्धकी शंका अुठे, मन परेशान रहने लगे, कुछ विशेष जाननेकी अिच्छा हो, गंभीर भावसे पिताके साथ अथवा अपने किसी श्रेष्ठ व्यक्तिके साथ अिसकी चर्चाकी जा सकती है। जैसे अिस विषयका अज्ञान हानिकारक है, वैसे ही अिस विषयकी चर्चा या विचारमें रमें रहना भी हानिकारक है।

२

सजीव और निर्जीवका भेद

पिछले पत्रमें मैंने लिखा था कि अेक खास अुम्रमें लड़कों और लड़कियोंके अन्दर साहस और पराक्रमकी अिच्छाके साथ दूसरी अेक अिच्छा या वासना भी अुत्पन्न होती है। यह वासना युवतीके तअि युवकके और युवकके तअि युवतीके आकर्षण या खिंचावकी वासना है। प्राणिमात्रमें — वनस्पति जगतमें भी — नर और मादाका भेद मौजूद है, और प्रकृति या कुदरतने अिन दोनोंके बीच ज़बर्दस्त आकर्षण रख छोड़ा है। यह आकर्षण प्रकृतिका अेक महान् बल है। प्रकृतिके अिस बलसे प्रेरित होकर नर और मादा अेकदूसरेके संपर्कमें आते हैं और अिस संपर्कके कारण नअी सन्ततिका, यानी बच्चों या बालकोंका जन्म होता है। प्रत्येक प्राणी अेक खास अुम्रमें पहुँचनेके बाद ही अिस तरहका संपर्क

स्थापित करनेके लायक बनता है। इस अुम्रको युवावस्था, जवानी या तारुण्य कहा जाता है। इस अवस्थामें प्राणियोंके शरीरमें कभी तरहके हेरफेर होते हैं। लड़कों और लड़कियोंके शरीरमें इस समय जो परिवर्तन होते हैं, उनका ठीक ठीक ज्ञान उन्हें न होनेसे वे मन ही मन परेशान रहने लगते हैं। यदि वे इस परिवर्तनके कारणों और महत्त्वको नहीं समझते हैं, तो इस समय शरीरकी जैसी डिफ़ाजत करनी चाहिये और मनको जैसा मोड़ना चाहिये, वैसा वे मोड़ नहीं पाते। यदि तुम इस चीज़को ठीकसे समझ लो तो तुम्हें ऐसी किसी परेशानीका सामना न करना पड़े।

मैं ऊपर कह चुका हूँ कि वनस्पतिमें भी नर और मादाके दो भेद होते हैं। यही क्यों, शायद तुम्हें यह जानकर ताज्जुब होगा कि वनस्पति जगत्के पेड़, पौधों और लताओं वगैरह में भी प्राण होते हैं। यहाँ यह समझ लेनेकी ज़रूरत है कि कौन चीज़ जानदार या सजीव और कौन बेजान या निर्जीव है।

जब हम गेहूँ या दूसरा कोसी अनाज बोते हैं, तो वह पौधेके रूपमें अुगता है और उसमेंसे बोये हुअे अेक बीचके अनेक बीज अुत्पन्न होते हैं। आमकी गुठली बोने पर अुसमेंसे आमका पेड़ खड़ा होता है और अुसमें अभिया या आम लगते हैं। हरअेक आमके अन्दर अेक अेक गुठली होती है, जिस बोनेपर आमका नया पेड़ खड़ा हो सकता है। हमारी पाली हुअी गायोंके बछड़े और बछियायें होती हैं। किन्तु यदि हम लकड़ीका टुकड़ा या पत्थर बोयें अथवा अुसे रख छोड़ें तो अुसमेंसे नया कुछ अुगता या बनता नहीं। घरमें बरतनभाँडे या मेजकुर्सी वगैरहको असें तक रख छोड़ने पर भी अुनमेंसे दूसरे बरतन या दूसरा फर्नीचर पैदा नहीं होता। अनाज या फल सड़ जाता है, गाय बूढ़ी होकर मर जाती है, लेकिन बरतन या घरका दूसरा सामान इस तरह मरता नहीं। यह दूसरी बात है कि बरसोंके अुपयोगसे वे घिस जाते हैं, टूटफूट जाते हैं, या जंग चढ़नेसे निकम्मे हो जाते हैं, लेकिन मरते नहीं। ठीकसे सँभालकर रखनेपर वे असें तक बने रहते हैं। अिनमें पहली चीज़ोंको सजीव या चेतन और दूसरीको निर्जीव या जड़ कहा

जाता है । संसारके सभी पदार्थोंके निर्जीव और सजीव ये दो भेद किये जा सकते हैं ।

पत्थर, मिट्टी, लोहा, सोना आदि निर्जीव वस्तुयें हैं । बेजान चीजोंके अलग अलग कामोंके लिये हाथ, पैर, कान, नाक आदि अन्द्रियाँ नहीं होतीं । अन्हें भ्रूव भी नहीं लगती । वे अपने आप बढ़ती या बढ़ी नहीं होतीं । जब हम अन्हें दूसरी चीजोंको शामिल करने हैं, तभी वे बढ़ती हैं । अनाजके पौधेसे जिस तरह अनाज पैदा होता है, फलवाले पेड़पर फल लगने हैं, और गायके बछड़े या बछियायें होनी हैं, अुस तरह ये पदार्थ अपनी जातिके दूसरे पदार्थोंको जन्म नहीं देते, और न बड़े होकर मर ही जाते हैं ।

सजीवका विशिष्ट लक्षण यह है कि वह पोषण पाकर बढ़ सकता है, अपनी जातिके दूसरे जीवोंको जन्म दे सकता है, और समय पाकर मर जाता है ।

हर साल ढेरों घासपात और भौंति भौंतिके फूल पौधे पैदा होते, मुरझाते और नष्ट हो जाते हैं । फिर भी अुनकी जाति हमेशाके लिये नष्ट नहीं होती । क्योंकि वे अपनी ही जातिके दूसरे घासपात और फूलपौधोंको जन्म देनेके लिये अपने बीज पीछे छोड़ जाते हैं । फलवाले पेड़ हमें जो फल देने हैं, अुन फलों ही में अुनके बीज भी रहते हैं, जिनको बानेसे पहलेका-सा फलका झाड़ फिर अुग आता है ।

प्रत्येक जीवमें अपनी जातिके दूसरे जीवको जन्म देनेकी जो शक्ति मौजूद है, वह जननशक्ति (सं० जन्=जन्म देना) कहलाती है । यदि जीवोंमें यह शक्ति न हो तो कुछ ही वर्षोंमें पृथ्वीतलकी समूची जीवसृष्टिका अन्त हो जाय । यानी घासपात अेक बार सूखकर फिर न अुने, फलोंवाले पौधोंके अेक बार मर जाने पर दुबारा वैसे फूल न लगें, फलोंवाले पेड़ोंके सूखकर या बड़े होकर मर जानेपर हमें दुबारा फल न मिलें । और, फिर आदमी तो पैदा हों ही क्यों ? अिस वज्रत दुनियामें मनुष्यको मिलाकर जितने प्राणी कुत्ते, बिल्ली, बन्दर, चिड़िया, तोता, कौआ, कबूतर, गाय, घोड़े वगैरह हैं, अुन सबके मरनेपर समूची सजीव सृष्टिका अन्त ही हो

जाय । असलिये इस जीवसृष्टिके क्रमको बनाये रखनेकी गरजसे कुदरतने ऐसा बन्दोबस्त किया है कि जितने सजीव मरते हैं, उनसे कहीं ज्यादा पैदा होते हैं । यही वजह है कि दुनियामें प्रकृति और प्राणी परस्पर एक दूसरेका अितना संहार करते हैं, तो भी प्रायः प्रत्येक जीवकी बस्ती पृथ्वीपर बढ़ती ही जाती है ।

असमें खास ध्यान देनेकी और महत्त्वकी बात तो यह है कि हर जीव अपनी जातिके जीवको ही जन्म देता है । आमकी गुठली बोनो पर आम ही अुगता है, नीमकी निबोरी बोनोसे नीम ही पैदा होता है, और अिमलीका चीरों बोनोसे अिमली ही अुगती है । खेतमें जुवार, बाजरी या गेहूँ, जो भी बोया जाता है, वही अुगता है । घासका बीज बोकर हम अच्छे धानकी आशा नहीं रख सकते; अिमलीका चीरों बोकर आमकी अुम्मीद नहीं कर सकते । अिसी तरह कुतियाके कुत्ते, बिल्लीके बिल्लाव, बैदगियाके बन्दर और मनुष्यके मनुष्य ही होते हैं । अगर ऐसा न हो, तो दुनियामें बड़ी गड़बड़ मच जाय ।

अेक जीवसे दूसरे जीवका जन्म होनेपर अुसे जनन अथवा कभी कभी प्रजनन भी कहते हैं, और जन्मकी अिस क्रिया या व्यापारको जनन-क्रिया या जनन-व्यापार कहते हैं । यह क्रिया प्राणियोंके शरीरमें बहुत ही गूढ़ और अद्भुत रीतिसे होती है । अिसका अभ्यास बहुत ही रसिक और बोधप्रद होता है । अिसीसे हमें यह भी मालूम होता है कि हमारा अपना जन्म किस तरह हुआ था और क्यों व कैसे हमें अपने शरीरकी सारसँभाल रखकर अुसे स्वस्थ और सुदृढ़ बनाये रखना चाहिये ।


जननव्यापार (वनस्पति)

पहले हम वनस्पतिके जननव्यापारका विचार करेंगे । वनस्पति यह व्यापार अपने फूलों द्वारा करती है ।

यह जाननेके लिये कि फूलों द्वारा वनस्पतिमें जननक्रिया किस तरह होती है, हमें किसी अच्छे ग्विले हुआ फूलके अन्दरकी सारी बनावटकी जाँच करनी चाहिये । धतूरे और लिलि नामके फूलोंमें यह रचना बहुत ही स्पष्ट रीतिसे देखी जा सकती है । आगे अिन फूलोंकी जो आकृति दी है, (देग्विये आकृति १-२) उसमें फूलको ठीक बीचसे काटकर खुसका एक हिस्सा अिस तरह दिखाया गया है कि जिससे फूलके अन्दरकी समूची रचना भलीभाँति समझी जा सके ।


फूलके विलकुल निचले हिस्सेमें एक गोल आकारका बीजकोष (क) है । यह बीजकोष बहुत ही बारीक रजकणोंसे भरा होता है । अिस बीजाशयसे एक पोली नली या डण्डी (ख) निकली हुअी है, जो ठेठ फूलके सिरे तक पहुँचकर फूलसे कुछ बाहर निकल आअी है । अिस नलीके सिरेपर एक गुच्छ-सा (ग) है । अिस समूची नलीको जिसके एक सिरेपर गुच्छ और दूसरे सिरेपर आदिबीजोंवाला बीजाशय है, स्त्रीकेसर कहा जाता है । आदिबीजको सुत्पन्न करना और खुन्हे सुरक्षित रखना ही बीजाशयका काम है । अिस स्त्रीकेसरकी बगलमें उससे सहज पतली कुछ दूसरी नलियाँ होती हैं । अिन नलियोंके सिगोंपर छोटी छोटी गँठे (घ) होती हैं । ये गँठे अतिशय सूक्ष्म रजकणोंकी होती हैं, जो पराग कहलाती हैं । गँठोंको परागकोष कहा जाता है । परागकोषवाली समूची नली पुँकेसर कहलाती है । जब स्त्रीकेसरके बीजाशयवाले आदिबीज परिपक्व होते हैं, तब उसके सिरेपर पाया जानेवाला गुच्छभाग, जिसे हम स्त्रीकेसरका मुख कहेंगे, स्त्रीकेसरकी नलीके अन्दरसे निकलनेवाले एक तरहके रससे चिकना बन जाता है । पुँकेसरके परागकोषका पराग जब पुरी तरह पक जाता है, तो वह कोष

फट जाता है, और परागरज अलग होकर बिखरने-सी लगती है । यह परागरज अितनी महीन होती है कि हवाके अेक हलके झोंकेसे भी यह झड़ पड़ती है और हवाके साथ खुद जाती है । जब यह परागरज खुदती खुदती किसी परिपक्व स्त्रीकेसरके मुँहके पास पहुँचती है, तो वहाँ वह उसके चिकने भाग पर चिपक जाती है, और फिर वहाँसे स्त्रीकेसरकी



धतूरेका फूल

नलीकी राह ठेठ बीजाशयमें पहुँचकर बीजाशयवाले आदिवीजके साथ मिल जाती है । बीजाशयके ये आदिवीज वनस्पतिका मादातत्त्व हैं, और परागकोषका पराग नरतत्त्व है । परागके साथ आदिवीजके संयोगकी अस क्रियाको आदिवीजके फलित होनेकी क्रिया कहते हैं । अस प्रकार फलित होनेपर आदिवीज धीमेधीमे बढ़ने लगते हैं, और वही पक जानेपर बीज कहलाते हैं । अस बीजमें मूल वनस्पतिके समान ही नअी वनस्पतिके जन्म देनेकी शक्ति आ जाती है । यदि हम बीजको उसके अनुकूल जमीनमें बायेंगे तो वह जिस वनस्पतिका बीज होगा, उसमेसे वैसी ही नअी वनस्पति पैदा होगी ।



पेड़ों, पौधों और लताओंको अुनकी पुखत अुप्रमें फूल लगाने शुरू होते हैं । अगर फूल कच्ची अुप्रमें लगाने लगें, तो अुनमेंसे अच्छे बीज पैदा न हों, और पेड़ पौधे या लतायें कमजोर भी पड़ जायें । इसलिये जब किसी समय किसी पेड़ या पौधेको वक्रतसे पहले फूल लगाने लगते हैं, तो समझदार माली या किसान उन्हें तोड़ डालते हैं ।

नये बीजोंको जन्म देना फूलोंका खास काम है । कुछ पेड़ोंके फूल बौर या मौर कहलाते हैं । जैसे, आम या नीमके बौर । लेकिन ध्यान रहे कि ये भी फूल ही हैं । जब अन्दरसे बीज पक जाता है, तो फूल मुरझा जाता है । ग्विले हुअे फूलोंको हम अपने शौकके लिये तोड़ते तो हैं, लेकिन हमें अुस वक्रत यह खयाल नहीं रहता कि अैसा करके हम वनस्पतिकी वंशवृद्धिके अतिशय महत्त्वपूर्ण काममें रुकावट डालते हैं ।

जब फले हुअे आदिवीज पकने लगते हैं, तो अुनके साथ अुनके आसपासका आवरण अर्थात् बीजाशय बढ़ने लगता है । कभी पेड़ों या पौधोंके बीजाशय बढ़कर गूदेवाले बन जाते हैं, और अुनसे अनेक बीजों-वाला अेक सुन्दर खाने लायक फल तैयार हो जाता है (जैसे, अंगूर, अंजीर, अमरुद, सेव) । कुछ फलोंके अन्दर अेक ही बीज होता है । अिसे हम गुठली कहते हैं, और अिसके आसपासका बीजाशय गूदेवाले फलका रूप धारण करता है (जैसे, जामुन, बेर) । आम भी अैसा ही अेक फल है । कुछ में अेक ही बीज होता है और वही खाया जाता है (जैसे बादाम, पिस्ता, अखरोट) । अिनके अूपरका छिलका लकड़ीकी तरह कड़ा होता है । कुछ अैसे भी होते हैं, जिनमें अिस कड़े छिलकेके अिर्दगिर्द खाद्य फल तैयार होता है (जैसे, जरदाळू) । कुछ में बीजाशय फली या लीमीका रूप धारण करता है । अुसमें बीजोंकी कतार होती है (जैसे, मटर, सेम) । अिस प्रकार फूलोंके अन्दरके बीज और बीजाशय पकते पकते और बढ़ते बढ़ते जो रूप धारण करते हैं, अुनकी विविधताका कोअी अन्त नहीं । लेकिन अेक बात सभी वनस्पतिमें आमतौर से पाअी जाती है, और वह यह कि बीजके आसपासका पदार्थ अर्थात् बीजाशय और बीज स्वयं, फिर वह खाने लायक हो या न हो, अुस वनस्पतिका बीज है और वह फूलोंमें पाये जानेवाले नरतत्त्व और मादातत्त्वकी संयुक्त

जननशक्तिका परिणाम है । उसीके ज़रिये वनस्पतिकी वंशवृद्धि होती रहती है ।

निरीक्षणके लिये हमने जो फूल चुना है, उस अंक ही फूलमें स्त्री-केसर अर्थात् मादाकी जननेन्द्रिय और पुंकेसर अर्थात् नरकी जननेन्द्रिय, दोनों, हैं । लेकिन सब फूलोंमें ऐसा नहीं होता । कुछ वनस्पतिमें स्त्री-केसर और पुंकेसरवाले फूल अर्थात् स्त्रीपुष्प और नरपुष्प अलग अलग होते हैं । ये फूल या तो वनस्पतिकी अंक ही डालपर अलग अलग होते हैं, या अलग अलग डालियोंपर भी होते हैं । कुछ वनस्पति तो औसी भी है, जिसके स्त्रीपुष्प और नरपुष्प बिलकुल अलग अलग पेड़ों पर ही लगते हैं । पपीतेकी जातमें औसा ही होता है । नरपुष्पवाले पपीतेको नर पपीता कहते हैं और स्त्रीपुष्पवालेको मादा पपीता कहते हैं । नर पपीतेमें फल नहीं लगते; लेकिन मादा पपीतेके फूलगत बीजोंका फलित करनेके लिये उसकी ज़रूरत रहती है ।

यहाँ यह याद रखनेकी ज़रूरत है कि किसी भी फूलके स्त्रीकेसरके बीजके साथ उसी फूलके पुंकेसरकी परागरजका संयोग प्रायः होता नहीं । आमतौर पर अंक ही फूलके पुंकेसर और स्त्रीकेसर अंक साथ परिपक्व भी नहीं होते । और कभी फूलोंमें तो पुंकेसरकी रचना और उसका स्थान ही कुछ औसा होता है कि उन पर पायी जानेवाली परागरज अपने फूलके स्त्रीकेसरके मूल तक पहुँच नहीं सकती ।

हम यह देख चुके हैं कि हवा परागको स्त्रीकेसरके मुँह तक ले जानेका काम करती है । लेकिन कुदरतने इस कामके लिये अकेली हवाका ही सहारा नहीं लिया । प्रायः सभी फूलोंके अन्दर अंक प्रकारका मीठा रस — शहद — रहता है । तितलियों, मधुमक्खियों वगैराकी वह अंक खुराक है, और वे उससे आकर्षित होती हैं । भौरे, तितलियाँ और मधुमक्खियाँ खिले हुए फूलोंपर बैठकर बुनका रस चूस लेती हैं, और कभी कभी रस चूसनेके लिये वे फूलोंके अन्दर भी पैठती हैं । उनके पंखोंकी फड़फड़ाहटसे पुंकेसरकी परागरज बिखरती और उनके शरीरसे चिपक जाती है । कभी कभी उनके पैरोंमें भी चिपकती है । मधुमक्खियाँ तो अपने छोटे बच्चोंकी खुराकके लिये इस परागरजको

अपने पिछले पैरोंकी दोनों जाँघोंपर जो टोकरीनुमा जगह बनी रहती है, उसमें भर लेती हैं । जब ये जन्तु अड़कर दूसरे फूलपर बैठते हैं, तब अगर उस फूलका स्त्रीकेसर परिपक्व हुआ, तो उनके शरीरपर चिपकी हुयी परागरज उस स्त्रीकेसरके मुखसे चिपक जाती है, और उसकी नलीकी राह बीजाशय तक पहुँचकर अन्दरके आदिबीजोंको फलित करती है । तितलियाँ, मधुमक्खियाँ, भौंरे वगैरा फूलोंके आसपास अड़ते और गुनगुनाते तो फूलोंके रसके लिये ही हैं, लेकिन अपने स्वाधुके साथ साथ वे उन्हें मधुर रस देनेवाले फूलोंका अितना मित्रकार्य भी कर देते हैं ।

अगर तुम किसी फूल-फलवाले बगीचेमें या साग-सब्जीवाली बाड़ीमें जाकर फूलोंका निरीक्षण करोगी, तो तुम्हें कभी तहके फूलोंमें बीचोबीच स्त्रीकेसर और आसपास पाँच-छः या उससे भी अधिक पुंकेसरकी रचना दिखायी देगी । स्त्रीकेसरकी नली पुंकेसरकी नलीके मुकाबले हमेशा मोटी होती है, और वह नीचेके बीजाशयवाले भागके आसपास ज्यादा चौड़ी होती है । जो वनस्पति बीज बोनेपर अुगती है, उसमें स्त्रीकेसर और पुंकेसरकी यह बनावट साफ़ तौरसे पायी जाती है । लेकिन जो पेड़ या पौधे कलम करनेसे अुगते हैं, उनके फूलोंमें, मसलन, बगीचोंमें पाये जानेवाले मोगरे या गुलाबमें, स्त्रीकेसर और पुंकेसरकी यह रचना अितनी सफ़ाओंके साथ पायी नहीं जाती । वनस्पति-जीवनका विशेष गहराओंके साथ अध्ययन करनेवालेको उसके जनन-व्यापारके अितने विविध और अद्भुत प्रकार नज़र आते हैं कि उसे सानंद आश्चर्य होता है और उसमें उसकी दिलचस्पी बढ़ जाती है । इस संक्षिप्त वर्णनसे भी तुम देख सकोगी कि प्राणी-जीवनके साथ वनस्पति-जीवनका कितना साम्य है ।

जनन-व्यापार (सूक्ष्म जन्तु, मछली आदि)

वनस्पतिसे सहज सूँचे प्रकारकी जीवनसृष्टिमें सूक्ष्म जन्तुओं, कीड़ों, अिह्रों, वपैराकी गिनती हांती है । कभी तरहके सूक्ष्म जन्तुओंमें यह पाया जाता है कि अेक खास क़द तक पहुँचनेके बाद वे फट जाते हैं, अुनके दो हिस्से हो जाते हैं, और ये दोनों हिस्से स्वतंत्र जन्तु बन जाते हैं । जब ये दो जन्तु काफी बड़े हो लेते हैं, तो फटकर फिर बँट जाते हैं । अिस प्रकार अेकके दो, दोके चार, यों अिनकी तादाद बढ़ती ही जाती है । फिर अिन जन्तुओंको बढ़नेमें और फटकर दो हांनेमें बहुत देर भी नहीं लगती । अिसलिये देखते-देखते अिन जन्तुओंकी संख्या बहुत बढ़ जाती है ।

कुछ कीड़े अैसे भी होते हैं, जिनके शरीरका कोअी भाग अचानक टूट जाय, या काट डाला जाय, तो वह टूटा या कटा हुआ भाग मर नहीं जाता, बल्कि बढ़ने लगता है, और धीरेधीरे खुद नये कीड़ेके रूपमें बदल जाता है ।

कुछ जीवोंमें अिस तरह अेकके दो हिस्से तो नहीं होते, परन्तु अुनके शरीरपर छोटे-छोटे चिह्न दीखने लगते हैं । ये चिह्न घुअियों या आलूकी गाँठोंपर पाअी जानेवाली आँखोंकी तरह होने हैं, अिसलिये हम अिनको भी आँख कह सकते हैं । बड़े होनेपर अिन जीवोंके शरीरपर अैसी जितनी आँखें होती हैं, वे सब जीवके मू शरीरसे अलग हो जाती हैं, और अेक स्वतंत्र जीवकी तरह अपना जीवन शुरू कर देती हैं ।

समुद्रके अन्दर पत्थरों या चट्टानोंपर अक्सर अमुक तरहके जीव चिपके हुअे पाये जाते हैं । अुनके शरीरपर भी अैसी ही आँखें निकलती हैं, और वे शरीरसे अलग होकर अपना नया जीवन शुरू करती हैं । अिसी समय असल जीव मर जाता है । लेकिन अुस मरे हुअे जीवका शरीर पत्थरसे चिपका ही रहता है । और नये जीव अुसके शरीरसे चिपके रहकर ही अपना जीवन शुरू करते हैं । अिस प्रकार अिन जीवोंका

जनन-व्यापार लगातार चलता रहता है, जिससे अेक ही जगह कभी कभी पीढ़ियोंके अवशेष अेकत्र होते रहते हैं । समुद्रमें पाये जानेवाले प्रवाल और समुद्रसोख अिभी जातिके जीव हैं । समुद्रके अन्दर प्रवालके जो बड़े बड़े द्वीप बन जाते हैं, वे अैसे ही अनगिनत जीवोंके मुर्दा शरीरसे बनते हैं । लेकिन अिस तरहकी जनन-क्रिया तो अुन्हीं जीवोंमें पायी जाती है, जिनका ठीक ठीक विकास नहीं हुआ होता । अिन जीवोंमें मूलतः अेक ही तरहके जीवके शरीरसे दूसरे नये जीव अुत्पन्न होते हैं । दूसरे, अिनमें जनन-व्यापारका खास काम करनेवाला अवयव, जो लिंग कहलाता है, वह भी नहीं होता ।

खास तौरसे विकसित जीवोंमें — वनस्पतिमें और अन्य प्राणियोंमें — नर और मादा नामके दो अलग अलग जीव होते हैं । अिन दोनोंके शरीरकी बनावट कुछ कुछ मिलती हुयी और कुछ भिन्न होती है । दोनोंके शरीरमें नये जीवको जन्म देनेवाले तत्त्व या बीज मौजूद रहते हैं । अिन दो तत्त्वोंका संयोग होनेपर, जैसा कि हम वनस्पतिके जनन-व्यापारवाले पत्रमें देख चुके हैं, मादाके शरीरगत बीजके साथ नरके शरीरगत बीजके मिलनेपर, अुसमेंसे अुन्नी जातिका नया बीज अुत्पन्न होता है । हम फूलोंकी बाबत यह देख चुके हैं कि ष्यादातर फूलोंमें अेक ही फूलके अन्दर नर और मादा, दोनों तत्त्व होते हैं । कुछ निचली श्रेणीके प्राणियोंमें भी नर और मादाके ये दोनों तत्त्व अेक ही शरीरमें पाये जाते हैं । 'कालू' मछली अैसा ही अेक प्राणी है । अुसके शरीरमें फूलके स्त्रीकेसरवाले बीजाशयकी जगह जो अवयव होता है, अुसमें बहुत ही सूक्ष्म अण्डे अुत्पन्न होते हैं । अुसके अेक दूसरे अवयवमें अेक प्रकारका चिकना प्रवाही पदार्थ अिक्रम होता रहता है । अुस पदार्थमें अुन अण्डोंसे भी अधिक सूक्ष्म जन्तु पाये जाते हैं । अुक्त चिकने प्रवाही पदार्थको वीर्य कहते हैं, और अुसमें रहनेवाले जन्तु वीर्यजन्तु कहलाते हैं । यह 'कालू' मछली कड़ी सीपके अन्दर रहती है । अुसका अण्डा अुसके अपने शरीरमें पाये जानेवाले वीर्यजन्तुसे फलित होनेके बाद ही सीपके बाहर निकलजा है, और पानीमें तैरता हुआ किसी चट्टान या वैसे ही किसी कठिन पदार्थसे लिपट जाता है । वहाँ वह अपने अन्दरसे रस

निकालकर उसके द्वारा अपने आसपास सीपके आवरणका निर्माण करता है । यह आवरण उसकी रक्षा भी करता है और उसका कारागृह भी बनता है ।

बीरबहूटी या भिन्द्रगोपके शरीरमें भी. नरतत्त्व और मादातत्त्व दोनों होते हैं, लेकिन उसमें और 'कालू' मछलीमें फर्क यही है कि एक ही बीरबहूटीके अण्डोंका उसके वीर्यजन्तुके साथ संयोग नहीं होता, बल्कि एकके वीर्यजन्तुका संयोग दूसरीके अण्डेके साथ होता है ।

प्राणियोंके जिम अवयवमें अण्डे उत्पन्न होते हैं, उसे अण्डाशय कहते हैं और जिस अवयवमें वीर्य या वीर्यजन्तु पैदा होते हैं, उसे वीर्याशय कहते हैं ।

समुद्र, नदी या तालाबोंमें पायी जानेवाली साधारण मछलियोंमें अण्डाशय और वीर्याशयके दोनों अवयव अलग-अलग शरीरमें होते हैं, यानी नर और मादाके शरीर पृथक्-पृथक् पाये जाते हैं । मादा मछलीके अण्डाशय बहुत बड़े होते हैं । कुछ मछलियोंके अण्डाशयमें तो अितने ज्यादा अण्डे होते हैं कि देखकर दाँतो तले अँगुली दवानी पड़ती है । कॉड नामक मछलीके शरीरमें एक साथ डेढ़से लेकर दो करोड़ तक अण्डे पाये गये हैं । सभी प्रकारकी मछलियाँ अितने अण्डे नहीं देती, फिर भी मछलीमात्रके शरीरमें अण्डोंकी संख्या विपुल तो होती ही है । एक खास ऋतुमें ये अण्डे पकते हैं । असलिये उस ऋतुमें मछलियोंके दलके दल गहरे और खुले समुद्रको छोड़कर खाड़ियों, मुहानों और नदियोंमें आ रहते हैं । वे अपने परिपक्व अण्डोंको छिल्ले पानीमें शरीरसे बाहर निकालती हैं । चूँकि ये अण्डे त्रेशुमार होते हैं और एक दूसरेसे मिले रहते हैं, असलिये पानीकी सतह पर अनिकी एक पतली चादर-सी बिछ जाती है । लेकिन वे सब फले हुअे नहीं होते, यानी यदि वे जैसे के जैसे रहें, तो उनमेंसे नये बच्चे (मछलियाँ) पैदा नहीं हो सकते । असलिये जब मछलियाँ इस प्रकार अण्डे रखनेके लिये जगह बदलती हैं, तो नर मच्छ उनको पीछे-पीछे जाते हैं और मछलियोंके शरीरसे निकले हुअे अण्डों पर वे अपने शरीरका चिकना प्रवाही पदार्थ तैरते-तैरते फेंकते

चलते हैं । इस चिकने पदार्थमें नरके वीर्यजन्तु होते हैं । ये जन्तु पानीमें फैले हुअे अण्डोंमें प्रवेश करके अन्हें फलित करते हैं ।

मेंढकोंमें मादा मेंढक अपने शरीरसे अपने आप अण्डे बाहर नहीं निकालती, बल्कि नर मेंढक मादाकी पीठ पर बैठकर उसका पेट धीरे-धीरे दबाता है, जिससे अण्डे मादाके पेटसे बाहर निकलते हैं । फिर नर मेंढक नीचे अुतरकर अुन अण्डों पर अपने शरीरका चिकना प्रवाही पदार्थ छिड़कता है । इस पदार्थके वीर्यजन्तुसे वे अण्डे फलते हैं ।

मछलियोंके जनन-व्यापारकी यह विशेषता ध्यानमें रखने लायक है कि अुनके अण्डोंकी फलन-क्रिया मादाके शरीरके बाहर होती है । दूसरे, इस क्रियाके बाद नर या मादामें से कोअी फले हुअे अण्डोंकी ज़रा भी सार-अँभाल नहीं करता । वे अिन अण्डोंको छोड़कर चले जाते हैं । यह भी नहीं होता कि मादाके अण्डाशयसे निकले हुअे सभी अण्डोंको नरके वीर्यजन्तु मिल जातें हैं । इसलिये बहुतेरे अण्डे तो यों ही बरबाद हो जाते हैं । कुछ दूसरी मछलियाँ अिन अण्डोंको खा भी जाती हैं । चुनाँचे बच्चे सिर्फ अुन्हीं अण्डोंमें से पैदा होते हैं, जो फलकर भी दूसरी मछलियोंके हमलेसे बच जाते हैं । कहा जाता है कि मादा मछलियाँ जितने अण्डे देती हैं, अुन सबमेंसे बच्चे पैदा हों, तो पानीमें पैर रखनेको भी जगह न मिले ।

जनन-व्यापार (भौरी, मधुमक्खी वगैरा)

वनस्पतिके जनन-व्यापारमें हम यह देख चुके हैं कि फूल अपनी परागरजको चारों ओर मनमाने तरीकेसे अड़ने देता है। उसको जिसका कोआ पता नहीं रहता कि हवा या तितली और शहदकी मक्खी वगैरा अतः परागको कहाँ ले जायेंगे। इसी तरह नरपुष्प या स्त्रीपुष्प अथवा पुंकेसर या स्त्रीकेसरको जिस बातका कोआ आग्रह नहीं रहता कि अमुक फूलके स्त्रीकेसर पर ही वह अपनी परागरज डाले या स्त्रीकेसर अमुक पुंकेसरके परागरजको ही ग्रहण करे। मछलियोंमें भी अक्सर यही होता है। नर मछली यह नहीं सोचती कि वह किस मछलीके अण्डोंको अपने वीर्यजन्तुसे फलित करे, और न मादा मछली ही यह सोचती या चाहती है कि वह अमुक नरके वीर्यजन्तुसे ही अपने अण्डोंको फलित होने दे। लेकिन जैसे-जैसे हम अधिक विकसित प्राणियोंके जनन व्यापारका विचार करेंगे, हमें पता चलेगा कि उनमें नर और मादा सहज ज्ञानपूर्वक परस्पर संयोग करते हैं, और जिस संयोगके फलस्वरूप जो बच्चे अउन्हें होते हैं, उनका रक्षा भी वे करते हैं। इन प्राणियोंमें नर और मादा दोनों अपनी पसन्दके अनुसार यह तय करते हैं कि कौन किस मादाके अण्डोंको अपने वीर्यजन्तुसे फलित करे और कौन किस नरके वीर्यजन्तुसे अपने अण्डोंको फलित होने दे। प्राणी जितना ही अँचे दर्जेका यानी जितना विशेष विकसित होता है, उतना ही वह अपने साथीको चुनने, अपने बच्चोंकी हिकाजत करने, उनका पालन-पोषण करने और उनके तर्फी प्रेम और कर्तव्यकी भावना रखनेका अधिक अुत्सुक होता है : ये तत्त्व अुसमें अुतनी ही प्रबल मात्रामें पाये जाते हैं। अुच्च कोटिके प्राणियोंमें नर किसी मादाके पास नहीं जाता, न मादा किसी नरको अपने पास आने देती है; बल्कि वे अपने साथीका चुनाव अपनी पसन्दके अनुसार कर लेते हैं। और चूंकि मनुष्यके अन्दर भले-बुरेका विचार करनेकी ताकत और अपने निश्चयोंको अमली जामा पहनानेका संकल्प खास तौर

से पाया जाता है, अमलिअे अुसने तो अिस बारेमें अपने लिअे अनेक नियम भी बना रखे हैं । आगे चलकर हम अिन नियमोंका विचार करेंगे । अभी तो अिसी विषयको आगे देखें ।

मक्खी, मच्छर, तितली, मधुमक्खी, चींटी वगैरा जीव, वैसे मछलियोंके मुकाबले बहुत ही छोटे होते हैं, लेकिन अिनकी जननेन्द्रियकी बनावट मछलीके बनिस्वत ज़्यादा विकसित होती है । पहली बात तो यह है कि अिनमें जनन-व्यापारके लिअे नर और मादाका प्रत्यक्ष संयोग होता है । दूसरे, मादाके अण्डाशयमें शुष्क होनेवाले अण्डे फलने से पहले मादाके शरीरसे बाहर नहीं निकलते, बल्कि फलने लायक होनेके बाद अण्डाशयसे निकलकर अुसके पासवाले अेक थैली-जैसे अवयवमें जा पड़ते हैं । नरके वीर्यजन्तुमें अुनके फलित होनेकी क्रिया अिस अवयवमें होती है । नरके वीर्यजन्तुको अिस अवयवके अन्दर ठीकसे पहुँचानेके लिअे नरके शरीरमें अेक लम्बी नली-जैसी अिन्द्रिय होती है, जो मादाके शरीरमें प्रवेश करती है । यह अिन्द्रिय शिश्न कहलाती है । नर मक्खी या नर तितलीका शिश्न मादा मक्खी या मादा तितलीके शरीरमें पाये जानेवाले अेक खास छेदमें प्रवेश करता है । मादाके शरीरवाली अुस थैलीकी रचना कुछ अैसी है कि नरके शिश्न द्वारा अुसका वीर्य थैलीमें जा पहुँचता है, और वह वहाँ पाये जानेवाले अण्डोंको फलित करता है । अिस तरह फले हुअे अण्डोंको मादा अपने शरीरसे बाहर निकालती है । अिन अण्डोंमेंसे असली जीवकी तरह नया जीव या जन्तु पैदा हानेसे पहले अुसके दो तीन रूपांतर और होते हैं । ये जीव अपने अण्डोंको चाहे जहाँ नहीं रखते, बल्कि अपनी पसन्दके किसी पदार्थ विशेषमें ही रखते हैं । अिसमें अुनके दो हेतु होते हैं । अेक तो यह कि अण्डे दूसरे किन्हीं प्राणियोंसे अथवा सर्दों, गर्मी, बारिश जैसी कुदरती आफ़तोंसे सुरक्षित रहें । दूसरे, अण्डोंके विविध रूपांतरोंको आवश्यक पोषण मिलता रहे, और अुनमेंसे सम्पूर्ण जीवके जन्म लेने पर अुसे अुसकी खुराक बराबर मिलती रहे ।

साधारण मक्खी अपने अण्डे किसी मुर्दा शरीरके मांसमें रखती है । अिससे अुन अण्डोंके विविध रूपांतरोंको और अन्तमें बच्चोंके तैयार हो जानेपर अुन्हें भी अपने पोषण और संवर्धनके लिअे अुसमेंसे आहार

मिलता रहता है। कुछ जीव ज़मीनके अन्दर गड्ढे खोदकर अपने अण्डे अण्डोंमें रखते हैं। वहाँ वे मिट्टीमें पाये जानेवाले सूक्ष्म जन्तुओंसे अपना पोषण करते रहते हैं। कुछ दूसरे जीव पेड़की छाल या पत्तोंमें छेद गिराकर अण्डोंमें अपने अण्डे रखते हैं। इस तरह सभी रूपान्तरोंसे गुज़रकर बच्चोंके तैयार होने तक वे वहाँ वनस्पतिके कोमल भागसे अपना पोषण किया करते हैं। तुमने देखा होगा कि हमारे घरकी दीवारों पर या खिड़कियों और दरवाज़ों पर और कभी-कभी हमारी पुस्तकों या ऐसी ही दूसरी चीज़ों पर भौरियाँ मिट्टीके छोटे-छोटे घर बनाती हैं। वे अक तरहेके लम्बे कीड़ेको पकड़कर ले आती हैं, और उसे अपने इस घरमें क़ैद करके रखती हैं। भौरियाँ इस कीड़ेके शरीरमें अपने अण्डे रखती हैं। अण्डोंमें से बच्चे तैयार होने तक और बच्चोंके बड़े होकर उड़ने और बाहर निकलने लगने तक वे उस कीड़ेके शरीरसे अपनी खुराक प्राप्त करते रहते हैं। इसके कारण लोगोंमें अक ऐसी धारणा प्रचलित हो गयी है कि भौरी द्वारा क़ैद किया हुआ कीड़ा इस डरसे कि भौरी आर्यगी और मुझे मार डालेगी, रातदिन भौरीका ही विचार किया करता है। नतीजा यह होता है कि धीरे-धीरे वह खुद ही भौरा या भौरी बन जाता है।

ये जीव अपने बच्चोंके लिये सुरक्षित स्थान और आवश्यक खुराकका प्रबन्ध करके वहाँ अण्डे रख देते हैं। इसके बाद वे अपने बच्चोंकी कोअी सार-सँभाल नहीं रखते। वे अपनी अन्तःप्रेरणासे यह समझ जाते हैं कि अण्डोंसे निकलनेके बाद अण्डोंके बच्चे स्वतंत्र रूपसे अपना जीवन बिता सकेंगे।

कुछ जीव तो अपने बच्चोंको देख ही नहीं पाते। क्योंकि मादाके शरीरमें रहे हुअे अण्डोंको फलित करनेकी क्रियाके बाद नर, और फले अण्डोंको अपने शरीरसे बाहर निकालनेके बाद मादा, दोनों तुरन्त ही मर जाते हैं। कअी जाँव अपनी सन्तानको जन्म देनेके लिये ही इस तरह अपनी जानकी कुर्बानी करते हैं। लेकिन यह माननेकी कोअी वजह नहीं मालूम होती कि वे यह कुर्बानी सोच-समझकर करते हैं।

जनन-व्यापार (पक्षी)

जिन जीवोंका विचार हम पिछले पत्रमें कर चुके हैं, अुन्हींकी तरह पक्षियोंके अण्डे भी मादाके शरीरके अन्दर ही फलित होते हैं, और अिसके लिअे नर और मादाका संयोग आवश्यक होता है। पक्षियोंमें नरकी जननेन्द्रियकी रचना तो जीव-जन्तुओंकी तरह ही होती है। लेकिन मादाकी जननेन्द्रियकी रचनामें थोड़ा फर्क होता है। जीव-जन्तुओंमें मादा अपने अण्डोंको फलनेके बाद तुरन्त ही बाहर निकाल डालती है, जब कि पक्षियोंमें फले हुअे अण्डे मादाके शरीरके अन्दर ही बढ़ते हैं, और धीरे-धीरे बड़े होनेपर ही बाहर निकलते हैं। अिन अण्डोंपर अेक कठिन आवरण तैयार होता है, जो अण्डेका 'छिलका' कहा जाता है। अिसका हेतु अन्दरके सजीव पदार्थकी रक्षा करना है। मादाके शरीरसे अण्डोंके बाहर निकलनेकी क्रिया अण्डे देनेकी क्रिया कही जाती है। जिस तरह जीव जन्तु किसी पदार्थको ढूँढकर अुसमें अपने अण्डे रखते हैं, अुसी तरह पक्षी अपने अण्डोंके लिअे पहलेसे घोंसला बनाकर रखते हैं। लेकिन जीव जन्तुओंमें और पक्षियोंमें फर्क यह है कि अुनमें नर भी घोंसला बनानेमें मदद करता है। अण्डोंको घोंसलेमें रखनेके बाद जबतक अण्डोंके अन्दरका सजीव पदार्थ बच्चोंका रूप धारण नहीं करता और वे बाहर निकलने लायक नहीं होते, तबतक अुन अण्डोंको गरम रखकर अन्दरके बच्चोंको गर्मी पहुँचानेके लिअे मादा अण्डोंपर बैठती है। यह क्रिया अण्डा सेनेकी क्रिया कही जाती है। तुमने अपने घरकी छतमें या दूसरी किसी अनुकूल जगहमें घोंसला बनाकर रहनेवाली चिड़िया या कबूतरको अण्डोंपर बैठते और अुन्हें सेते देखा होगा। अण्डे सेनेके काममें नर भी मदद करता है। नर मादाके लिअे दाना चुगकर लाता है और अुसके पास बैठकर मीठे मीठे गीतों द्वारा अुसका मनोरंजन करता है। जब मादा घोंसलेमें बैठती-बैठी अुब जाती है, तब नर अण्डोंपर बैठकर अुन्हें सेता है और मादा कुछ देर बाहर जाकर खुली हवामें घूम

आती है। जिस तरह किसी दिन दिनभर घरके अन्दर ही बैठे रहनेके बाद हम ताजगीके लिये बाहर खुलेमें घूम आते और पैरोंको हलका करते हैं, अुसी तरह पक्षियोंमें भी मादा अपने पंख फड़फड़ाकर हलकी हो आती है। बच्चा जब अण्डेके अन्दर होता है, तो अुसेके लिये खुराक अण्डेके अन्दर ही मौजूद रहती है। बादमें जब वह बाहर आने लायक होता है, तब मादा अपनी चोंचसे अण्डेके छिलकेको बड़ी सावधानीके साथ फोड़ती है, और बच्चा अुसमेंसे बाहर निकलता है। अिमके बाद भी नर और मादा यानी बच्चोंके माँ बाप अुनकी सार-सँभाल रखतेहैं, अुनके लिये दाना चुगकर लाते और अुन्हें खिलते हैं, अुनको अुड़ना गिम्नाते हैं और दूसरे प्राणियोंसे अुनकी रक्षा करते हैं। वह दृश्य कितना सुन्दर और आकर्षक होता है, जब भूखे बच्चे दानोंकी तलाशमें निकले हुये अपने माता पिताकी राह देखते हुये बैठे रहते हैं, माता पिताको देखने ही चोंच खोलकर आगे बढ़ते हैं, और माता पिता अपनी चोंचमें लाये हुअे दानोंको अेक अेक कके अुन बच्चोंके मुँहमें डालते हैं ! अवतक हमने जिन प्राणियोंका विचार किया, अुनमें और पक्षियोंमें महत्त्वका फ़र्क यही है कि अुन प्राणियोंमें अण्डे देनेके बाद माता पिता अुन अण्डोंकी कोअी परवा नहीं रखते, जब कि पक्षी तबतक अपने बच्चोंकी सार-सँभाल रखते हैं, जबतक वे अपने आप अुड़ना, फिरना, दाना चुगना और भयसे अपनी रक्षा आप करना सीख नहीं जाते। और यह सारा काम बच्चोंके माँ बाप दोनों मिलकर करते हैं।

जनन-व्यापार (आँचलवाले प्राणी)

पिछले पत्रमें हमने पक्षियोंके जनन-व्यापारकी जो चर्चा की, उसमें तुमने यह देखा हांगा कि पक्षियोंके छोटे-छोटे बच्चे अपने माता पिता द्वारा चुगकर लाया गया दाना ही खाते हैं; यानी उनका आहार प्रायः बड़े पक्षियोंके समान ही होता है। अब हम कुछ ऐसे प्राणियोंकी चर्चा करेंगे, जिनके नवजात बच्चोंमें अम समय तक अपनी माताके शरीरसे आहार मिलता है, जबतक बड़े होकर वे खुद दूसरी तरहका आहार लेने नहीं लगते। गाय, भैंस, बकरी, कुत्ते, बिल्ली आदि इसी श्रेणीके प्राणी हैं। लेकिन इनकी चर्चा करनेसे पहले हम पक्षियों और इन पशुओंके बीचकी श्रेणीके एक दूसरे प्राणीकी चर्चा कर लें।

अस श्रेणीके प्राणियोंमें उनके शरीरके बाहरी हिस्सेमें पेटके पास एक थैली-सी हांती है। वे अपने बच्चोंका इसी थैलीमें रखते हैं। दूसरे किसी देशकी अपेक्षा आस्ट्रेलियामें ऐसे प्राणी अधिक पाये जाते हैं, और उनमें कंगारूका नाम बहुत मशहूर है। इन प्राणियोंमें अण्डोंके फलनेकी क्रिया पेटके अन्दर पाये जानेवाले गर्भाशयमें ही हांती है, और उसके लिये नर और मादाका संयोग भी आवश्यक होता है। इनके अण्डे पक्षियोंके अण्डोंकी तरह न तो कड़े आवरणवाले बनते हैं, न घोंसलोंमें रखे और सेये जाते हैं। इनके अण्डोंका पोषण गर्भाशयके अन्दर ही होता है। लेकिन बच्चे बहुत ही छोटी, अधूरी और दुर्बल दशामें गर्भाशयसे बाहर निकल आते हैं। कंगारू माता उन्हें अपने अगले पंजों द्वारा तुरंत ही अुठा लेती, और पेटवाली थैलीमें रख देती है। इस थैलीमें रहते समय शिशु कंगारूके ओठ मँके आँचलसे जुड़ जाते हैं, और ओठोंसे निकलनेवाले एक तरल पदार्थ द्वारा भलीभाँति निपक जाते हैं। शिशु कंगारूमें मँके स्तनको चूसकर पोषण पानेकी शक्ति नहीं होती, असलिये माताके स्तनोंके आसपास रहे हुअे स्नायुओंके सकोच-विकोच द्वारा ही दूधके समान एक प्रवाही पदार्थ उनमेंसे निकलता है,

और वह बच्चोंके पेटमें पहुँचता रहता है । जिस प्रकार बच्चे पेटवाली जिस थैलीमें रहकर ही बढ़ते और पुष्ट होते हैं । जब बच्चे काफ़ी बड़े और बलवान हो जाते हैं, तो जिस तरह पका हुआ फल अपने डण्डलसे अलग होकर गिर पड़ता है, उसी तरह वे भी अपनी माँके स्तनोंसे अलग हो जाते हैं, और थैलीके बाहर निकलकर जिस दुनियामें प्रवेश करते हैं । लेकिन बाहर निकलनेके बाद भी जबतक वे पूरी तरह स्वावलम्बी नहीं हो जाते, तबतक, यानी कभी हफ्तों तक, वे अपने रक्षण, पोषण और आरामके लिये माताकी पेटवाली थैलीका ही आश्रय लेते हैं । बच्चोंके सम्पूर्ण स्वतन्त्र बन जाने पर माताके पेटकी यह थैली सिकुड़कर बिलकुल छोटी हो जाती है, और जब दुबारा बच्चोंके पैदा होनेका समय आता है, तब फिर बढ़कर बड़ी हो जाती है ।

अब हम जैसे प्राणियोंका विचार करें, जो जनन-व्यापार और शिशु-संगोपनमें सबसे अधिक आगे बढ़े हुए हैं । अन्सान अिनमें सबसे आगे माना जाता है । ये आँचलवाले या स्तनी प्राणी कहलाते हैं । क्योंकि अिनके आँचलों अथवा स्तनोंमें नवजात शिशुके लिये दूध उत्पन्न होता है और जबतक शिशुके दूँत नहीं आते या वह दूसरी खुराक लेने लायक नहीं हो जाता, ये उसे दूध पिलाते और उसका पोषण करते हैं । नर और मादाके संयोगके फलस्वरूप मादाके अणु शिशुके अण्डे उसके शरीरके अन्दर ही गर्भाशय नामक अवयवमें फलित होते हैं । लेकिन अिन अण्डोंका विकास गर्भाशयमें ही एक खास तरहसे होता है, जिसका अवयवके बयानमें कहीं जिक्र नहीं आया है । न सिर्फ गर्भाशयके अन्दर अण्डेका सेवन होता है, बल्कि अण्डा बच्चेकी शकल भी गर्भाशयके अन्दर ही धारण करता है, और माताके शरीरसे अपने लिये पोषण पाता और बढ़ता हुआ हफ्तों या महीनों तक वहीं रहता है । बादमें जब बच्चा सब तरहसे अपने माता पिताके समान शरीरवाला बन जाता है, तो गर्भाशयकी अलग-वगलके स्नायुओंके सिकुड़नेसे वह मादाकी योनिभी राह बाहर आता है । बाहर आने पर ये बच्चे बड़े प्राणियोंकी तरह एकदम खाना शुरू नहीं कर सकने, जिसलिये अिनके पोषणके लिये माँके स्तनोंमें दूध भर आता है, जिसे पीकर बच्चे बड़े होते हैं ।

चूहों और गिलहरियोंके समान छोटे-छोटे प्राणियोंसे लेकर ठेठ हाथी जैसे बड़े प्राणी भी इसी वर्गमें आते हैं । खरगोश, हिरन, बाघ, शेर, सियार, भेड़िया, कुत्ता, बिल्ली और गाय, भैंस, बकरी, घोड़ा, अूट ये सभी इस वर्गके प्राणी हैं । समुद्रमें रहनेवाली सबसे बड़ी व्हेल नामक मछली भी स्तनी प्राणियोंमें है ।


भिन्न-भिन्न प्राणियोंके बच्चोंको माताके गर्भाशयमें पुष्ट होनेके लिये भिन्न-भिन्न समय लगता है । माताके अण्डाशयसे निकले हुअे अण्डोंके नरके वीर्यजन्तुसे फलित होनेके बाद अर्थात् गर्भाधानके पश्चात्, चुहिया बीस दिनमें, खरगोश अेक महीनेमें, गाय-भैंस साढ़े नव या दस महीनोंमें, घोड़ी ग्यारह या बारह महीनोंमें और हथिनी बीस महीनोंमें बच्चेको जन्म देती है ।

बिल्ली, कुत्ते और इनके समान दूसरे छोटे-छोटे प्राणी अेक साथ कभी बच्चोंको जन्म देते हैं । क्योंकि उनके गर्भाशयमें कअी अण्डे अेक साथ फलते हैं । लेकिन गाय, भैंस, घोड़ा और स्त्री अेकवारमें अेक ही बच्चेको जन्म देती है । मनुष्योंमें जब अेक साथ दो अण्डे फलित हो जाते हैं, तो कभी कभी जुड़वाँ बालक भी पैदा होते हैं ।

जनन-व्यापार (मनुष्य जाति)

मानव जातिके जनन-व्यापारका विचार हम कुछ अधिक विस्तारके साथ करेंगे। जनन-क्रियासे सम्बन्ध रखनेवाले स्त्रीके अवयव उसके पेटवाले प्रदेशमें होते हैं। अिन अवयवोंमें दो अण्डाशय और एक गर्भाशय मुख्य हैं। अण्डाशय चपटी बादामके समान कृद और आकारवाले होते हैं और गर्भाशयका कृद छोटे अमरूदके बराबर होता है।

जननेन्द्रियके अवयव



क गर्भाशय	प अण्डाशय
ख गर्भाशय-अन्दरसे	प' अण्डाशय (काटकर दिखाया गया)
घ रजवाहिनी	ग योनिमार्ग
घ' रजवाहिनी	ह योनिद्वार

• (काटकर दिखायी गयी)

जब लड़कीकी उम्र तेरह या चौदह सालकी होती है, तब उसके अण्डाशयोंमें अण्डोंका जन्म होने लगता है। उसमें सैकड़ों अण्डे न्यूनाधिक पक्व दशामें रहते हैं। हर अग्रासीसवें या तीसवें दिन अिनमेंसे एक, और कभी-कभी दो अण्डे पूरी तरह पकते हैं। जब अण्डा अण्डाशयके अन्दर पकनेको होता है, तब गर्भाशयके अन्दरके भागमें सृजन आ जाती है और उसमें खून अिक्रम होने लगता है। अण्डेके भली-भाँति पककर अण्डाशयसे अलग होने पर गर्भाशयके आसपास जमा हुआ लहू बहने

लगता है । इस तरह यह लहू तीनसे लेकर सात दिन तक बहता है, लेकिन आमतौर पर इस रक्तस्रावकी मुद्दत चार दिनकी ही मानी गयी है । बोलचालकी भाषामें इसे कपड़ेसे आना कहते हैं । यही स्त्रियोंका मासिक धर्म कहलाता है । मासिक धर्मके कारण गर्भाशय अच्छी तरह धुलकर साफ़ हो जाता है । इस बीच अण्डाशयसे निकला हुआ अण्डा अण्डाशयको गर्भाशयसे जोड़नेवाली रजवाहिनी नामक नलीके द्वारा धीरे-धीरे गर्भाशयकी ओर आता है । माना यह जाता है कि इस तरह पके हुअे अण्डेको अण्डाशयसे गर्भाशय तक आते-आते तीनसे पाँच दिन लग जाते हैं । यह अण्डा गर्भाशयमें आनेके बाद कुछ दिन वहीं रहता है और फिर योनि-मार्गसे बाहर निकल जाता है । लेकिन चूँकि यह अतिशय सूक्ष्म होता है, इसलिये पता नहीं चलता कि यह कब बाहर निकल जाता है । (सभी अण्डे अकेले नहीं होते । अिन अण्डोंका व्यास अेक अिञ्चके अेक सी बीसवें भागसे लेकर दो सी चालीसवें भाग तक होता है ।) लेकिन जब यह गर्भाशयके अन्दर होता है, उस समय यदि स्त्रीके साथ पुरुषका संयोग हो और पुरुषका वीर्य जन्तु अससे आ मिले, तो अण्डा फल जाता है । मतलब यह कि स्त्रीके अण्डेमें जो अेक बहुत ही सूक्ष्म जीवबीज होता है, उसके साथ पुरुषके वीर्यजन्तुमें पाया जानेवाला जीवबीज मिल जाता है, और अिन दो जीवबीजोंके मिलनेसे अेक नया जीव अुत्पन्न होता है, जो बढ़नेकी शक्ति रखता है । न तो अकेला स्त्रीके अण्डेवाला जीवबीज और न पुरुषके वीर्यजन्तुवाला जीवबीज अपने आपमें बढ़नेकी ताकत रखता है । स्त्रीके अण्डेवाले जीवबीज और पुरुषके वीर्यजन्तुवाले जीवबीजके मेलसे गर्भ रहता है । यह गर्भ मासिक धर्म द्वारा स्वच्छ बने हुअे गर्भाशयमें रहता है । जब यह हो जाता है, तो कहा जाता है कि स्त्रीने गर्भ धारण किया है । इस तरह स्त्रीके गर्भवती होने पर गर्भाशयका मुँह बन्द हो जाता है और मासिक धर्म रुक जाता है ।

पहले दिन तो गर्भ अेक अिञ्चके करीब दो सीवें हिस्सेके बराबर होता है । अेक महीनेके बाद गर्भ गुछली मारकर बैठी हुअी अिल्लके बराबर हो जाता है । दूसरे महीनेके अन्तमें यह अेक अिचसे कुछ बड़ा रहता है । तीसरे महीनेमें गर्भके हाथ, पैर आदि अवयव पहचाने जा सकते

हैं। वह बढ़कर करीब चार अंच लम्बा हो जाता है। इस महीनेके अन्तमें बढ़ते हुअे गर्भको भरपूर पोषण मिलनेकी दृष्टिसे गर्भाशयके अन्दरके भागमें बड़े समुद्रसोख या सूआबादलके समान अेक पिण्ड तैयार होता है। इस पिण्डमेंसे निकलनेवाली अेक लम्बी नली गर्भकी नाभिमें प्रवेश करती है। इस नलीके जरिये गर्भको माँके शरीरका खून मिलता रहता है। पैदा होनेके बाद बालककी नाभि या तुर्दाके साथ जुड़ी हुअी यह नली — नाल — काट डाली जाती है। वह सूआबादल-जैसा पिंड भी बाहर निकल आता है, जो जरायु कहलाता है। आँचलवाले सभी प्राणियोंमें गर्भके पोषणका यही तरीका पाया जाता है। चौथे महीनेके बाद गर्भका हृदय धड़कने लगता है और वह हिलना-डुलना शुरू कर देता है। गर्भका यह हलन-चलन और उसका फड़कना उसकी वृद्धिका अचूक प्रमाण है। गर्भ धारणके करीब ४० हफ्तों या २८० दिनके बाद बालकका जन्म होता है।

अूपरके वर्णनसे तुम यह तो समझ सकी होगी कि बालकका जन्म अकेली माता द्वारा नहीं होता। बल्कि माता-पिता दोनोंके संयोगसे होता है। माता बच्चेको पेटमें धारण करती और जन्म देती है, इसलिये वह जननी कहलाती है, और पिता बालकके जन्मका कारण बनता है, इसलिये वह जनक कहलाता है।

हमारे शरीरका आरम्भ दो बहुत ही सूक्ष्म जीवजीवोंके परस्पर संयोगके कारण होता है। दो जीवजीव मिलकर अेक सूक्ष्म जीवकोषका निर्माण करते हैं। हमारा शरीर अैसे असंख्य जीवकोषोंसे बना है। शरीरमें जितने जीवकोष होते हैं, उनमेंसे हरअेकका आधा भाग माँकी ओरसे और आधा पिताकी ओरसे प्राप्त होता है। नीचे दी हुअी आकृतियों और उनके परिचयसे यह चीज अधिक स्पष्ट हो सकेगी।


स्त्रीके अण्डाशयवाले अण्डे



पुरुषके वीर्यजन्तु



वीर्यजन्तुके प्रवेश और जीवकोषका परिचय करानेवाली आकृति



क. बड़ा वृत्त माँके शरीरवाले अण्डेका सूचक है। लम्बी पूँछ और चपटे सिरवाली आकृति नरका वीर्यजन्तु है। अण्डेके अन्दरवाले वृत्तमें मातावाला जीवबीज है। वीर्यजन्तुका सिरवाला अंश पिताका जीवबीज है। अण्डेवाले जीवबीजमें चौबीस सूक्ष्म कण हैं, जो अस आकृतिमें दिखाये गये हैं। वीर्यजन्तुके जीवबीजमें भी चौबीस सूक्ष्म कण होते हैं। लेकिन वे यहाँ अलगसे दिखाये नहीं गये हैं। ये कण कदमें अक्से नहीं होते। अस आकृतिमें यह दिखाया गया है कि वीर्यजन्तु अण्डेमें प्रवेश करनेकी तैयारीमें है।

ख. वीर्यजन्तु अण्डेके अन्दर घुस चुका है। उसका सिर और पूँछ अलग-अलग हो गये हैं। सिर बढ़कर अण्डेके जीवबीजके समान ही गोल बन गया है। चित्रमें सिरके चौबीस कण भी दिखाये गये हैं।

ग. वीर्यजन्तुका जीवबीज अण्डेवाले जीवबीजके साथ मिल चुका है, और दोनोंका मिलकर संयुक्त जीवबीजवाला अेक जीवकोष बन गया है। उसमें सूक्ष्म कणोंकी २४ जोड़ियाँ या ४८ कण हैं। हर जोड़में अेक कण अण्डेवाले जीवबीजका यानी माँका है, और अेक वीर्यजन्तुवाले जीवबीजका अर्थात् पिताका है। वीर्यजन्तुकी पूँछ घिसघिसाकर नष्ट होने लगी है।

घ. अपूर कहे गये ढंगसे बना हुआ जीवकोष अब टूटकर दो कोषोंमें बँट गया है। प्रत्येकमें अेक-अेक संयुक्त जीवबीज है। उन ४८ कणोंमेंसे भी हरअेकके दो-दो भाग हो गये हैं, अर्थात् प्रत्येक जीवकोषके बीजमें ४८ कण अथवा कणोंकी २४ जोड़ियाँ मौजूद हैं। हरअेक जोड़का अेक कण माँकी ओर का और दूसरा बापकी ओर का है।

ये दो जीवकोष जब पककर बड़े हो जाते हैं, तो फिर बँट जाते हैं। दोके चार, चारके आठ, यों अिनका सिलसिला जारी रहता है। हमारा शरीर अैसे असंख्य जीवकोषोंसे बना है। शरीरके बढ़नेका मतलब है, जीवकोषोंकी संख्याका बढ़ना। हम रोज़ जितनी शक्ति खर्च करते हैं, अुतने जीवकोष नष्ट होते हैं। लेकिन शरीर तभी बढ़ता है, जब नष्ट होनेवाले जीवकोषोंकी तुलनामें नये जीवकोषोंका निर्माण अधिक

होता है । बचपनमें और जवानीमें जीवकोष बढ़ी तेज़ीके साथ बढ़ते हैं । यही वजह है कि अिस अुम्रमें हमारा शरीर बढ़ता रहता है । यह याद रखना चाहिये कि शरीरके प्रत्येक जीवकोषके बीजमें ४८ कण रहने हैं । सिर्फ़ माँके अण्डेवाले जीवबीजमें और वीर्यजन्तुके जीवबीजमें चौबीस चौबीस कण होते हैं । हमारे शरीरका हरअेक जीवकोष माता-पिताके संयुक्त जीवबीजवाला अर्थात् ४८ कणोंवाले जीवबीजका होता है । माँकी ओरके चौबीस कण बालकको माताके कुलके लक्षण और पिताकी ओरके चौबीस कण पिताके कुलके लक्षण प्रदान करते हैं । हाल ही में यह बात सप्रमाण सिद्ध हुआ है कि मनुष्योंमें अुनकी परम्परागत विशेषतायें अिन जीवकणों द्वारा ही संक्रान्त होती हैं ।

अिन आकृतियोंमें वीर्यजन्तुकी, अण्डेकी और अुसके अन्दरके जीवबीजोंकी आकृति अुनकी वास्तविक आकृतिसे बहुत बढ़ाकर दिखायी गयी है । दर असल ये सब अितने सूक्ष्म होते हैं कि सिर्फ़ आँखोंसे देखे नहीं जा सकते । माँके अण्डेका व्यास अेक अिंचके अेकसौ बीसवें भागके समान होता है, और पिताके वीर्यजन्तुकी लम्बायी अेक अिंचके छहसौवें भागके बराबर होती है ।

अूपरके अिस वर्णनसे स्पष्ट ही यह पता चलता है कि हरअेक प्राणीके बालकोंमें माता और पिता दोनोंकी शक्ति और अशक्ति, गुण और दोष पाये जाते हैं । यदि माँका अण्डा भलीभाँति पका हुआ हो, और पिताका वीर्यजन्तु भी परिपक्व व बलवान हो, तो दोनोंके संयोगके परिणाम-स्वरूप अुत्पन्न होनेवाला बालक नीरोग और बलवान होता है । हरअेक प्राणीके वय-प्राप्त होने पर ही अुसके अण्डे और वीर्यजन्तु परिपक्व और बलवान होते हैं । अिसलिये अुमर लायक होनेसे पहले किसी भी प्राणीमें जनन-व्यापार न होना चाहिये ।

प्राणी जितना ज़्यादा विकसित होता है, अुसके बच्चे जन्मके समय अुतने ही परावलम्बी दशामें रहते हैं, और अुनका बचपन भी लम्बा होता है । अुन्हें बालिग होते देर लगती है । लेकिन कम विकसित प्राणियोंमें बच्चा जन्मके समयसे ही बहुत कुछ स्वावलम्बी होता है । अुसका बचपन थोड़े समयका होता है । पक्षी छह से लेकर आठ

महीनोंके अन्दर बालिग हो जाते हैं और जन्मके बाद संयोगकी दूसरी ऋतु आने पर वे अपना जनन-व्यापार चलाने लायक बन जाते हैं। बिल्लीके बच्चे और कुतियाके पिल्ले आठ-दस दिनमें दौड़ने-फिरने लगते हैं। बकरीका बच्चा और गायका बछड़ा तो जन्मके बाद तुरन्त ही खड़ा रह सकता है और दो-तीन दिनमें चलने भी लगता है। फिर ये प्राणी कुछ ही सालोंमें बालिग या जवान हो जाते हैं। लेकिन मनुष्यके बच्चोंको खड़े होकर चलना सीखनेमें ही लगभग अेक साल लग जाता है। माता-पिताको अुनकी सार-सँभाल असें तक करनी पड़ती है। अपने आप अपना आहार प्राप्त करके अपना निर्वाह करनेकी शक्ति मनुष्यमें बड़ी देरके बाद आती है। हालाँकि, आखिरकार अुसका विकास दूसरे प्राणियोंके मुकाबले बहुत ष्यादा होता है। दूसरे प्राणी जब अपनी खुराक खुद पा लेने और भयस्थानोंसे भाग खड़े होने लायक हो जाते हैं, तो अुन्हें माता-पिताके आश्रयकी आवश्यकता नहीं रह जाती। अपना गुज़ारा करने और बालिग होने पर वंशविस्तार कर सकनेके सिवा अुनकी और कोअी ज़रूरतें या हाज़तें होती नहीं। लेकिन मनुष्यकी ज़रूरतें तो अिनसे कहीं ष्यादा हैं। मनुष्यको सिर्फ़ खाने-पीने, भोग भोगने और मौज-शौकके साथ ज़िन्दगी बितानेसे कभी पूरा संतोष नहीं होता। लेकिन मानव-जीवनका हेतु सिर्फ़ यही नहीं है। अुसमें भले-बुरेका विवेक करनेकी बुद्धि है। अतःअेव अुसे शांति और संतोष तो तभी होगा, जब अुसे मिलनेवाली सुख-सुविधायें सारे समाजके हितकी विरोधिनी न होंगी और अुनके कारण समाजका द्रोह न होता होगा। अिनके सिवा, मनुष्यमें नाम, यश आदिकी कामनायें भी होती हैं। अिस दुनियामें पाये जानेवाले अनेक पदार्थों और विषयोंका ज्ञान प्राप्त करनेकी अिच्छा भी मनुष्यमें पाअी जाती है। अुसकी बड़से बड़ी जिज्ञासा तो अिस विश्वकी पहेलीको बूझने और अपने सच्चे स्वरूपको पहचाननेकी होती है। शरीर, मन और हृदयकी शक्तियोंका ठीक-ठीक विकास होनेपर ही मनुष्य यह सब कर सकता है। नीरोग शरीर, निर्मल और तेजस्वी बुद्धि, तथा पवित्र, शुद्ध और दृढ़ चरित्रके बिना यह कार्य हो नहीं सकता। मनुष्यको अपने भावी जीवनके लिये यह सारी तैयारी करनी पड़ती है,

असलिये दूसरे सब प्राणियोंकी अपेक्षा वह बहुत बड़ी अुम्रमें बालिया होता है । मासिक धर्म शुरू होनेके बाद लड़की गर्भधारण तो कर सकती है, लेकिन यह मान लेना कि उस अुम्रमें वह गर्भधारण करने लायक बन जाती है, अेक भयंकर भूल है । मासिक धर्मके आरम्भ हो जानेके बाद भी स्त्रीके गर्भधारण करने और बालकको जन्म देनेवाले अवयवोंको भलीभाँति विकसित और पुष्ट होनेमें कमसे कम पाँच छह वर्ष तो लग ही जाते हैं । स्त्री बीस-अक्कीस वर्षकी अुम्रमें और पुरुष चौबीस पचीस वर्षकी अुम्रमें वयःप्राप्त या बालिग माना जाता है । अस बीचका बचपन और प्रारम्भिक यौवन या तारुण्यका समय अुन्हें विद्याभ्यासमें अर्थात् शरीर, बुद्धि और चारित्र्यके विकासमें बिताना चाहिये । इसके लिये शुद्ध आहार-विहार और नियम-संयमका पालन आवश्यक है ।

अवतकके अस विवेचन परसे तुम सब यह समझ सकी होंगी, कि प्रजननका प्रश्न गन्दा, धिनीना या असभ्य नहीं है । बल्कि शरीर और मनकी अुचित सार-सँभाल और समुचित विकासके लिये असका ज्ञान आवश्यक है । असका विचार हमेशा पवित्र बुद्धिके साथ और प्रकृतिकी गूढ़ योजनाओंके प्रति आदरभाव रखते हुअे करना चाहिये ।

रजोदर्शन

हम ऊपर देख चुके कि तेरह या चौदह सालकी अुम्रमें कन्याको जो मासिक धर्म शुरू होता है, वह क्या चीज़ है, और उसका हेतु क्या है। हम यह भी देख चुके कि इस समय कन्याके शरीरमें होनेवाले परिवर्तनोंके साथ साथ उसके मनमें नये नये विचार और नयी नयी भावनायें भी उत्पन्न होती हैं। इस समय शरीर कभी-कभी भारी-भारी-सा लगने लगता है, शरीरमें थकान-सी मालूम होती है, कुछ अुत्तेजित मनोदशाका अनुभव होता है, और नकुछ से कारणपर रुलायी आ जाती है। यह अेक असा समय है, जब कन्याके साथ प्रेम और सावधानीका व्यवहार करनेकी बड़ी आवश्यकता होती है। यदि कन्या अिन सब परिवर्तनोंका कारण समझ ले, तो उसके लिये घबराने या अधीर होनेकी कोअी ज़रूरत न रह जाय। वह समझ जाय कि अुसमें स्त्रीत्वका अुदय होने लगा है, वह स्वयं तारुण्यमें प्रवेश कर रही है।

जो लड़कियाँ मासिक धर्मके विषयमें पहलेसे कुछ नहीं जानतीं, वे खूनको देखते ही घबरा अुठती हैं और मान लेती हैं कि अुन्हें कोअी भयंकर रोग डो गया है। फिर वे अपने गुरुजनोंसे इसकी चर्चा करते भी शरमाती हैं। जो चीज़ अुन्हें अजीब-सी और अबूझ-सी मालूम होती है, अुसका अिअज खुद कर लेनेकी कोशिशमें वे कुछ का कुछ कर बैठती हैं। कअी लड़कियाँ अपने खूनसे भरे कपड़ोंको चुपचाप धो डालती हैं और फिर अुन्हीं गीले कपड़ोंको अन्दर पहने रहती हैं। इससे प्रायः अुन्हें सर्दी लग जाती है। इसको बजहसे अक्सर अुनका मासिक धर्म बन्द हो जाता है, और वे हमेशाके लिये अपने शरीरको नुकसान पहुँचा लेती हैं।

मासिक धर्म या रजोदर्शन दरअसल तो तारुण्यमें प्रवेश कग्ने, स्त्रीत्वको प्राप्त होनेका अेक प्रारंभिक बाह्य चिह्न है। माता बन सकनेकी यह अेक शारीरिक तैयारी है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि

कन्या अिस छोटी अुम्रमें माता बनने लायक हो जाती है । अिसका अर्थ तो सिर्फ अितना ही है कि जननेन्द्रियके अवयव अब अितने विकसित हो चुके हैं कि अुनमें अपने विशिष्ट कार्यको करनेकी शक्ति आने लगी है । लेकिन अभी अुनकी दशा फूलकी कच्ची कलीके समान है : अुनका सम्पूर्ण विकास होनेमें अभी बरसोंका देर है ।

रजोदर्शन शरीरका अेक धर्म है । स्वस्थ शरीरमें यह त्रिना किसी कष्टके होना चाहिअे । यदि अिस समय किसी तरहका दर्द या पीड़ा होती है, तो समझना चाहिअे कि कहीं कुछ गड़बड़ है । अिसमें या तो कपड़ोंका दोष है, या खुराकका दोष है, या यह त्रिसी कुटेवका परिणाम है । रजोदर्शनके समय पीड़ा होनेका बड़ेसे बड़ा कारण तो अज्ञानवश की गभी कोअी भूल ही होती है । मासिक धर्मकी तैयारीके दिनोंमें असावधानीके कारण सर्दी लग जाने या ज़रूरतसे ज़्यादा मेहनत कर लेनेसे मासिक धर्मके समय कष्ट होता है । जिन लड़कियोंको कब्जकी शिकायत रहती है, अुनका रजोदर्शन भी कष्टमय होता है । जिन्हें नियमित समयपर रोज़ पाखाना फिरनेकी आदत नहीं होती, अुनके मलाशयमें और बड़ी आँतोंमें मल भर जाता है, जिससे गर्भाशय और अण्डाशयपर ज़रूरत से ज़्यादा दबाव पड़ता है । मलावरोध रक्तकी गतिमें भी बाधक होता है । तंग कण्डे पहननेसे अथवा चड्डी या लहंगेकी नाड़ीको पेडूपर खूब कसकर बाँधनेसे पेडूके अन्दरवाले अवयवोंपर अनावश्यक दबाव पड़ता है । जो लड़कियाँ स्वाभाविक विकासके त्रिलाफ़ अेक तरहका बनावटी जीवन त्रिताती हैं, चित्तको दूषित रूपसे अुत्तेजित रखनेवाले वातावरणमें रहती हैं, और जिन अुपन्यासोंमें भावनाओंको अुत्तेजित करनेवाली शृंगार-प्रधान घटनाओंकी या अैसे ही दूसरे सूक्ष्म वर्णनोंकी बहुतायत होती है, अुन्हें ज़्यादा पढ़ा करती हैं, अुनको अुचित्त समयसे पहले मासिक धर्म शुरू हो जाता है । कृत्रिम अुपायों द्वारा समयसे पहले त्रिलाये गये फूलों-जैसी अुनकी हालत होती है । अैसे फूल जल्दी ही मुरझा जाते हैं ।

बेचैनी मालूम होना, जीका बार बार अलसाना, शरीर और खास कर सिरका भारी भारी मालूम होना, कमरमें साधारण-सा दर्द रहना, मासिक धर्मके पूर्व चिह्न हैं । अिन सब चिह्नोंके रहते हुअे भी मासिक

धर्म आरंभ न हो, तो समझना चाहिये कि कहीं कुछ गड़बड़ है। जैसे समय किसी सुयोग्य व्यक्तिकी सलाहसे आवश्यक अिलाज करना चाहिये। प्रथम रजोदर्शनके बाद कुछ महीनों तक रजोदर्शन न हो, और सब तरहसे स्वास्थ्य अच्छा मालूम होता हो, तो चिन्ता करनेकी कोअी ज़रूरत नहीं। अक्सर नियमित रूपसे मासिक धर्म शुरू होनेमें एक-दो साल लग जाते हैं। थोड़े रजस्त्रावसे भी धररानेकी कोअी ज़रूरत नहीं। अधिक रजस्त्राव भी हमारे कृत्रिम जीवनका ही परिणाम होता है। जो लोग अधिक प्राकृतिक जीवन बिताते हैं, उन्हें स्वभाव ही से रजस्त्राव कम होता है। यद्यपि कम या ज़यादा रजस्त्रावका होना एक सापेक्ष वस्तु है। आमतौर पर हमेशा जितना रजस्त्राव होता है, उससे अधिक स्त्राव हो और रजस्त्रावके समय या उसके बाद बहुत ही कमजोरी मालूम पड़े, तो समझना चाहिये कि स्त्राव ज़रूरतसे ज़यादा हुआ। इसके दो कारण हो सकते हैं— शरीरकी अशक्ति अथवा रक्तका आवश्यकतासे अधिक संग्रह। जैसे मामलोंमें खुली हवा, सादा भोजन, और सम्पूर्ण शारीरिक तथा मानसिक आरामसे काफ़ी लाभ होता है। जैसे मौक़ेपर पेटको साफ़ और हलका रखनेका भी प्रयत्न करना चाहिये।

चूँकि मासिक धर्म शुरू होनेसे कुछ दिन पहले और मासिक धर्मके दिनोंमें गर्भाशयके अन्दर रक्तकी मात्रा बढ़ जाती है, अिसलिये वह भारी रहने लगता है। ध्यान रहे कि गर्भाशय पेटके अन्दर, अुमकी गुफ़ामें, लटकता हुआ एक अवयव है, अतएव मासिक धर्मके दिनोंमें खूब बचने, दौड़ने-कूदने, और ज़यादा मेहनतके या कड़ी मेहनतके कामोंसे बचना चाहिये। हमारे यहाँ मासिक धर्मके समय स्त्री अशुश्रय मानी जाती है, यानी घरके किसी काममें वह हाथ नहीं बैठा सकती। जिस समय स्त्रीको आरामकी आवश्यकता है, अुन समय अिस रिवाजके कारण अुसे सड़न ही आराम मिल जाता है। अिस दृष्टिसे यह रिवाज अच्छा है। लेकिन हमारे यहाँ आजकल अिसे धार्मिक रूप दे दिया गया है, जिससे लंग प्रायः अिपके मूल हेतुको भूल जाते हैं। जब स्त्रियाँ घरमें पानी मग्ने, झाड़ने-बुझाने या रमोशी बनानेका काम नहीं कर सकतीं, तो वे घरकी सन्दूकोंमें रखे हुअे ढेरों बरतनोंको निकलवाकर

अन्हें माँजने बैठ जाती हैं, या गठड़ियों कपड़े धोनेको निकाल लेती हैं, अथवा घरकी लिपाओ-छवाओमें लगा जाती हैं। इस तरह कभी परिवारोंमें मासिक धर्मवाली स्त्रियोंको बिलकुल आराम नहीं दिया जाता। यह रिवाज स्त्रियोंके स्वास्थ्य और शरीरको बहुत नुकसान पहुँचाता है। जिस काममें पैरोंको बहुत देर तक गीलेमें रखना पड़ता है, या देर तक गीले कपड़े पहनकर रहना पड़ता है, उसमें सर्दी खा जानेका डर रहता है। फिर बहुत वजनदार चीज़ थुठाने या कड़ी मेहनत करनेसे गर्माशयके स्थानभ्रष्ट हो जानेका डर बना रहता है।

मासिक धर्मके दिनोंमें मामूली तौर पर छोटे-मोटे हल्के काम किये जा सकते हैं। लेकिन जिस काममें देर तक एक ही आसनसे बैठे रहना पड़े, वैसे काम न करना अच्छा है। मासिक धर्मके दिनोंमें मामूली दिनोंकी अपेक्षा कुछ ज़्यादा समय तक सो लेना अच्छा रहता है। दुर्बल शरीरवाली कन्याओं और स्त्रियोंको तो अिन दिनोंमें पूरा पूरा आराम करना चाहिये।

अिन दिनोंमें चित्तको अुत्तेजित करनेवाली पुस्तकें न पढ़नी चाहियें। विकारोत्तेजक साहित्य तो किसी भी समय बुरा ही है। किन्तु इस समय उसका असर अधिक बुरा होता है।

हम लोगोंमें मासिक धर्मके पहले दो दिनोंमें स्त्रियाँ न नहाती हैं, न कपड़े बदलती हैं। यह रिवाज अच्छा नहीं। मासिक धर्मके दिनोंमें भी नहाना और कपड़े बदलना दोनों ज़रूरी है। अुलटे अिन दिनों तो शरीरको ज़्यादा साफ़ रखनेकी ज़रूरत है। लेकिन अिन दिनों ठण्डे पानीसे नहाने न नहानेके बारेमें ज़रा सोच-समझकर काम लेना चाहिये। मुमकिन है कि कमज़ोर शरीरवाली स्त्रियाँ ठण्डे पानीसे नहाते समय सर्दी खा जायँ। मासिक धर्मके दिनोंमें पैर ज़्यादा देर तक गीलेमें न रहें, और पेड़वाले प्रदेशको सर्दी न लगे, इसका खयाल तो अवश्य ही रखना चाहिये।

पहने हुअे कपड़ोंको मासिक धर्मके खूनसे बचानेके लिये लँगोटनुमा पट्टीका कच्छ बाँधने और उसमें कपड़ेके टुकड़े तहाकर रखनेका तरीका अच्छा है। ये टुकड़े बिलकुल साफ़ होने चाहियें; अिनमें तनिक भी

मैले या गन्दे कपड़ोंका अुपयोग न करना चाहिअे । टुकड़ोंके अेक बार खराब हो जाने पर अुन्हें तुरन्त निकाल डालना चाहिअे, और अुनके स्थान पर दूसरे साफ़ धुले हुअे कपड़े रखने चाहिअें । खयाल रखना चाहिअे कि चड्डी, लँगोट या लहंगेकी नाड़ी तुंदीके अुपर हरगिज़ न बँधे । अससे पेट दबता है, और पेडू पर दबाव पडता है । असलिअे बेहतर तो यह है कि ये कपड़े कमरके पास सहज लटकते हुअे पहने जायँ । कपड़े अस तरह पहनने चाहिअें कि जिससे पेडू पर अुनका बोझ न पड़े । अिसी तरह यह भी ध्यान रखना चाहिअे कि रातमें सोते समय कपड़ोंकी गठरी पेडूके आसपास न बने । अगर चड्डी पहनी हो, तो वह बहुत तंग न होनी चाहिअे ।

अिन दिनों न तो गरिष्ठ या भारी अन्न खाना चाहिअे, न विलकुल भूखों ही रहना चाहिअे । अिसी तरह ठण्ठी, बासी, बहुत खट्टी या बहुत चटपटी चीजे भी न खानी चाहिअें । अिन दिनों सादा, हलका और पथ्य आहार ही लेना चाहिअे ।

मासिक धर्मके दिनोंमें भरपूर नींद, खुली और ताज़ी हवा, दीर्घ श्वासोच्छ्वास, सादा और पोषक आहार, ढीले-ढाले कपड़े, शरीरकी शक्ति और स्थितिके अनुरूप काम, कसरत, आराम और मानसिक शान्ति आदिकी खास आवश्यकता रहती है ।

विवेक और संयम

अबतकके विवेचनसे एक बात यह स्पष्ट हो जाती है कि समृद्धि सजीव सृष्टिमें — वनस्पति, मछली, जीव-जन्तु, पक्षी, पशु और मनुष्य वगैरा सभीमें — प्रजननके लिये नर तत्वके साथ मादा तत्वका संयोग आवश्यक है। इस संयोगको साध्य बनानेके लिये प्रकृतिने अिन दो तत्वोंके बीच एक प्रकारका आकर्षण रक्खा है, और नर व मादाके संयोगकी क्रियामें भी एक तरहके आनंदकी सृष्टि की है। वनस्पतिमें और प्राणियोंमें नर और मादाके संयोगके लिये खास खास ऋतुयें नियत हैं। अिनमें अुसी समय नर और मादाके बीच आकर्षण बढ़ता है। वसंत ऋतुमें समृद्धि वनस्पति सृष्टि रंग-धिरंगे फूलों और बीर वगैरासे विकसित होकर बहुत ही सुहावनी बन जाती है। अुसकी अिस शोभासे आकर्षित होकर तितलियाँ, भौरे और मधुमक्खियाँ अुसके आसपास गूँजन लगती हैं। फूलोंमें सुगन्धिके मिवा मीठा मधु भी अिन सबके आकर्षणके लिये मौजूद रहता है। अिस मधुके लिये तितलियाँ और मधुमक्खियाँ एक फूलसे दूसरे फूलपर अुड़कर बैठती हैं। हम देख चुके हैं कि अिसी समय वे अपने पैर या शरीरपर एक फूलके परागरजको चिपकाकर दूसरे फूलके स्त्रीकेसरके पास ले जाती हैं और अिस तरह फूलोंके स्त्रीकेसरका पुंकेसरके साथ संयोग करा देती हैं।

पक्षियोंमें संयोगकी ऋतुके दिनोंमें नर खास तौरपर बहुत ही आकर्षक बन जाता है। अुसे नये और चमकीले पंख आ जाते हैं। कुछ पक्षियोंके पंखोंमें रंग और प्रकारकी विविधता बहुत ही मनोहर पायी जाती है। मुर्गे और मोरकी सुन्दरता तो बरबस हमारा ध्यान अपनी ओर खींचती है। अिस समय पक्षियोंमें नाचनेकी प्रवृत्ति बहुत बढ़ जाती है। वह दृश्य कितना मनोहर होता है, जब मोरनीको रिझानेके लिये मोर अपने पंख फैलाता और नाचता है! पक्षियोंमें एक हदतक पारिवारिक भावना भी पायी जाती है।

आँचलवाले अथवा स्तनी प्राणियोंमें अक्सर मादा आकर्षणका काम करती है। हर महीने रक्तस्रावके कारण उसका गर्भाशय साफ़ हो जाता है और वह गर्भधारणके लायक बन जाती है। इसी समय नर उसके प्रति आकर्षित होता है। दूसरे प्राणियोंकी भाँति मनुष्योंमें भी सयाने स्त्री-पुरुष स्वभावतः इसी प्रकार परस्पर एक दूसरेसे आकर्षित होते हैं। लेकिन दूसरे प्राणियोंके साथ मनुष्यकी इससे अधिक तुलना करना अपनेको धोखेमें डालना है। दूसरे प्राणियोंके मुकाबले मनुष्यकी विशेषता यह है कि वह अन्धा बनकर प्रकृतिका अनुसरण नहीं करता। दूसरे सभी प्राणी अपनी वृत्तियोंसे विवश होकर कार्य करते हैं। उनमें रुचि या स्वतंत्रता नामकी वस्तु बहुत कम होती है। किन्तु मनुष्यमें सदसद् विवेकबुद्धि है। उसमें चुनने और परखनेकी शक्ति है, और अपने निर्णयोंको कार्यरूपमें परिणत करनेका संकल्पबल है। किसी भी कामको करने या न करनेसे पहले, आवेगके वश होने या न होनेके विषयमें वह सोचता है — विवेकसे काम लेता है। प्रकृतिने स्त्री और पुरुषके बीच जो आकर्षण रखा है, उसके वश होने न होनेके विषयमें वे स्वतंत्र हैं। दूसरे, वे केवल शारीरिक आकर्षणके वश नहीं होते। जहाँ वे विचारों, गुणों, और हृदयकी भावनाओंका सुमेल और साम्य देखते हैं, वहीं वे आकर्षित होते हैं। स्त्री और पुरुष दोनों इस सम्बन्धमें बहुत सोच-विचार कर निर्णय करते हैं कि उनके बालकोंका पिता या उनकी माता कौन और कैसी हो। साथ ही, एक बार सम्बन्ध जोड़नेके बाद वे अक्सर उसे अखीर तक कायम रखते हैं। प्रकृतिने प्रजननकी वृत्ति तो प्राणिमात्रकी तरह मनुष्यमें भी पैदा कर रखी है, परन्तु मनुष्य चाहे जिस तरह इसके अधीन नहीं होता। यही नहीं, बल्कि वह इस वृत्तिको विशुद्ध बनाता और सदा इस पर विजय पानेकी कोशिश करता रहता है। मनुष्य अपनी विवेकबुद्धि, धर्मबुद्धि और संकल्पशक्तिके कारण दूसरे सब प्राणियोंसे बहुत अलग पड़ जाता है। किन्तु यदि मनुष्य अपनी स्वतंत्र अिच्छा-शक्तिका और पसन्द या चुनावकी शक्तिका दुरुपयोग करे, तो वह दूसरे प्राणियोंकी अपेक्षा हीन भी बन सकता है। जिस तरह वह अपनी बुद्धि और शक्तिके जरिये अपनी उन्नति कर सकता

है, उसी तरह अणुका दुरुपयोग करके वह अपनी अवनति भी कर सकता है। मनुष्य शुद्ध प्राकृत स्थितिमें रह नहीं सकता। वह प्रकृतिमें सुधार करके या तो संस्कृतिकी ओर अग्रसर होता है या बिगाड़ करके विकृतिकी ओर जाता है।

* * *

यहाँ एक बहुत ही महत्वकी वस्तुकी ओर मैं तुम्हारा ध्यान खींचना चाहता हूँ। जीवनके धारण-पोषणकी — जैसे, खाने-पीने, घूमने-फिरनेकी — बूसरी सभी क्रियाओंके साथ जिस प्रकार आनंदकी अनुभूति जुड़ी हुआ है, उसी तरह प्रजोत्पत्तिकी क्रियामें भी आनंद निहित है। किन्तु आनंदमय प्रतीत होते हुए भी अिस क्रियाका आनंद क्षणिक होता है। वह सच्चा और स्थायी आनंद नहीं कहा जा सकता। अिस क्रियाके फलस्वरूप बड़ी थकावट मालूम होती है, और शरीर व मनको बहुत क्षति पहुँचती है। कभी प्राणी तो बच्चोंको जन्म देकर तुरन्त ही मर जाते हैं। मनुष्योंमें प्रजोत्पत्तिका काम एकदम घातक तो नहीं होता, फिर भी थकानेवाला तो होता ही है। अिसमें कोअी सन्देह नहीं कि अिस क्रियाके कारण मनुष्यकी जीवनशक्तिका हास होता है।

संयोग-सुखके सिवा प्रकृतिने प्राणि-मात्रके अंदर वंशवर्द्धन और संतति-संरक्षणकी वासना भी प्रबल रूपसे अुत्पन्न कर रखी है। अिसलिअे सन्तानकी अिच्छा रखनेवाले स्त्री-पुरुष प्रायः अपनी शक्तिकी भी पर्वा नहीं करते, और प्रजोत्पादनकी क्रियामें प्रवृत्त हो जाते हैं। लेकिन बच्चोंकी बेशुमार वृद्धि करते रहना भी अच्छा नहीं। माता-पिताको सिर्फ अुतने ही बालक अुत्पन्न करने चाहिअें, जितनोंको वे भलीभाँति पाल-पोसकर बड़ा कर सकें और पढ़ा-लिखाकर सुयोग्य मनुष्य बना सकें। जिस तरह बालकको पैदा करनेमें शक्तिका व्यय होता है, तन्दुरुस्तीपर एक तरहका बोझ और तनाव पड़ता है, उसी तरह बालकोंकी परवरिश करके अुन्हें लायक बनानेमें पैसा भी खर्च होता ही है। और परिवारमें बालकोंकी वृद्धिके साथ परिवारकी आय भी हमेशा बढ़ती ही है, अैसा कोअी नियम नहीं है। फिर जब अधिक बालकोंके लालन-पालनका काम आ पड़ता है, तो खासकर माँ पर कामका बोझ बहुत ही बढ़ जाता है। अरूरतसे

झ्यादा बालकोंके त्राससे बहुतेरी मातायें हैरान और परेशान, त्रस्त और व्यस्त नज़र आती हैं ।

साथ ही, जब बालक जल्दी जल्दी होने लगते हैं, यानी एक बालकके पूरी तरह बड़े होनेसे पहले ही दूसरा बालक आ जाता है, तो माँका शरीर त्रिलकुल ही घिस जाता है, और बालकोंकी आवश्यक सार-सँभालका काम भी बहुत कठिन हो जाता है । स्त्रियोंमें मानृत्वकी जो स्वाभाविक भावना पायी जाती है, और बालकोंसे उन्हें जैसा बेहद प्रेम होता है, उसके कारण मातायें यह सारा कष्ट बिना चूँचराके सह तो लेती हैं, लेकिन यह स्थिति किसी भी दशामें अिष्ट नहीं कही जा सकती । जो स्त्रियाँ सार्वजनिक कामोंमें भाग लेना चाहती हैं, वे किसी भी दशामें बच्चोंके लालन-पालन और घर-गृहस्थीके दूसरे बोझको अुठा नहीं सकतीं । अैसी स्त्रियाँका अविवाहित रहना ही अुचित है । दूसरी स्त्रियाँ भी संयमपूर्वक काफ़ी समयके बाद बालकोंको जन्म दें, और अपनी शारीरिक तथा आर्थिक स्थितिके अनुसार एक, दो या तीन बालकोंको जन्म देकर वानप्रस्थ जीवन चिताना शुरू कर दें, तो वह हर तरह अिष्ट और आवश्यक ही है । लेकिन मनुष्यमें संयोगकी वासना अितनी प्रबल होती है कि उसके लिअे अैसा करना कठिन हो जाता है । फिर भी मनुष्यता अिसीमें है कि वह अपनी अिस वासनाको सुसंस्कृत बनाकर अुसे दूसरा रूप दे और अपनी शक्तियोंको दूसरे अुपयोगी कामोंमें खर्च करे ।

लेकिन आजकल तो सुधारक माने जानेवाले समाजोंमें एक दल या पन्थ अैसे लोगोंका खड़ा हो गया है, जो वासनाओंको संयत और सुसंस्कृत बनानेके बदले संयोग करने पर भी गर्भ न रहने और सन्तान न होनेके अुपायोंकी हिमायत करता है । अिन लोगोंका खयाल है कि अिस विषयमें स्त्री-पुरुष अपने अूपर अंकुश रख ही नहीं सकते, अिसलिअे ये गर्भनिरोध और संतति नियमनके लिअे कृत्रिम अुपायोंकी सिफ़ारिश करते हैं ।

गाँधीजीने अपनी 'अनीतिकी राह पर' नामक पुस्तकमें अिस बारेमें बहुत-कुछ लिखा है । अिधर अिधर 'हरिजन' और 'हरिजन-बन्धु'में भी वे अिस सम्बन्धमें लिखने लगे हैं । अिन 'सुधारक' कहे जानेवाले

लोगोंकी दलीलोंका बड़ेसे बड़ा जवाब यही है कि ये अपने कामकी जिम्मेदारीसे बच जानेकी निरर्थक चेष्टा करते हैं। इस प्रकार जिम्मेदारीसे बच निकलनेका प्रयत्न मनुष्यके चरित्रको शिथिल बना देता है। और मनुष्य कितनी ही कोशिश क्यों न करे, तो भी आखिर वह अपने कृत कर्मोंके दायित्वसे बच तो सकता ही नहीं। यानी संभव है कि वह गर्भनिरोधके अपने प्रयत्नमें सफल हो जाय, फिर भी किसी न किसी रूपमें उसका बुरा परिणाम निकले बिना रहता ही नहीं। आजकल अंग्लैण्ड, अमेरिका और फ्रान्स जैसे देशोंमें अिन साधनोंका खूब प्रचार हो रहा है। वहाँ स्त्री-पुरुषसंबंधी चारित्र्यकी शिथिलता भी आजकल बहुत ही बढ़ गयी है; मुमकिन है कि इसमें अिन साधनोंका प्रचार भी अेक बड़ी हदतक कारणीभूत हुआ हो। अिन साधनोंका अुपयोग करनेवाला आदमी संयमका विचार तक नहीं करता, और अपनी वृत्तियों तथा वासनाओंको बेलगाम खुली छोड़ देता है। इस सबका परिणाम शरीर और मनकी क्षीणता और चरित्रकी भ्रष्टताके रूपमें प्रकट होता नज़र आता है।

अिन साधनोंके समर्थक स्त्रियोंको सन्तानोत्पत्तिके बढ़ते हुअे बोझसे मुक्त करनेका अुपाय सुझाते हैं, और स्त्रियोंके हिमायती होनेका दावा करते हैं। लेकिन सूक्ष्म दृष्टिसे विचार करनेपर पता चलता है कि अिन साधनोंके कारण पुरुषकी निरंकुशताको ही बढ़ावा मिलता है। स्त्री पर यह अेक प्रकारका अत्याचार ही है। अिन साधनोंके अुपयोगसे स्त्रीका माताके नाते जो गौरवपूर्ण स्थान है, वह नष्ट हो जाता है, और वह पुरुषके भोगविलासका अेक साधन-मात्र बन जाती है। आज आवश्यकता इस बातकी है कि स्त्रियाँ इस सारी हलचलको इस दृष्टिसे सोचने लें और निरी निरंकुशताके प्रवाहमें बहनेसे बचें।

सयानी कन्यासे

खण्ड २

विद्यार्थी अवस्था

अपर हम यह देख चुके हैं कि जब लड़कों और लड़कियोंमें तारुण्यका अुदय होता है, तो अुनकी रग-रगमें जोश अुछलने लगता है, मनमें तरह-तरहकी तरंगें अुठती हैं, और अनेक आकांक्षायें जन्म लेती हैं । लेकिन मनुष्य कितनी ही बड़ी बड़ी महस्वाकांक्षायें क्यों न रखे, वे सिद्ध तभी होती हैं, जब अुनके लिअे आवश्यक भ्रम और अुचित साधना की जाती है । जो लोग मनमें बड़ी बड़ी महस्वाकांक्षायें रखते हैं, लेकिन अुनकी सिद्धिके लिअे भरपूर परिश्रम नहीं करते, वे मूर्ख साधित होते हैं । कुछ लोग परिश्रमसे घबराकर अपनी महस्वाकांक्षाओंको ही तिलाञ्जलि दे देते हैं, या अुन्हें भूल जाते हैं, और लकीरके फकीर बन जाते हैं । जीवन अुसीका यशस्वी और सफल बनता है, जो अपनी महस्वाकांक्षाओं या अपने ष्येयको सदा अपनी दृष्टिके सामने रखकर अुनकी सिद्धिके लिअे ठीक ठीक तैयारी करता है । मनुष्योंमें विद्यार्थीअवस्थाका समय अैसी तैयारीका समय है । जो आदमी अपने विद्यार्थीजीवनको आलस्यमें या निरुत्सुकतामें बिता देता है, अुसका भावी जीवन निरर्थक ही सिद्ध होता है । जिन्हें अपनी समस्त शक्तियोंका समुचित विकास करनेका अवसर मिलता है, और जो अिस अवसरका अच्छा अुपयोग कर लेते हैं, अुनका जीवन समृद्ध, सफल और अुपयोगी साधित होता है ।

पुराने जमानेमें विद्याध्ययनके अिस कालको लोग ब्रह्मचर्याश्रम कहते थे । जीवनकी अेक खास अवस्थाको आश्रम कहते हैं । ब्रह्मचर्याश्रमका अर्थ यह है कि अिस समयमें आदमी ब्रह्मचर्यका पालन करके, यानी अपनी सभी अिन्द्रियोंको संयममें रखकर, विद्याभ्यास करता है । विद्यार्थीका अर्थ ही ब्रह्मचारी है । लेकिन आज तो विद्यार्थीके लिअे ब्रह्मचारी और विद्यार्थिनीके लिअे ब्रह्मचारिणी शब्दोंका प्रयोग आर्यसमाजके गुस्कुलोंमें ही

होता है, और इस शब्दके गौरवके अनुरूप विद्यार्थियोंका जीवन तो कहीं भी पाया नहीं जाता । आज तो हमारे विद्यार्थी इस वस्तुको प्रायः भूल ही गये हैं कि शरीर और मन तभी सुदृढ़ होते हैं, और जीवन तभी सफल और अुपयोगी सिद्ध होता है, जब वह सादगीके साथ, कठोर यम-नियमपूर्वक, प्रवृत्तिमय, परिभ्रमपूर्ण, पवित्र और संयत भावसे बिताया जाता है । आज तो जिधर देखिये, ज्यादातर विद्यार्थी और विद्यार्थिनियाँ ऐशोआराम और मीठशौकमें ही मस्त नजर आती हैं । यही वजह है कि विद्यार्थियोंमें जो तेजस्विता पायी जानी चाहिये, वह शायद ही कहीं नजर आती है ।

क्या विद्यार्थीअवस्थामें, और क्या दूसरी किसी भी अवस्थामें, कामविकारको अुत्तेजित करनेवाले विषयोंमें चित्तका भटकते रहना बहुत ही हानिकारक है । लेकिन आज तो हमारे खान-पान, पोशाक, वाचन-विचार, आनन्द-विनोद आदि सभी प्रकारके वातावरणमें सर्वत्र इसीकी प्रधानता पायी जाती है । यह तो नहीं कहा जा सकता कि सात्विक आहार करनेवाला विकारोंसे मुक्त रहता है या अुन्हें बराबर अपने अंकुशमें रक्ख ही सकता है, क्योंकि विकारोंको अंकुशमें रखनेका अधिकतर आधार मन पर है । लेकिन इसके विपरीत यह तो निश्चित है कि जो आदमी खानेपीनेमें अनियमित और असंयत रहता है, बहुत ज्यादा मिर्च-मसालोंका और मुक्किलसे पचनेवाले पदार्थोंका सेवन करता है, वह अपने विकारों पर प्रभुत्व नहीं पा सकता । इसलिये जो अपने विकारोंको वशमें रखना चाहता है, अुसे सादा और सात्विक आहार ही लेना चाहिये और आहारकी मात्रा भी अपने शरीरकी आवश्यकताके अनुकूल ही रखनी चाहिये । अल्पाहार यानी भूखसे हमेशा कुछ कम खाना, शरीर और मनको शुद्ध और नीरोग रखनेमें बहुत ही सहायक होता है ।

पोशाकके विषयमें तो आजकल हद हो गयी है । कला और सुन्दरताके नाम पर अुसमें न जाने कितनी कलाहीनता और अविचारने प्रवेश किया है । स्त्रियाँ आजकल अैसे कपड़े पहनने लगी हैं, जिनसे न तो पूरी तरह शरीर ही ढँकता है, न शरीरकी पूरी-पूरी रक्खा ही होती है । बस, देखा-देखीका बाजार गरम है — इसने आज यह पहना है,

तो कल दूसरे और परसों तीसरे भी वैसा ही पहनने लगते हैं । यों सालमें कभी बार फैशन बदलती है । और जानती हो, ये फैशन चलानेवाले कौन लोग होते हैं ? ज्यादातर नाटक और सिनेमाकी नटियाँ — अभिनेत्रियाँ ! वे जितनी खूबसूरत होती हैं, उससे अधिक दीखनेके लिये और पुरुषोंका ध्यान अपनी तरफ खींचनेके लिये पोशाकमें तरह-तरहकी तढ़क-भड़कसे काम लेती हैं । लेकिन शिष्ट या सभ्य माने जानेवाले समाजकी स्त्रियाँ जब उनका अनुकरण करती हैं, तो वह कितना भद्दा और अविचारपूर्ण मालूम होता है ? जो लोग बिना सोचे-समझे किसी चलती फैशनको अपनानेका निश्चय करते हैं, वे शिष्ट और संस्कारी कैसे कहे जा सकते हैं ?

वाचनके क्षेत्रमें भी पोशाककी-सी ही अराजकता पायी जाती है । विद्यार्थिनियोंमें आजकल उपन्यास और कहानी पढ़नेका शौक बहुत बढ़ गया है । फिर ज्यादातर उपन्यासों और कहानियोंमें विकारोंको जाग्रत करनेवाले प्रसंगोंके विस्तृत वर्णन ही विशेष रूपसे पाये जाते हैं । ऐसी किताबें बिकती भी बहुत हैं । किसी पुस्तककी बिक्रीके अंकोंसे हम समाजकी अभिरुचि और अवस्थाका माप निकाल सकते हैं । जिस समाजमें हलकी और गन्दी किताबें ही ज्यादा बिकती और ज्यादा पढ़ी जाती हैं, समझना चाहिये कि उस समाजकी मनोवृत्ति भी गन्दी और हलकी ही है । यही हाल नाटक और सिनेमाका है । नाटक और सिनेमावाले पैसा कमानेके विचारसे लोगोंकी हीन अभिरुचिको जँचनेवाली चीजें ही दिखाते हैं । वे जैसे गन्दे और कुरुचिपूर्ण खेल या फिल्में दिखाते हैं, उनमें कहीं कहीं कभी कुछ अच्छा भी पाया जाता है । इसी अच्छेको देखनेके लिये हमारे शिष्ट और संस्कारी लोग सिनेमाओंमें जाते हैं, और उनके बारेमें अपनी अच्छी राय देते हैं । लेकिन इस थोड़ी-सी अच्छाभीके साथ जो ढेरों गन्दगी और सड़ांध होती है, उस पर न तो कोअी टीका करता है, न कोअी चेतावनी देता है । अच्छे माने जानेवाले समाचारपत्र भी अिन सिनेमावालोंके बड़े बड़े सचित्र विशापन छापते हैं । हमारे विद्यार्थी वर्गके चारों तरफ आज इसी तरहका वातावरण फैला हुआ है । वह विद्यार्थी सचमुच ही बड़ा बड़भागी है, जो इस वातावरणसे अछूता रह सकता है, इससे बच जाता है, और सदा सावधान रहता है ।

हमारे देशमें राष्ट्रीय शिक्षाका जो प्रयोग बड़े पैमाने पर शुरू हुआ, उसमें सरकारी शिक्षाका त्याग तो एक निमित्त मात्र था । राष्ट्रीय शिक्षाका मुख्य हेतु तो विद्यार्थियोंको आजकलकी गुलाम मनोवृत्तिसे मुक्त करने और उन्हें स्वराज्यके सच्चे सेवक बनानेका था । उसका दूसरा हेतु यह भी था कि विद्यार्थियोंको आजकलके गन्दे और दमघोंटू वातावरणके बदले शुद्ध, पवित्र और स्वतंत्रतापूर्ण वातावरणमें रहनेका मौका मिले । राष्ट्रीय शिक्षाके सामने अिसके प्रबन्धका प्रश्न भी था । पहले हेतुको सिद्ध करनेके लिये दूसरेका प्रबन्ध अनिवार्य है । आजकल बहुत ही थोड़ी राष्ट्रीय शिक्षा-संस्थायें रह गयी हैं; लेकिन जो हैं, उनमें अिस प्रकारका शुद्ध और मुक्त वातावरण है, अथवा वैसा वातावरण रखनेका जी-जानसे प्रयत्न किया जाता है । हमारे यहाँ छात्रावासोंके सुधारका जो आन्दोलन चल रहा है, उसकी तहमें भी यही हेतु है । लेकिन ये सारी कोशिशें समुद्रमें बूँदकी तरह हैं । अिसलिये समझदार विद्यार्थियोंको तो अपने जीवनका निर्माण स्वयं ही करने लगना चाहिये । विद्यार्थीअवस्थामें मनुष्यको अपने भावां जीवनकी तैयारी करनेका जो अवसर मिलता है, उससे पूरा पूरा लाभ उठानेके लिये यह जरूरी है कि विद्यार्थी अपने जीवनको शुद्ध, संयत और बुद्धिमत्तराग बनायें । विद्यार्थियोंको अपने ब्रह्मचारी नामको सार्थक करना चाहिये । अिन्द्रियोंको उनके भोगके विषयोंकी ओर जानेसे रोकना ही ब्रह्मचर्य है । यह चोज मनुष्यके लिये सभी अवस्थाओंमें लाभदायक है, लेकिन विद्यार्थीअवस्थामें तो अिसका अपना विशेष महत्त्व है । जो विद्यार्थी विषय-विकारों और भोग-विलासोंका विचार करता है, वह विद्यार्थी हो नहीं है । चित्तको ब्रह्मचर्यमें दृढ़ रखने और अिन विचारोंसे बचनेके लिये नीचे लिखे नियम खूब सहायक हो सकते हैं :

१. परिमित आहार करना चाहिये । हमेशा थोड़ी भूख रखकर थाली परसे उठ जाना अच्छा है । दो, तीन या चार जितनी भी बार खानेका नियम हो, अुतनी बार थाली पर बैठकर ही खाना अुचित है । बीच बीचमें अगड़-बगड़ खाना मुनासिब नहीं ।

२. मिर्च मसालेवाले, तीखे और चरपरे पदार्थोंसे बचना चाहिये ।

३. नियमित व्यायाम करना चाहिये । शरीर और मनको सदा किसी न किसी अच्छे काममें लगाये रखना चाहिये । कभी निठल्ले न बैठना चाहिये ।

४. सोते ही नींदका आ जाना एक अुत्तम चीज है । बिछौने पर लेटनेके बाद जब नींद नहीं आती, तो मनमें तरह तरहके विचार आने लगते हैं । चूँकि अिन विचारों पर अंकुश नहीं रक्खा जा सकता, अिसलिये मन बुरे विचारोंमें फँस जाता है । चुनौचे दिनमें अितनी मेहनत कर लेनी चाहिये और शरीर अितना थक जाना चाहिये कि सोते ही नींद आ जाय । अिसी तरह सुबह जागते ही बिछौना छोड़ देना चाहिये । तन्द्रामें पड़े पड़े करवटें बदलते रहनेसे तरह तरहके सपने आते हैं, जो मनको डारवाँडोल कर डालते हैं । सारांश, जल्दी सोकर जल्दी अुठनेका नियम कठोरतापूर्वक पालना चाहिये ।

५. सच्चरित्र और सन्मार्गमें ले जानेवाले गुरुजनोके सहवासमें रहना चाहिये । अपने लिअे साथी भी निर्मल और सच्चरित्र ही पसन्द करने चाहिये ।

६. विषय-विकारोंको अुत्तेजित करने और अभिरुचिको भ्रष्ट करनेवाला किसी भी प्रकारका गन्दा और हीन साहित्य न पढ़ना चाहिये ।

७. नाटक, सिनेमा और हीन मनोविकारोंको जाग्रत करनेवाले खेल तमाशे न देखने चाहिये ।

८. अिसी प्रकार श्रृंगारप्रधान चेष्टाओं तथा मलिन भावोंवाले चित्र भी न देखने चाहिये । अपने साथियोंके साथ गंदी बातें भी न करनी चाहिये ।

९. मनमें मलिन विचार न आने देने चाहिये । अगर आयें, तो अुन्हें निकालनेका प्रयत्न करना चाहिये । गन्दे विचारोंका सेवन करने अथवा अुनमें रमे रहनेसे बचना चाहिये । मलिन विचारोंको मार भगानेका अुत्तम अुपाय यह है कि जब अैसे विचार आवें, तब मनको किसी अच्छे काममें लगा देना चाहिये अथवा अुस समय किसी भले आदमीकी सोहबतमें जा बैठना चाहिये ।

१०. खुशबुदार तेलों और अिन जैसी विलास प्रेरक चीजोंका अुपभोग नहीं करना चाहिये ।

११. बाल सँभारने और कपड़े पहननेमें सादगीसे काम लेना चाहिअे । कपड़े और बाल अच्छी तरह साफ़ ओर सुव्यवस्थित रहने चाहिअे । खूबसूरत दीखने या दूसरोंका ध्यान अपनी ओर खींचनेके विचारसे कपड़ोंकी या बालोंकी टीमटाममें न फँसना चाहिअे । कपड़ोंकी या बालोंकी सज्जबज्ज अैसी न होनी चाहिअे कि जिससे दूसरोंका ध्यान सहज ही हमारी तरफ़ आकर्षित हो जाय — फिर भले ही हमारा अपना अिरादा अिस तरह किसीका ध्यान आकर्षित करनेका न भी हो !

१२. भाअी-बहनका-सा नज़दीकी सम्बन्ध होने पर भी कन्याको किसी भी युवकके साथ अकेलेमें न रहना चाहिअे, बातचीत भी खुलेमें, सबके सामने, सबको सुनाअी पड़े, अिस ढंगसे करनी चाहिअे और आपसमें अेक दूसरेके शरीरका स्पर्श तो खेळ खेळमें या वैसे भी हरगिज़ न करना चाहिअे ।

अूपरके नियममें अेकान्तसेवन और स्पर्शका जो निषेध किया है, अुसके खिलाफ़ मैंने कअी युवक युवतियों और कअी बड़े बूढ़ोंको भी शिकायत करते सुना है । युवक युवती यह सोचते हैं कि अुन पर विस्वास न होनेके कारण यह नियम सुझाया गया है । लेकिन अिस सलाह और नियमकी तहमें अविस्वासका कोअी विचार नहीं है । जो युवक और युवती अपने अूपर अिस तरहका कोअी अंकुश नहीं रखते, और मनमानीसे काम लेते हैं, वे अेक तरहका घोर दुस्साहस ही करते हैं । शुरूमें मनके अन्दर किसी तरहका विकार नहीं होता, लेकिन अेकान्त सेवनका अवसर मिलते ही विकार कब और किस प्रकार मनमें प्रवेश कर जाता है, अिसका कोअी खयाल अनभिज्ञ (अनुभवहीन या अज्ञान) युवक युवतियोंको नहीं रहता । यही हाल स्पर्शका है । शुरूमें स्पर्श चाहे निर्दोष भावसे हुआ हो, लेकिन अुसमेंसे विकार कब जाग्रत हो अुठेगा, कहना कठिन है । अतअेव अेक महत्त्वपूर्ण सावधानीके रूपमें यह नियम सुझाया गया है । लड़के और लड़कियोंका अथवा लड़कियों लड़कियोंका भी आपसमें अेक दूसरेको छातीसे लगाना, परस्पर गलेमें हाथ डालकर घूमना, अेक-दूसरेकी गोदमें सिर रखकर सोना अच्छा नहीं है । अिन चैष्टाओं और

क्रीड़ाओंमें मुरुचि और शिष्टाचारका भंग तो होता ही है। अिन निर्दोष प्रतीत होनेवाली ऐसी चेष्टाओंके परिणाम कभी कभी अनिष्ट भी सिद्ध हुआ है।

अपरके सभी नियम युवकों और युवतियोंको निर्विकार रहने और ब्रह्मचर्यका पालन करनेमें ठीक ठीक सहायक हो सकते हैं, लेकिन अिनकी सफलताका मुख्य आधार तो आखिर अुनके अपने प्रयत्नों पर, मनोबल पर और हृदय निश्चय बल पर ही है।

२

कुंवारीसे

विद्यार्थीजीवन समाप्त करनेके बाद बहुतेरी नवयुवतियों और नवयुवक विवाह करके गृहस्थाश्रममें प्रवेश करते हैं। बिरले ही आजन्म अविवाहित रहते हैं। जो अिनेगिने अिस तरह जिन्दगीभर अविवाहित या ब्रह्मचारी रहते हैं, अुनमें ज्यादातर तो पुरुष ही होते हैं। जीवनभर कुंवारी रहनेवाली स्त्रियाँ बहुत ही थोड़ी, बिरली ही पायी जाती हैं, अिसीलिअे हमारे यहाँ यह कहावत चल पड़ी है कि 'बूढ़े तो कुंवारे देखे हैं, लेकिन कोअी बूढ़ी भी कुंवारी देखी है?' अिस कहावतका अेक अर्थ यह भी है कि स्त्री कुंवारी रहकर स्वतंत्र जीवन बिता ही नहीं सकती। हमारे समाजमें स्त्रियोंके लिअे तुच्छता और अविश्वासका जो वातावरण है, यह कहावत अुसका अेक सबूत है।

आजकल तो हमारे देशको अेक दो नहीं, बल्कि अनेक नौजवान ब्रह्मचारियों और ब्रह्मचारिणियोंकी जरूरत है। देशमें जो ढेरों काम पड़ा हुआ है, वह तभी पूरा हो सकता है, जब अुसे करनेके लिअे सुगठित शरीर और सुदृढ़ मनवाले अनेक आजन्म कौमार व्रतधारी नौजवान और नवयुवतियों आगे आयेँ और अपने आपको काममें खपा दें। स्वामी विवेकानंदने अेक जगह लिखा है :

“मुझे तो आज फौलादकी तरह मजबूत स्नायुओंवाले सेवकों और सेविकाओंकी आवश्यकता है। अुनके वज्र समान सुदृढ़ शरीरमें मन भी

वज्रवत् दृढ़ होना चाहिये । अनमें क्षत्रियोंका वीर्य और ब्राह्मणोंका तेज होना चाहिये । किन्तु हाय ! हमारे लाखों सुन्दर नवयुवकों और नव-युवतियोंका प्रतिवर्ष वध होता है । लोग उस पशुताकी मोहिनीसे मुग्ध हैं, जो समाजमें विवाहके नामसे प्रसिद्ध है । हरसाल लाखों नौजवान और नवयुवतियाँ अपनेको इस बन्धनमें जकड़बन्द पाती हैं । ”

अन बचनोंकी सचाओका प्रमाण देखना हो तो हरसाल सहालगमें यानी अगहनसं चैत्र तकके महीनोंमें नगर नगर और गाँव गाँवमें जो बाने निकलते हैं और बारातें सजती हैं, वे देखनी चाहियें । क्रान्दनके अनुसार अठारह सालसे कम अुम्रके लड़के और चौदह सालसे कम अुम्रकी लड़कीका ब्याह करना अपराधमें शुमार है, मगर लोग अस क्रान्दनकी भी परवाह नहीं करते, और अपने पागलपनकी धुनमें क्रान्दन द्वारा निश्चित अुम्रसे कम अुम्रके लड़कों और लड़कियोंका ब्याह कर डालते हैं । माता पिताओंको अपने बच्चोंकी शिक्षा-दीक्षाकी अुतनी चिन्ता नहीं रहती, जितनी लड़केके लिये बहू अथवा लड़कीके लिये लड़का ढूँढ देने और अुन्हें बेडियोंसे बाँध देनेकी चिन्ता रहती है ।

फिर भी जो जातियाँ सुधरी हुअी और आगे बड़ी हुअी मानी जाती हैं (हालाँकि अनकी संख्या देशकी जनसंख्याकी तुलनामें बहुत ही थोड़ी है), अनमें अब बाल-विवाह प्रायः बन्द हो चुके हैं । अन जातियोंमें बड़ी अुम्र तक, कुछ अंशोंमें आवश्यकतासे अधिक बड़ी अुम्र तक, अविवाहित रहनेकी प्रवृत्ति बढ़ती पाओ जाती है । यह प्रवृत्ति तभी अच्छी मानी जा सकती है, जब असके गर्भमें कोओ अुच्च अुद्देश्य हो, निश्चित आदर्श हों, और अस प्रकार अविवाहित रहनेवाले अपने आचरण और अपनी रहन-सहनको कुमारावस्थाके अनुरूप शुद्ध और पवित्र रखते हों । पवित्र और संयत जीवन त्रितानेके अुद्देश्यसे और जीवनको अधिक अुपयोगी व सेवापरायण बनानेके त्रिचारसे अविवाहित रहनेवाले धन्य हैं : अनके अस व्रतसे बढ़कर भव्य दूसरा कोओ व्रत नहीं । दूसरी तरफ यह भी निश्चित है कि जो लोग — फिर वे स्त्री हों या पुरुष — केवल सुभीतेके खयालसे कुँवारे रहते हैं, या अधिकसे अधिक देरमें शादी करते हैं और साथ ही बिना किसी विशिष्ट शुभ अुद्देश्यके अनियमित और

अव्यवस्थित जीवन बिताते हैं, वे समाजके अन्दर नाना प्रकारके विघ्न खड़े करते हैं। जैसे लोग गृहस्थाश्रमके बोझ और असुकी झंझटोंसे घबराकर अविवाहित रहना पसंद करते हैं। अपने विकारोंको वशमें रखनेके लिये जिस सतत प्रयत्न और जाग्रतिकी आवश्यकता रहती है, उसका अनेक जीवनमें कोई स्थान नहीं होता, अिसलिये वे कुँवारे नहीं रह सकते। मन विकारों और भोग-विलासोंमें रमा रहता हो, वासनार्ये अुद्दाम बनकर बाहर प्रकट होनेको छटपटाती हों, और अुन्हें समाज द्वारा मान्य रीतिसे मार्ग न मिलता हो, तो जीवनमें दम्भ और सङ्घ प्रवेश कर जाती है। अतः प्रेव जिन्हें आजीवन अविवाहित रहना हो या काफी बड़ी अुम्र तक विवाह न करना हो, अुन्हें अपने जीवनको किसी निश्चित आदर्शकी ओर प्रवृत्त करना चाहिये, निरन्तर शुभ कार्योंमें लगे रहना चाहिये, और अपनी रहन-सहन, आचार-व्यवहार आदिमें पवित्रता, सचायी, सादगी, कष्टसहिष्णुता, नियमितता, गांभीर्य, आदि गुणोंका विकास करना चाहिये।

यह सब तो अविवाहित युवक और युवती दोनोंके लिये है। अब विशेषकर कन्याओंके लिये ध्यानमें रखने योग्य कुछ बातोंके विषयमें तुम्हें सावधान कर देना चाहता हूँ। बड़ी अुम्रकी कुँवारी कन्याओंको विविध कारणोंसे अनेक नवयुवकोंके सम्पर्कमें आना ही होगा। कुछ नवयुवक, जिनमें हृदयकी शुद्धता और दृढ़ता नहीं होती, अपनी लच्छेशर बातोंसे और शरीरकी टीमटामसे भोलीभाली कन्याओंको भुलावेमें डालकर फँस लेते हैं। अिसका यह मतलब नहीं कि अिसमें कन्याओंका कोई दोष ही नहीं होता। अपने शारीरिक सौन्दर्यके मिथ्याभिमानमें फँसकर कुछ कन्यार्ये यह सोचने लगती हैं कि किस तरह अनेक नवयुवक अुनकी ओर आकर्षित होते हैं! फलतः वे जैसे नवयुवकोंके साथ स्वतंत्रतापूर्वक बातचीत करनेके अवसर खड़े करके अुन्हें अपनी ओर आकर्षित होनेको अुत्तेजित करती हैं। अिस प्रयत्नके सिलसिलेमें कभी भोच्यी और अवोच्य युवतियाँ युवकोंके साथ शारीरिक सम्बन्धकी हद तक जा पहुँचती हैं; और जो अधिक चालाक या धूर्त होती हैं वे अिस खयालसे नवयुवकोंके साथ छेड़खानी करती रहती हैं कि अुन्हें आखिरी हद तक नहीं जाना है, बल्कि र्यो ही थोड़ा मनबहलाव

कर लेना है। यह भी मिथ्याभिमानका ही एक प्रकार है। जिसमें भी अपनी वासनाओंको सूक्ष्म रूपसे तृप्त करनेकी इच्छा ही मुख्य रहती है, जिससे अन्तमें शरीर, मन और चरित्रकी अतिशय हानि होती है।

कुछ नवयुवकों और नवयुवतियोंको परस्पर वादविवाद करनेका बड़ा शौक होता है। जैसे लोगोंकी चर्चाके मुख्य विषय प्रायः ये होते हैं : स्त्री श्रेष्ठ है या पुरुष; विवाह सम्बन्धी सामाजिक बन्धन अष्ट हैं या अनिष्ट; स्त्रीको समान अधिकार होना चाहिये या नहीं, आदि-आदि। चर्चाके दरम्यान वे एक दूसरेकी दलीलोंका खण्डन करते हैं। अिन वाद-विवादों या चर्चाओंको रूप ऐसा दिया जाता है, मानो ये बिलकुल निर्दोष भावसे केवल प्रश्नको स्पष्ट करनेके लिये ही छेड़ी गयी हों। लेकिन असलमें अिनका हेतु अिस प्रकारकी चर्चाओंके बहाने एक दूसरेके विशेष परिचयमें आनेका और एक दूसरेको आकर्षित करनेका ही होता है। अिसलिये अिस तरहकी चर्चाओंमें शामिल होनेसे पहले सोच-समझकर सावधानीके साथ अुनकी मर्यादा निश्चित कर लेनी चाहिये।

यहाँ यह भी समझ लेना चाहिये कि कुछ नौजवान जिन लड़कियोंको चाहते हैं, अुन्हें फँसानेके लिये कैसी कैसी तरकीबें रचते हैं। ये लोग अैसी लड़कियोंके छोटे-मोटे कामोंमें बड़ी तत्परतासे अुनकी मदद करते हैं, अुन्हें छोटी मोटी चीजें अुपहार स्वरूप भेंट करते हैं, अुनकी सहूलियतों और आवश्यकताओंका पहलेसे विचार करके तदनुकूल सारी तैयारी कर रखते हैं। अिस तरह वे अुन्हें अपने अुपकार तले ले आते हैं। फिर अपनी परिस्थिति और अपने सुख-दुःखके बारेमें करुणा-जनक चर्चा करके वे युवतियोंमें कृतज्ञताके साथ-साथ दया और सहानुभूतिकी भावना भी अुत्पन्न करते हैं। अिस प्रकार जब किसी युवतीके मनमें अुनके प्रति आकर्षण बढ़ जाता है, तब वे मौका पाकर अुसके साथ कभी थोड़ा अमर्याद व्यवहार भी कर लेते हैं। जैसे समय युवतीका ध्यान या तो अुस तरफ जाता नहीं, या वह अुसकी अुपेक्षा कर जाती है। अिस तरह बात बढ़ती रहती है। अिसी दरम्यान अगर युवक कोअी अनुचित प्रस्ताव करता है, तो युवती कृतज्ञता और दयाके वशीभूत होकर अुसके जालमें फँस जाती है। आम तौर पर जिन्यों

अधिक भावनाप्रधान होती हैं। जिसलिये जिन्हें ज्यादा अनुभव नहीं होता, वे ऐसे प्रपंचोंमें जल्दी फँस जाती हैं। और सिर्फ कुंवारी युवतियों ही नहीं, बल्कि कभी कभी तो उनकी मातायें भी जिस मुलावेमें फँस जाती हैं। युवतीकी ओर ध्यान देनेसे पहले कुछ नौजवान युवतीकी माँ पर ध्यान देते हैं। वे उसे अपने अपकारोंसे उपकृत करते हैं, उसके मनमें अपने लिये दया और सहानुभूतिकी भावना पैदा करते हैं, और जिस प्रकार एक बार परिवारमें प्रवेश करनेके बाद समय पाकर विश्वासघात करते हैं।

यह तो छल और प्रपंचकी बात हुआ। लेकिन वैसे भी कन्याओंको हमेशा सावधान रहना चाहिये। हो सकता है कि युवती या युवकके दिलमें कोई पाप न हो, दोनों निर्दोष हों, तो भी यदि आगे चलकर उन्हें विवाह बंधनसे बँधना न हो, या बँध सकनेकी अनुकूलता न हो, तो उनके लिये जीवनमें ऐसे प्रसंग बढ़ाना अचित्त नहीं, जिनके फलस्वरूप विवाह आवश्यक हो पड़े। सम्भव है कि शुरूमें किसीके दिलमें किसी तरहका अनुचित भाव एक दूसरेके लिये न हो, फिर भी जैसे जैसे सम्पर्कके अवसर बढ़ते जाते हैं, आकर्षण उत्पन्न हुआ बिना नहीं रहता। अतएव युवकों और युवतियोंको मर्यादामें रहकर ही ऐसे अवसरोंका अपयोग करना चाहिये। युवकों और युवतियोंको एक साथ पढ़ते हुए और एक साथ काम करते हुए एक दूसरेसे बोलने-बतलाने और हिलने-मिलनेके अनेक अवसर मिलते हैं। अब स्त्रियों सार्वजनिक कामोंमें भी आगे बढ़कर हाथ बँटाने लगी हैं। यह भी सच है कि अपनी वर्तमान दलित दशासे अपूर अठनेके लिये स्त्रियोंको चक्की-चूल्हेके दायरेसे आगे बढ़कर विशाल क्षेत्रमें प्रवेश करना ही होगा, और जिस सिलसिलेमें उन्हें तरह तरहके पुरुषोंके सम्पर्कमें भी आना पड़ेगा। जिसलिये उन्हें अपनी कुछ मर्यादायें तो निश्चित कर ही लेनी चाहियें। विवाहित और अविवाहित सभी युवतियोंके लिये मुझे तो यह आवश्यक मालूम होता है कि वे बातचीतमें और पहनने-ओढ़नेमें गाम्भीर्यका खयाल रखें, आँखों द्वारा या शरीरके किसी दूसरे अंग द्वारा शृंगारसूचक हावभाव या अिधारे न करें, और न पहनने-ओढ़नेमें या बाल बगैरा

सँवारनेमें ऐसी टीमटामसे काम लें, जिससे दूसरोंका ध्यान उनुकी ओर खासतौरसे आकर्षित हो ।

स्त्री-पुरुषके बीचकी अतिरेकपूर्ण स्वतंत्रताके फलस्वरूप अभी अभी गुजरातमें कुछ ऐसे अवांछनीय विवाह हुआे हैं, जिनके कारण हमारे समाजको जबरदस्त आघात पहुँचा है । कन्याओंने ऐसे पुरुषोंके साथ विवाह किया है, जिनकी पहली स्त्री मौजूद है, और जिन्हें उस स्त्रीसे बाल-बच्चे भी हैं । अनि स्त्री-पुरुषोंमेंसे कुछ तो समाजमें जिम्मेदारीके पदों पर काम करनेवाले थे । अेक दो मामलोंमें तो पुरुष कन्याके अभिभावक-से थे । अनि विवाहोंके कारण सामाजिक सुधारोंकी प्रगतिमें बड़े बड़े विघ्न खड़े हो गये हैं । और, विशेषकर स्त्रियोंकी मुक्तिके प्रश्नको तो अनिके कारण बहुत ही हानि पहुँची है । ये पुरुष पुरुषजातिके लिअे कलंकरूप और स्त्रीजातिके शत्रु सिद्ध हुआे हैं । और अनि कन्याओंने अपनी जातिका घोरसे घोर द्रोह किया है । अगर उनमें नम्रतापूर्वक यह स्वीकार करनेकी हिम्मत होती कि अपनी विषय-वासनाके वश होकर उन्होंने यह कृत्य किया है, तब भी कोअी बात थी । लेकिन वे तो अपनी सफाअीमें प्रेम और विवाहके अनि विचारोंको अुदाहरणके रूपमें पेश करते हैं, जिनका अुल्लेख हमारे गुजराती साहित्यमें कलापीने और दूसरे अनेक कवियों और लेखकोंने बहुत ही विकृत रूपमें किया है । हमारे साहित्यमें प्रेम-विवाहोंकी अच्छीसे अच्छी और बुरीसे बुरी चर्चा मौजूद है । कहा जाता है कि समाजमें आजकल प्रायः प्रेमरहित विवाह ही होते हैं, अतअेव किसी योग्य प्रेमीके मिलने पर अससे पुनर्विवाह करनेमें क्या हर्ज है ? प्रेमको विवाहसे विलग रखना अिष्ट है क्या ? लेकिन अनि विधानोंमें न तो प्रेम शब्द अपने सच्चे अर्थमें प्रयुक्त होता है, न विवाहके स्वरूपका ही किसीको ममुचित खयाल होता है । विषय-वासनाको प्रेमका नाम दे दिया जाता है, और कहा जाता है कि विवाह, अससे सम्बद्ध होनेवाले दो व्यक्तियोंके बीचका अेक निजी प्रश्न है । लेकिन दर असल विवाह अेक सामाजिक संस्था है । असका जन्म भले ही मनुष्यकी शारीरिक आवश्यकताओंकी पूर्तिके लिअे हुआ हो, लेकिन असका अन्तिम अुद्देश्य तो अपना और समाजका परम श्रेय और परम

मंगल ही है। विवाह विकारोंको बेलगाम या निरंकुश बनानेके लिये नहीं, बल्कि विकारोंका नियमन और शमन करनेके लिये है। जिस विवाहमें समाज-व्यवस्थाकी सुर्यितिका और विश्वकी नैतिक व्यवस्थाका विचार नहीं किया जाता, जिसमें केवल व्यक्तिगत सुखोपभोग और स्वार्थका ही विचार होता है, वह हीन विवाह है। ऐसे विवाहका परिणाम चरित्रकी हीनता और सर्वनाश ही हो सकता है। जिन अनिष्ट विवाहोंकी चर्चा में ऊपर कर चुका हूँ, वे दग्ध, झूठ और विश्वासघातसे परिपूर्ण थे। ऐसे विवाह स्त्रीजातिके लिये अपमान जनक हैं, अतः स्त्रियोंको अिनका खास तौरपर तीव्र विरोध करना चाहिये।

कन्याओंको कुछ बातोंमें विशेष रूपसे सावधान रहनेकी जरूरत है, इसकी चर्चा करते करते अिन आधुनिक अनिष्ट विवाहोंका अुल्लेख करना पड़ा और अुसके सिलसिलेमें विवाह सम्बन्धी कुछ चर्चा भी हो गयी। विवाहका कुछ विस्तृत विचार तो हम अगले पत्रोंमें करेंगे। यहाँ थोड़ेमें यही कहा चाहता हूँ कि पवित्रताका आग्रह, स्वाभिमानका तीव्र भान और विवेक अेवं मर्यादासे युक्त व्यवहार या आचरण किसी भी हालतमें हर किसी मनुष्यके लिये आवश्यक है; किन्तु कुंवारी कन्याओं और युवतियोंके लिये तो यह विशेष रूपसे भूषण रूप है।

विवाहकी अचित वय

मनुष्यके जीवनमें विवाह अक बड़े महत्वकी घटना है । क्योंकि असमें अपने साथीको चुनकर जीवनभर उसके साथ रहनेका प्रश्न समाया हुआ है । अतएव स्त्री-पुरुषोंका जीवन तभी सुखी हो सकता है, जब वे अचित अग्रमें सोच-समझकर विवाह करते हैं । पहले हम यह विचार करेंगे कि विवाह किस अग्रमें करना अष्ट है । बादमें साथीको चुनने या पसंद करनेके प्रश्न पर सोचेंगे ।

हमारे हिन्दू समाजमें पुराने विचारके लोगोंका यह विश्वास है कि कन्याका न्याह रजोदर्शनसे पहले कर देना चाहिये । कुछ लोगोंका यह खयाल है कि कुँवारी स्थितिमें कन्याको रजोदर्शन हो जानेसे कन्याके माता पिता महापापके भागी बनते हैं । तुमसे यह कहनेकी जरूरत तो न होनी चाहिये कि लोगोंकी यह धारणा अुनके मूर्खतापूर्ण अन्धविश्वासका परिणाम है । मैं मानता हूँ कि यदि हमसेसे कोअी अस समय तुम्हारे न्याहकी चर्चा चलाने जितना मूर्ख बन भी जाय, तो भी तुम हमारी अस मूर्खताका विरोध ही करोगी । अस पुरानी मान्यताकी तहमें विचार तो यह रहा है कि रजोदर्शनके बाद तुरन्त ही कन्या गर्भधारणके योग्य बन जाती है । लेकिन मैं कह चुका हूँ कि यह अक भयंकर मूल है । गर्भधारण करनेके और बालकको जन्म देनेके सभी अवयवोंको भली-भाँति विकसित और पुष्ट होनेमें रजोदर्शनके बाद भी कमसे कम चार-पाँच साल तो लगते ही हैं । असका यह मतलब नहीं कि अससे पहले कन्या गर्भधारण कर नहीं सकती । आज हमारे सामाजमें लड़कियोंका न्याह बहुत छोटी अग्रमें कर दिया जाता है, और चौदह या पन्द्रह सालकी अग्रमें तो वे मातायें बनती नजर आती हैं । यह अक घोर अनर्थ है । अुनकी अपनी तन्दुरुस्तीके खयालसे भी यह चीज़ बहुत ही नुकसानदेह है । अस अग्रमें स्त्रीके अवयव अपरिपक्व और सुकुमार होते हैं । अपनी अस सुकुमार अवस्थामें जब स्त्री पर गर्भधारण और प्रसवका बोझ पड़ता है, तो

असका शरीर कुम्हला जाता है । जवान लड़कियाँ बूढ़ी औरतों-सी नजर आती हैं । दूसरे, अपने सभी अवयवोंके परिपक्व और दृढ़ बननेसे पहले मातायें जिन बालकोंको जन्म देती हैं, वे बालक भी ताकतवर नहीं होते । चौदह-पंद्रह सालकी बालिकाका शरीर तो फूलकी कलीके समान होता है । हम कलीको तोड़कर उसकी पँखुड़ियोंको फूलकी तरह खिली हुआ दिखाना सकते हैं, लेकिन इस तरह जबर्दस्ती खिलाया हुआ वह फूल जल्दी ही सुरक्षा जाता है । कलीका विकास स्वाभाविक रूपमें होना चाहिये; उसकी पँखुड़ियाँ अपने आप चटकनी और खिलनी चाहियें । तभी फूलमें सौन्दर्य आ सकता है । चौदह-पंद्रह सालकी कन्या स्त्री-कली है । पूरी तरह विकसित होकर सुन्दर स्त्री-पुष्प बननेके लिये उसे थोड़ा समय चाहिये । हमें प्रकृतिको उसका काम उसके अपने ढंगसे और अपने समयानुसार करने देना चाहिये । केवल शरीरकी दृष्टिसे सोचे तब भी विवाहकी अचित वय तो वही मानी जानी चाहिये, जब कन्याका शरीर पूरी तरह विकसित हो चुका हो, और उसके सभी अवयव सुदृढ़ बन चुके हों ।

लेकिन अकेले शरीरका विचार करना काफी नहीं है । गर्भधारण करके बालकको जन्म देनेसे पहले कन्यामें बालककी सार-सँभाल और उसका लालन पालन आदि करनेकी योग्यता भी आ जानी चाहिये । माता बननेकी योग्यता उत्पन्न होनेसे पहले कन्याका विवाह कर देना एक प्रकारकी मूर्खता ही है । सोचनेकी बात है कि क्या पंद्रह-सोलह सालकी एक लड़की, जिसका सारा ध्यान खेलकूद और लिखने-पढ़नेमें लगा हो, माता बननेकी जिम्मेदारी अठा सकती है ?

फिर शादीके बाद कन्यापर गृहस्थी चलानेका बोझ आ पड़ता है । स्पष्ट है कि उस समय उसको विद्याध्ययनके लिये विलकुल समय नहीं मिलता, या बहुत ही कम मिलता है । इसलिये हरएक युवक और युवतीको शादीसे पहले ठीक ठीक विद्याध्ययन कर लेना चाहिये । अगर युवक और युवतियाँ बीस बरसकी अग्रे तक केवल विद्याभ्यासमें ही जुटी रहें, तो वे अपने भावी जीवनके लिये अच्छी तरह तैयार हो सकती हैं ।

विवाहकी वयका निश्चय करते समय अेक और विचार भी कर लेना आवश्यक है । सन्तान जबतक विद्याभ्यास करती है, अुसके भरण-पोषणका भार माता पिताके सिर रहता है । लेकिन अभ्यास समाप्त होनेके बाद अुसे अपना भरण-पोषण स्वयं कर लेना चाहिये, और अुस समय तक यदि माता पिता वृद्ध हो गये हों, तो अुनका पोषण भी करना चाहिये । अिसलिअे यह नियम सहज ही समझमें आने लायक है कि जबतक मनुष्य स्वयं अपना भरण-पोषण करने योग्य न हो जाय, अुसे ब्याह न करना चाहिये । लेकिन कन्याओंके सम्बन्धमें आज समूची दुनियामें प्रायः सर्वत्र यही प्रथा प्रचलित है कि जबतक कन्या छोटी रहे, माता पिता अुसका पालन-पोषण करें, और जब बड़ी होकर ब्याह करे तो पति अुसका भरण-पोषण करे । तिस पर आज हमारे समाजकी हालत तो यह है कि लड़के अैसी अुन्न और अवस्थामें पति और पिता बन बैठते हैं, जब कि वे अपना निर्वाह खुद कर ही नहीं सकते । लेकिन यह तो हम लोगोंकी मूर्खता ही है । किसी भी नवयुवकको स्वावलम्बी बननेसे पहले ब्याह न करना चाहिये । और मैं तो कन्याओंके लिअे भी यही कहता हूँ कि हरअेक कन्याको तबतक ब्याह न करना चाहिये जबतक अुसमें अपनी आजीविकाके अुपार्जनकी शक्ति न आ जाय । अिसका यह मतलब नहीं कि सभी स्त्रियोंको कमाने जाना चाहिये । विवाहके बाद कमानेका काम पुरुषके और घर चलाने, बच्चोंका लालन-पालन करने और अुन्हें पढ़ाने-लिखानेका काम भले स्त्रीके जिम्मे रहे । लेकिन स्त्रीमें अितनी शक्ति तो आ ही जानी चाहिये कि आवश्यकता पड़ने पर वह स्वतंत्र रूपसे अपनी आजीविकाका प्रबंध कर सके । जबतक यह शक्ति प्राप्त न हो जाय, किसी कन्याको ब्याहका विचार ही न करना चाहिये ।

अुस दिन अेक कन्याने बातचीतके सिलसिलेमें मुझसे कहा कि अगर अुसमें अपने आप अपनी आजीविकाका ठीक ठीक प्रबंध करनेकी योग्यता आ जाय, तो वह विवाहका नाम ही न ले । लेकिन अिस तरह माता पिता अथवा भाओंके सिरका बोझ बनकर रहना अुसे अच्छा नहीं लगता । अिसका साफ मतलब यही हुआ कि वह कन्या किसी प्रकारका आर्थिक आधार प्राप्त करनेके लिअे ही विवाह किया चाहती है । यद्यपि

अस कन्याके सम्बन्धमें मेरा अपना विचार यह है कि उसके सामने सिर्फ़ यही एक सवाल न रहा होगा। अब तकके विवेचनसे यह बात तो तुम्हारे ध्यानमें आ ही चुकी होगी कि विवाह एक शारीरिक आवश्यकता भी है। लेकिन अक्त कन्याके मनमें आर्थिक अवलम्बका जो विचार पैदा हुआ सो अधिकांश कन्याओंके मनमें होता है सही। और हकीकत भी यही है कि आज सारी दुनियामें ज्यादातर स्त्रियाँ अपनी आजीविकाके लिये पुरुषों पर निर्भर करती हैं। स्त्रियोंकी पराधीनता और दलित्वावस्थाके अनेकानेक कारणोंमें यह भी एक बड़ा और महत्त्वका कारण है। इसलिये मैं तो हरएक कन्याको यही सलाह दूँगा कि वह आर्थिक आधारकी दृष्टिसे हरगिज विवाह न करे। विवाहसे पहले अपना निर्वाह करनेकी शक्ति तो हरएकका प्राप्त कर ही लेनी चाहिये।

हमारे समाजमें जब कन्याके लिये वरके चुनावका सवाल खड़ा होता है, तो वरकी अपनी योग्यताके सिवा उसकी आर्थिक स्थितिका अर्थात् पारिवारिक सम्पत्तिका भी विचार किया जाता है। ब्याहके समय कन्याको आभूषणोंके सिवा दहेजमें नकद रुपये देनेकी प्रथा भी कभी जातियोंमें पायी जाती है। अिन विचारों और रीत-रिवाजोंका मूल हेतु यही मालूम होता है कि अगर स्त्रीको पतिका आधार न रह जाय, तो वह पतिके परिवारकी सम्पत्तिसे अथवा उसे दहेजमें मिले हुअे धनसे अपना भरण-पोषण भलिभाँति कर सके। इसमें लड़कीको शुरूसे अपंगमाना गया है। लड़कीकी यह दशा अतिशय शोचनीय है। जबतक हमारी लड़कियाँ इससे मुक्त न होंगी, समाजसे स्त्रियोंकी पराधीनता भी न मिटेगी। अभी अस दिन एक कन्याके पिता अपनी कन्याके लिये कितनी सुयोग्य वरके बारेमें मुझसे कहते थे कि आपकी जानमें वैसा कोअी वर हो तो आप बतलाअिये। मैंने अुन्हें एक नवयुवकका नाम सुझाया। यह युवक अच्छा काम करता है और विवाहके बाद अपनी कमाअीसे अपना और अपनी पत्नीका भरण-पोषण कर सकता है। लेकिन अक्त सज्जनने तुरन्त ही मुझसे कहा कि लड़केके पास न तो निजकी जायदाद है और न निजका घर ही है। अगर देवयोगसे वह न रहा, तो . . . बहनका क्या होगा। मैंने छूटते ही कहा कि जिस दिन वह न होगा, अस

दिन बहनेके अपने हाथ-पैर तो होंगे न ? अितनी पढ़-लिखकर और सयानी होकर क्या वह अपना निर्वाह भी नहीं कर सकती ? अगर उसमें अितनी भी हिम्मत न हो, तो अुराका पढ़ा-लिखा सब व्यर्थ समझना चाहिये । विवाह आर्थिक आधारकी प्रातिके लिये हरगिज न होना चाहिये । यही नहीं, बल्कि जिस तरह आज हमारे समाजमें पुरुष कमाता और स्त्री तथा परिवारका भरण-पोषण करता है, उसी प्रकार आवश्यकता पड़ने पर स्त्रीके अन्दर भी अितनी ताकत होनी चाहिये कि वह खुद कमाकर पुरुषका और सारे परिवारका भरण-पोषण कर सके । मान लीजिये कि विवाहके बाद किसी कारणवश पुरुष अपंग या अशक्त हो जाय । ऐसे समय स्त्रीको दानता न दिखानी चाहिये । उसमें घर चलानेकी हिम्मत होनी चाहिये । मैं तो ऐसे दृष्टान्तकी भी कल्पना करता हूँ, जिसमें पुरुष और सब प्रकारसे सुयोग्य होनेपर भी कमानेकी योग्यता न रखता हो, अथवा किसी कारणवश धन कमानेकी ओर उसकी रुचि या ध्यान न हो, और स्त्री स्वयं कमाकर घरका खर्च चलाती हो । लेकिन याद रहे कि मैंने ऊपर जो अुदाहरण दिये हैं, वे प्रत्येक समाजमें अपवाद स्वरूप ही रहनेवाले हैं । अर्थोपार्जनके लिये आज बाजारमें जो घोर संघर्ष चल रहा है, प्रकृतिने स्त्रीको उसके लिये बनाया ही नहीं है । कुदरतने पुरुषको चौड़े कंधे और पुष्ट स्नायु अिसलिये दिये हैं कि वह मेहनत मजदूरी करे, सर्दी-गर्मीमें भटके और परिवारके भरण-पोषणका भार अुठावे । स्त्रीका पैरू और नितम्बवाला प्रदेश अधिक चौड़ा होता है । जननेन्द्रिय सम्बन्धी सभी अवयव अिसी भागमें हैं, और सन्तानोत्पादनका भार अुन्हींको अुठाना पड़ता है । बालकको अपने पेटमें धारण करके उसके संगोपन और संवर्धनका काम प्रकृतिने स्त्रीको सौंपा है । पुरुष नया नया अुत्पन्न करता है और स्त्री उसकी रक्षा करती है । यह कार्य विभाग केवल प्रजोत्पत्तिके क्षेत्रमें ही नहीं, बल्कि घर गृहस्थीके दूसरे कामोंमें भी दोनोंके बीच कायम रहता है । अिस दृष्टिसे विचार करने पर यह चर्चा ही निरर्थक मालूम होती है कि दोनोंमें श्रेष्ठ कौन — स्त्री या पुरुष ? कुदरतने किसीको किरीसे घांटया नहीं बनाया । अपने अपने क्षेत्रमें दोनों श्रेष्ठ हैं । लेकिन अिसमें शक नहीं कि आज समाजने स्त्रीको

बहुत ही हल्का पद दे रखा है। समाजके अिस अन्यायको नष्ट करके स्त्रीको अपना प्रकृत स्थान, जो पुरुषसे किमी भी प्रकार कम नहीं है, पुनः प्राप्त करना है। हरएक कन्याको ब्याहसे पहले अिसके लिये आवश्यक शक्ति प्राप्त करनेका ध्येय अपने सामने रखना चाहिये।

कोअी भी कन्या यह सारी तैयारी कमसे कम अठारह सालकी उमरसे पहले तो शायद ही कर सकती है। अिसलिये अिस उम्रसे पहले तो उसे विवाहका विचार भी न करना चाहिये। अपने जीवनका यह समय उसे विद्याध्ययनमें, भावी जीवनके लिये तैयार होनेमें और योग्यता प्राप्त करनेमें बिताना चाहिये। अठारह सालकी यह उमर तो कमसे कम उमर है। यदि कोअी लड़की ब्याहके लिये बहुत ही अधीर मालूम पड़े, तो मैं उसे अिस उम्रमें विवाह कर लेनेकी सलाह देनेमें न हिचकूँगा। लेकिन मेरा आग्रह तो यह है कि कन्याओंके लिये साधारणतः ब्याहकी उम्र बीस या अिबकीस वर्षकी मानी जानी चाहिये।

हमारे यहाँ अेक अन्धविश्वास और भी प्रचलित है, और वह यह है कि चूकि हमारे देशकी आबोहवा गरम है, हमारे लड़कों और लड़कियोंमें काम-वासना जल्दी जाग्रत होती है, और अिसीलिये वे जल्दी ब्याह करने लायक बन जाती हैं। हमें अिस अन्धविश्वाससे तुरन्त मुक्त हो जना चाहिये। काम-वासनाका सम्बन्ध आबोहवाकी अपेक्षा आसपासकी सामाजिक परिस्थिति और मानसिक तथा नैतिक वातावरणके साथ अधिक होता है। अगर बचपनसे ही लड़कियोंके सामने ब्याहकी और समुराल जानेकी बातें की जायँ, वे अुपन्यासों और नाटकोंमें प्रेमके शिकार स्त्री-पुरुषोंकी कहानियाँ पढ़ा करें और वैसे ही नाटक व सिनेमा देखा करें, तो धुनमें कामविकारके जल्दी अुत्पन्न होनेकी सम्भावना रहती अवश्य है। मनमें गन्दे विचारोंको स्थान देने और मित्रों या सहैलियोंके साथ सदा गन्दी बातें करनेसे भी काम-विकार अुत्पन्न हो सकता है। अिसलिये अिस विकारसे दूर रहनेका अुत्तम अुपाय यही है कि अिन सब बातोंसे ही बिलकुल दूर रहा जाय।

कुछ अंशोंमें काम-विकारका सम्बन्ध आहारके साथ भी है। जहाँकी आबोहवा गरम हो, वहाँ अत्यधिक मिर्च मसालोंका सेवन करना अत्यन्त हानिकारक है। गरम प्रदेशोंमें मांसाहार और मदिराके सेवनसे तो बहुत ही नुकसान होता है। गरम हवामें मनुष्योंको आलस्य भी अधिक आता है। आलस्यमें दिन बितानेवाले मनुष्योंको, फिर वे पुरुष हों या स्त्री, कामविकार अधिक सताते हैं। काम (विषयवासना) का बढ़ते बढ़ा शत्रु काम (अभोग) ही है। अतनी सावधानी रखनेके बाद हमारे देशका खुला और निर्मल आकाश तथा सूरजका प्रखर प्रकाश सबके लिये कल्याणकारी ही है। खुली हवा भी कामविकारको वशमें करनेमें बहुत सहायक होती है।

विवाहके लिये बीस-अठ्ठीस सालकी जो अुम्र मैने सुझाती है, वह हमारे समाजकी दृष्टिसे काफी बड़ी अुम्र है। बड़ी अुम्रमें विवाह करनेका यह प्रयोग हमारे देशमें नया है। इसलिये इसमें स्वलन या दोष होनेका डर है। इसके लिये जिस तरहका मर्यादापूर्ण आचरण होना चाहिये, उसके वैसे नियम अभी हमारे समाजमें अच्छी तरह बने नहीं हैं। इसीलिये 'कुँवारोंसे' शीर्षक प्रकरणमें मैने इस विषयकी थोड़ी चर्चा की है। यदि लड़के और लड़कियाँ इस विषयमें अपना आचरण वसा ही बनानेकी कोशिश करेंगे तो उनका भी भला होगा और समाजका भी भला होगा। पतन या स्वलनके इस जायिमको अुडाकर भी बड़ी अुम्रमें व्याह करनेकी सलाह मैने इसीलिये दी है कि यदि स्त्री-पुरुष वैवाहिक जीवनकी सभी जिम्मेदारियोंको सम्भरकर ही गृहस्थाश्रममें प्रवेश करें, तो अुससे व्यक्ति और समाज दोनोंके सुख, शान्ति और शक्तिमें वृद्धि हो सकती है।

साथीका चुनाव .

विवाहकी वयके समान ही महत्त्वपूर्ण दूसरा विषय साथीके चुनावका है । अस सम्बन्धमें हमारे समाजमें आमतौर पर विवाह करनेवालोंसे कुछ पृष्ठनेका कोअी रिवाज नहीं है । माता पिता बचपनमें ही बालक बालिकाओंका विवाह कर डालते हैं । अपने बालकोंके लिअे साथीका चुनाव करते समय बहुतेरे माता पिता लड़कों या लड़कियोंकी रुचि-अरुचि अथवा हिताहितका विचार करते ही नहीं । वे प्रायः अपनी सहूलियतका और अपने माने हुअे लाभ-हानिका ही विचार करते हैं । कहना चाहिये कि यह प्रथा बहुत ही भद्दा और बेहूदी है । किन्तु सभी माता पिता अैसा नहीं करते । आज हमारे समाजमें अैसे माता पिता भी हैं, जो अपने पुत्र या पुत्रीके लिअे योग्य साथीकी खोज करके उनसे पृष्ठते और उनकी स्वीकृति मिलने पर ही सम्बन्ध निश्चित करते हैं । पश्चिमी देशोंमें, वहाँकी प्रथाके अनुसार, जब कोअी युवक या युवती अेक दूसरेसे आकर्षित होते हैं, तो परस्पर अधिक परिचयमें आनेसे पहले वे अपने माता पिताकी स्वीकृति प्राप्त कर लेते हैं । अस प्रथामें चुनावकी जिम्मेदारी ज्यादातर युवक या युवतीके सिग रहती है । असलिअे हमारे सामने दो प्रथायें विचारने योग्य हैं: हमारे देशके कुछ विचारशील माता पिता अपने पुत्र या पुत्रीके लिअे साथी तलाश करके बादमें विवाहेच्छुक युवक या युवतीकी अस सम्बन्धमें स्वीकृति ले लेते हैं — अेक यह प्रथा है; दूसरी पश्चिमी देशोंकी वह प्रथा है, जिसमें युवक-युवती स्वयं ही अेक दूसरेको पसन्द करके बादमें माता पिताकी स्वीकृति ले लेते हैं । अनि दोनोंमें अच्छी कौन मानी जाय ? मेरी राय यह है कि अनिमेंसे किसी भी अेक पद्धतिको नियमके रूपमें स्वीकार कर लेना आवश्यक नहीं है ! हमारे देशमें बहुतोंका यह खयाल है कि चूँकि विलायत वगैरामें प्रेम-विवाहका रिवाज है, असलिअे वहाँवालोंका दाम्पत्यजीवन बहुत सुखमय होता है । लेकिन वहाँ भी पति-पत्नीके आपसी सम्बन्ध सदैव सुखपूर्ण और सन्तोषजनक ही होते

हैं, ऐसा नहीं कहा जा सकता। हमें यह समझ लेना चाहिये कि घर-घर मिट्टीके ही चूल्हे होते हैं ! वैसे दूरके ढ़ंगर सुहावने जरूर दीखते हैं। लेकिन ऑिग्लैण्ड और अमेरिकामें तलाककी संख्या जिस गतिसे बढ़ रही है, वह वहाँकी वस्तुस्थितिका एक अच्छक प्रमाण है। अपने देशकी प्रथाका अनुभव हमें है ही। हमारे यहाँ अक्सर अन्धेके साथ कानेका न्याह कर दिया जाता है, जिसके फलस्वरूप पति-पत्नीमें अनवन पैदा हो जाती है, और गृहस्थी दुःखमय बन जाती है। यह भी हो सकता है कि न्याहके समय कितनी ही चौकसाओ और सावधानी रखनेके बावजूद भी युवक और युवती परस्पर एक दूसरेको अथवा अुनके माता पिता अुन दोनोंको ठीकसे पहचान न सकें। अतएव सब प्रकारकी यथेष्ट सावधानीके बाद भी वैवाहिक जीवनकी सफलताका बड़ा आधार पति-पत्नीके अपने प्रयत्न पर ही है। लेकिन असका यह मतलब नहीं कि चुनावके समय कम सावधानी रखनी चाहिये। मैं अूपर कह चुका हूँ कि तुम्हारा स्वयं अपने साथीको चुन लेना या माता पिताओंका चुन देना, दोनों अैसी प्रथाये हैं, जो नियमके रूपमें स्वीकारी नहीं जा सकती। फिर भी सब बातोंको सोचनेके बाद मेरी अपनी राय यह बनती है कि वर-वधुका गुरुजनों द्वारा चुना जाना अधिक अुचित है। पहली बात तो यह है कि हमारे समाजमें आज अस बातकी न तो कोओी व्यवस्था है, न गुंजाअिश है कि जिससे युवक और युवती पूरी तरह अपनी मर्यादामें रहकर भी एक दूसरेके गुणों और स्वभाव आदिका निकटसे परिचय प्राप्त कर सकें। हमारे यहाँ अस प्रकारके सामाजिक जीवनका विकास ही नहीं हुआ है। दूसरे, जब चुनावकी सारी जिम्मेदारी युवक या युवती अपने सिर ले लेती है, तब अस बातकी सम्भावना बढ़ जाती है कि दोनों हमेशा एक दूसरेको अिसी दृष्टिसे देखा करें कि अुनमें कौन वर बनने लायक है और कौन वधु। अससे भी कोओी हानि न हो, बशतं कि दोनों दलोंके दिलमें एक-दूसरेके प्रति आदरभाव रहे, और समाजके प्रति अपनी जिम्मेदारीका पूरा खयाल हो। लेकिन डर तो यह मालूम होता है कि कहीं असके कारण युवक और युवती एक दूसरेको विकारपूर्ण दृष्टिसे देखना न सीख जायें, और अस बातका खयाल भी न करें कि अुनका

एक दूसरेके साथ किस प्रकारका सम्बन्ध है, और उनकी अपनी परिस्थितियाँ कैसी हैं। अनुभवहीन युवकों और युवतियोंके बारेमें एक डर यह भी रहता है कि वे चुनाव करते समय विवेकसे काम न लेकर व्यक्तिगत मोहसे अधिक प्रभावित हो सकते हैं। इसलिये बेहतर तो यही है कि ब्याहका विचार आते ही वे अपने निर्णयकी कसौटीका खयाल अपने गुरुजनोंको करा दें। यानी उन्हें यह बता दें कि वे अपने साथीमें किन किन गुणोंकी अपेक्षा रखते हैं, और विवाह सम्बन्धी मौजूदा सामाजिक रूढ़ियोंमें क्या क्या सुधार आदि करना चाहते हैं। और, तदनुसार सुयोग्य साथी ढूँढ़ देनेका भार उन पर सौंप दें। गुरुजन भी युवक या युवतीके स्वभाव, गुण-दोष, विचार आदिको ध्यानमें रखकर उसके लिये वैसा साथी खोजनेका प्रयत्न करें। फिर दोनोंको एक दूसरेके गुण-दोष समझा दें, दोनोंके जीवनकी जो बातें एक-दूसरेको आवश्यक रूपसे बताने लायक हों वे उन्हें बता दें, और यदि युवक और युवतीके परस्पर मिलने और एक दूसरेसे परिचित होनेकी आवश्यकता मालूम पड़े, तो उनके लिये मर्यादापूर्वक हिलने-मिलनेकी सहूलियत कर दें।

यदि किसी समय कन्याका दिल किसी नवयुवककी ओर सहज भावसे आकर्षित हो जाय, तो उसके साथ सम्बन्ध बढ़ानेसे पहले कन्याको चाहिये कि वह इसकी सूचना अपने गुरुजनोंको कर दे और उनको सलाह ले ले। अगर लड़केलड़की इस तरहकी चर्चा अपने मातापिताके साथ स्वतंत्रतापूर्वक कर सकें, तो वे अनेक दुष्परिणामोंसे बच जायें। मातापिताओंको घरमें ऐसा वातावरण पैदा करना चाहिये, जिससे बालक उनके साथ खुले दिलसे बातचीत कर सकें।

अब हम यह देखें कि चुनाव करते समय गुरुजनोंको और विवाहच्छुक्त युवतीको किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिये।

पहले तो यह देखना चाहिये कि युवक कौन है और कैसा है। उसका स्वभाव, उसकी आदतें, उसकी बुद्धि, उसका पुरुषार्थ, उसे विरासतमें मिली हुआ वृत्तियाँ, उसकी संस्कारिता, तेजस्विता, उसका पराक्रम, उसकी सञ्चरित्रता और उसका स्वास्थ्य आदि उसके सभी

व्यक्तिगत गुणोंका विचार करना चाहिये । उसके बाद यह देखना चाहिये कि उसके माता-पिता कैसे हैं । माता और पिताके स्वभाव और गुणोंपरसे कुछ अंशोंमें उसके अपने गुणोंका अनुमान किया जा सकता है । साथ ही यह भी देख लेना चाहिये कि उसमें कोई आनुवंशिक रोग या दूषण तो नहीं है ।

चुनावके समय एक और भी महत्त्वकी बात ध्यानमें रखने लायक है : आजकल बहुतेरे पुरुष, विशेषकर नवयुवक, स्त्री-स्वातंत्र्यकी दुहाई देते पाये जाते हैं । किन्तु स्त्रियोंके प्रति समता या आदरका भाव बहुत कम लोगोंमें पाया जाता है । असलिये किसी भी नवयुवकको अपना साथी चुननेसे पहले उसके पत्नीविषयक विचारोंको बहुत सावधानीके साथ ज्ञान लेना चाहिये । इस बातकी ठीकठीक जाँच-पड़ताल कर लेनी चाहिये कि वह पत्नीको मित्र या साथी मानता है, अथवा सजीधजी गुड़ियाकी तरह अपने मनबहलावका साधन समझता है, या मुफ्तमें घरका काम करनेवाली नौकरानी मानता है ।

हमारे समाजमें वरकी जाति और कुल देखनेका जो रिवाज है, उसमें बहुत कुछ तथ्य है । लेकिन आज जाति-पैतिके जो अनेक बन्धन प्रचलित हो गये हैं, (जैसे, विवाह किसी जाति विशेषमें ही हो सकता है, वर किसी खाम गाँव और किसी खास बड़े माने जानेवाले कुलका ही हो सकता है, आदि-आदि) अनेके कारण लोग असल तथ्यको भूल गये हैं । इसीलिसे आज ये बंधन हानिकारक सिद्ध हो रहे हैं । जातियों और कुलों या खानदानों सम्बन्धी हमारा तन्त्र आज बिलकुल सड़ गया है । जातियोंके संगठनका अब कोई अर्थ नहीं रहा, और कुलीनता या खानदानियतके नामसे जो कुछ चल रहा है, उसमें भी मिथ्याभिमान और दम्भका जोर बढ़ गया है; असलिये आज अनेक बन्धनोंको तोड़कर नयी व्यवस्था स्थापित करनेकी आवश्यकता है । इस नयी व्यवस्थाका निर्माण करते समय हमें सुप्रजननविद्याका भी सहारा लेना चाहिये । जनन-व्यापारका विचार करते समय हम यह देख चुके हैं कि माता और पिताकी ओरसे प्राप्त होनेवाले जीवकण हमारे शरीरके जीवकोषोंको जाति और कुलकी विशेषतायें प्रदान करते हैं । परस्पर विरोधी जातियों और खानदानोंके

धींच व्याह-सम्बन्धकी स्थापना प्रकृतिको अिष्ट नहीं है । जिन कुलों या खानदानोंके परम्परागत लक्षण अेक दूसरेसे मेल खाते हैं, उनमें परस्पर वैवाहिक सम्बन्ध होनेसे सन्तान सुघरती और अधिक संस्कारी बनती है । अिसके खिलाफ जिनमें किसी तरहका मेल नहीं होता, उनके बीच व्याह-सम्बन्ध स्थापित होनेसे प्रजा हीन बनती जाती है । अैसी प्रजाके लिये वर्णभेदक शब्दका प्रयोग किया जा सकता है । चूंकि यह विषय थोड़ा अुलझन भरा और अटपटा है, यहाँ अिसका विस्तृत विवेचन करना ठीक नहीं मालूम होता । लेकिन आजकल हमारे यहाँ जातियों-अुपजातियों और उनकी शाखा-प्रशाखाओं तथा 'अमुक कुलों और कुटुम्बोंमें ही शादी करनेका जो रिवाज प्रचलित है, अुसका विचार करनेकी आवश्यकता है ।

यह चीज अिस हद तक बढ़ गयी है कि विवाहके लिये चुनावका कोई क्षेत्र ही नहीं रह जाता । अुपजातियोंके विषयमें श्री० काकासाहब कालेलकरका मत यह है कि उनमें होनेवाले विवाह सम्बन्ध निषिद्ध माने जाने चाहियें ! अर्थात् दरअेक विवाहेच्छुक व्यक्तिको अुपजातियोंके बाहरका ही कोई साथी अपने लिये पसन्द करना चाहिये । बापूजी (गांधीजी) भी कहते हैं कि जातियाँ मनुष्यकृत हैं, और वे नष्ट होनेवाली हैं । दिन-ब-दिन उनकी ताकत घटनी ही जाती है । व्याह-शादीके बारेमें उनका कथन यह है कि ' भोजन और विवाह सम्बन्धी नियमोंका जाति या वर्णके साथ कोई प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं है । '

अिसलिये आजकलके अिन बेमानी बन्धनोंको नष्ट करना हो, तो युवकों और युवतियोंको जानबूझकर अपने साथीका चुनाव अपनी जातिको छोड़ किसी दूसरी जातिमेंसे करना चाहिये ।

कुछ माता पिता और कुछ युवतियाँ धन देखकर आकर्षित होती हैं । यह तो निरी हीनता है । धनकी प्रतिष्ठा पतित समाजमें ही बढ़ती है । अच्छे और सुधरे हुअे समाजोंमें तो धनकी अपेक्षा नीतिमान, सच्चरित्र और पुरुषार्थी मनुष्य ही श्रेष्ठ माना जाता है । ज्यादातर धनवान तो गरीबोंका शोषण करके और अुन्हें सताकर ही धनपति बने होते हैं । अिसलिये किसी भी तेजस्विनी और स्वाभिमानप्रिय युवतीको वरके चुनावमें मात्र धनको प्रमुखता न देनी चाहिये ।

सुयोग्य पतिके वरणकी अिस चर्चाके सिलसिलेमें हम अुन कुछ विवाह-सम्बन्धोंका भी विचार कर लें, जो निषिद्ध या न करने लायक माने गये हैं । भाभी-बहनका ब्याह तो अब सारी दुनियामें निन्दनीय माना जाता है । जिसमें रंचमात्र भी मनुष्यता मौजूद है, वह जैसे सम्बन्धका स्वप्नमें भी विचार नहीं कर सकता । लेकिन सगे भाभी बहनोंके ब्याहको छोड़कर आसाआ, मुसलमान और पारसी समाजमें चाचा-ताअूके और मामा-फूफाके लड़के लड़की आपसमें ब्याह कर सकते हैं । हमारे समाजमें जैसे निकटके सम्बन्ध निषिद्ध माने गये हैं । जिन समाजोंमें ये सम्बन्ध निषिद्ध नहीं हैं, उनमें भी समझदार लोग अब अिस तरहके नजदीकी रिश्तोंको बुरा मानने लगे हैं । बहुतेरे मनोवैज्ञानिकोंका यह विदवास है कि जहाँ जरा भी रिश्ता न हो, और खूनका सम्बन्ध जितना ही दूरका हो, प्रकृतिके नियमकी दृष्टिसे वहाँ विवाहका आकर्षण अुतना ही प्रबल होता है । मनुके समान स्मृतिकारों और चरकके समान वैद्योंने सगोत्र विवाह निषिद्ध माने हैं । आजकलके डॉक्टरोंका भी यह मत है कि पासके रिश्तेमें शादी करनेवाले लोगोंके शरीर पर असका बुरा असर पड़ता है, और जैसे सम्बन्धोंसे अुत्पन्न होनेवाली सन्तान भी निचली श्रेणीकी होती है । मनोवैज्ञानिकोंके विवाहके लिये प्राकृतिक आकर्षणका जो नियम निकटके सम्बन्धोंके लिये सूचित किया है, वही नियम अुन लड़कों और लड़कियों पर भी लागू होता है, जो आपसमें रिश्तेदार न होते हुअे भी बचपनसे अेक दूसरेके निकट सहवासमें रहते और भाभी बहनकी तरह जीवन बिताते हैं । ब्याहके लिये जो आकर्षण आवश्यक है, वह स्वभावतः बहुत ही निकटके सहवासमें रहनेवाले युवक युवतियोंके बीच कम होता है । कुछ लोगोंका यह खयाल है कि जो लड़के और लड़की बचपनसे ही अेक साथ पलपुसकर बड़े होते हैं, अुनमें पारस्परिक परिचय बहुत ज्यादा होनेके कारण प्रेम अुत्पन्न होनेकी अधिक सम्भावना रहती है, अिसलिये बड़े होने पर अुनके पारस्परिक ब्याह-सम्बन्ध अधिक सुखी सिद्ध हो सकते हैं । लेकिन मनोविज्ञानकी दृष्टिसे यह विचार दोषपूर्ण है । बचपनसे अेक साथ पले हुअे बालकोंमें प्रेमकी सम्भावना रहती अवश्य है, लेकिन वह प्रेम भाभी-बहनका-सा प्रेम होता है । लेकिन अपने ही अेक अुदाहरण द्वारा

असको अधिक स्पष्ट करूँगा । कोअी पंद्रह साल पहले अक दिन हम गांधीजीके साथ विवाहके सम्बन्धमें जाति और वर्णके विधि-निषेधोंकी चर्चा कर रहे थे । काकासाहबने कहा : “अुदाहरणके लिअे महादेव और नरहरिके बालक (यद्यपि अुन दिनों दोनोंमें किसीके सन्तान न थी) अेक दूसरेसे विवाह करें, तो ब्राह्मण बनियेका भेद हांते हुअे भी अुनके संस्कार, जीवनके आदर्श और रहन-सहनका प्रकार समान होनेसे वैसे विवाह सिर्फ जातिभेदके कारण आपत्तिजनक न माने जाने चाहिये ।” गांधीजीने काकासाहबसे कहा कि अुनके मनमें अैसा विचार ही न अुत्पन्न होना चाहिये था । महादेव और नरहरि यों सगे भाअी चाहे न हों, लेकिन अुनका सम्बन्ध तो सगे भाअीके समान या अुससे भी अधिक है । असलिअे अुनके बालकोंमें परस्पर भाअीचारे या बहनापेके सिवा और कोअी खयाल नहीं हो सकता । अुनके मनमें अेक दूसरेसे शादी करनेका विचार आ ही नहीं सकता । काकासाहबको यह दृष्टि मान्य थी ही ।

वैसे, बालकोंके मनको निर्मल बनाये रखनेके लिअे भी अस नियमकी आवश्यकता है । अेक साथ पलने, अेक साथ खेलने कूदने और अेक साथ पढ़नेवाले लड़कों और लड़कियोंमें परस्पर भाअी बहनका सम्बन्ध हो, और वे यह जानते हों कि अुनमें अेक दूसरेके साथ कभी विवाह हो ही नहीं सकता, तो सहज ही अुनके दिल निर्मल, निर्विकार और निर्दोष रहने लगते हैं । अगर अस प्रकारकी कोअी मर्यादा न रहे, तो सम्भव है कि छोटे छोटे बालक भी अेक दूसरेको अपने भावी पति पत्नीकी दृष्टिसे देखने लगें, और यों अुनके मनमें विकारी वासनाओंका जन्म होने लगे । हमारे समाजमें अेक गोत्रके अन्दर विवाह न करने, और अगर गाँव छोटा है तो अेक ही गाँवमें शादी न करनेका जो विवाज है, मालूम होता है कि अुसके मूलमें मनोविज्ञानके सिद्धान्तके अुपरान्त विकारोंका मौका न देनेकी यह दृष्टि भी रही है ।

आजकल हमारी शिक्षण संस्थाओंमें लड़के लड़की अेक साथ पढ़ते हैं । सहशिक्षाकी यह प्रथा बहुत अच्छी है । अगर सहशिक्षावाली ये संस्थायें संगठित हों, और अिनमें पढ़नेवाले विद्यार्थी और विद्यार्थिनियोंके

बीच पारिवारिक भावनाका विस्तार हुआ हो, तो ऐसी संस्थाओंके युवकों और युवतियोंके बीच वैवाहिक सम्बन्ध निषिद्ध माने जाने चाहिये। हाँ, आजकलके बड़े-बड़े सरकारी या गैरसरकारी कॉलेजोंमें (जहाँ पारिवारिक वातावरण नामकी कोसी चीज नहीं होती) पढ़नेवाले युवक युवतियोंका अपनी पढ़ाई समाप्त करके परस्पर विवाह करना अनुचित नहीं मालूम होता। लेकिन हमारे आश्रम या विद्यापीठ-जैसी संस्थाओंमें, जहाँ पारिवारिक भावना होती है, अिस तरहका निषेध आवश्यक है। यदि ऐसा निषेध न हुआ, तो संभव है कि बालकोंके मन पर उसका बुरा असर पड़े। साथ ही संस्थाके वातावरणको शुद्ध और पवित्र रखनेके लिये भी ये नियम आवश्यक हैं।

आजकल कुछ अन्तर्प्रान्तीय और विधर्मी विवाह भी होने हैं, लेकिन ये कम और अपवादरूप ही हैं। अन्तर्प्रान्तीय विवाहोंमें भाषाकी कठिनाई पेश आती है। अगर व्याह बंगाली और पंजाबीके बीच या गुजराती और मद्रासोंके बीच हुआ हो, तो बालककी अपनी भाषा क्या मानी जाय? वह माताकी भाषाको अपनी भाषा कहे या पिताकी भाषाको? अंग्रेजी 'मदरटङ्ग'का हिन्दी अनुवाद मातृभाषा किया जाता है, उसको प्रमाण मानने पर बालक माँको भाषाको स्वभाषाके रूपमें अपना सकता है। लेकिन उसे रहना तो पिताके प्रान्तमें पड़ता है। यदि दोनों भाषायें एक ही परिवारकी हूँ, तो कठिनाई कुछ कम हो जाती है। लेकिन जब बालकको तामिल और गुजराती-जैसी भिन्न परिवारकी भाषायें सीखनी पड़ती हैं, तब उसकी कठिनाई बढ़ जाती है, और मुझे तो डर लगता है कि वह दोमेंसे किसी भी एक भाषा पर पूरा प्रभुत्व प्राप्त नहीं कर सकता। विधर्मी विवाहमें धर्मकी समस्या अत्यन्त होती है। बालकका धर्म क्या हो? पिताका या माताका? यदि दोनों अपने अपने धर्ममें कट्टर हों, तो उनका जीवन भी क्लेशमय हो सकता है। आम तौर पर जिन्हें धर्मका कोसी खास आग्रह नहीं होता, वे ही ऐसे विधर्मी विवाह करते हैं। कभी कभी स्त्री या पुरुष विवाहके समय अपना धर्मपरिवर्तन कर लिया करते हैं। जो धर्मपरिवर्तन वास्तविक विचारपरिवर्तनके कारण होता है, वह तो अिष्ट है; लेकिन केवल व्याहके

लिअे किया जानेवाला धर्मपरिवर्तन वास्तवमें धर्मका द्रोह है । असलिअे आम तौर पर अैसे विधर्मी विवाह अनिष्ट ही होते हैं । अैसे विवाहोंसे अुत्पन्न हानेवाली प्रजा धर्मकी बाबतमें या तो अुदासीन होती है, या धर्मान्ध निकलती है । फिर भी, सभी मिश्र विवाहोंको हानिकारक मानना भी ठीक नहीं । जव दोनों पक्ष अेक-सी कोटिके संस्कारशील होते हैं, तव मिश्र विवाह बहुत सफल भी हो सकते हैं । लेकिन मिश्र विवाह अपवादरूप ही माने जाने चाहियें । नियमतः तो समान संस्कार और गुणवाले स्त्री पुरुषोंके विवाह ही प्रोत्साहनके पात्र माने जायेंगे ।^१

यहाँ यह भी सोच लेनेकी जरूरत है कि पति-पत्नीके चुनावमें दोनोंके बीच अुप्रका अन्तर कितना होना चाहिये । आम तौर पर लड़केकी अपेक्षा लड़कीका शारीरिक और मानसिक विकास जल्दी होता है । चौदह-पंद्रह सालके लड़केके मुकाबले चौदह-पंद्रह बरसकी लड़की शरीर और मनसे अधिक विकसित रहती है । असलिअे विकास-भेदके कारण जितना अन्तर आवश्यक है, अुतना तो दोनोंके बीच रहना ही चाहिये । मनुने युवकके लिअे २५ और कन्याके लिअे १६ वर्षकी अुम्र अत्यन्त अिष्ट मानी है । लेकिन मुझे कन्याके लिअे १६ वर्षकी अुम्र बहुत छोटी मालूम होती है । मैंने अपनी चर्चामे अूपर बीस-अिक्कीस वर्षकी अुम्र सुझाअी है । अिम दृष्टिसे दोनोंके दरम्यान चार-पाँच वर्षका अन्तर अिष्ट माना जा सकता है । यानी युवती युवककी अपेक्षा चार-पाँच वर्ष छोटी रह सकती है । लेकिन आजकल स्त्री-स्वातंत्र्यके कुछ हिमायती यह भी कहते सुने जाते हैं कि पति-पत्नीमें पुरुष अुम्रमें बड़ा होनेके कारण स्त्री पर अपनी सत्ता चलाता है और फलतः स्त्रीको पराधीन रहना पड़ता है । असलिअे दोनोंकी अुम्र समान होनी चाहिये । अस तरहकी दलील करनेवाले यह क्यों नहीं कहते कि स्त्रीकी अुम्र पुरुषसे ज्यादा होनी चाहिये ? अगर स्त्री अुम्रमें बड़ी रहे, तो अुनकी दलीलके अनुसार सत्ता

१. अस पैरेमें दिअे गये विचारोंकी सुधारा और बदाया गया है । असके लिअे 'बापूजीके आजके विचार' नामका अध्याय देखिये ।

स्त्रीकी चले । लेकिन जहाँ दम्पतीके बीच पत्नीकी अग्र सचमुच ही बड़ी होती है, वहाँ स्त्रीकी सत्ता चलती नजर नहीं आती । अल्ट्रे ऐसे बेजोड़ विवाहोंके कारण अउनकी गृहस्थी दुःखमय ही पायी जाती है ।

हमारे समाजमें जाति-पाँतिके रूढ़िगत बंधनोंके सिवा, वरविक्रय, कन्याविक्रय, दहेज, हुण्डा, मामेरा, जातिभोज और रिश्तेदारोंको गिनलाने-पिलाने और दे-लेकर सन्तुष्ट करनेके अनेक रिवाज प्रचलित हैं । भिन रूढ़ियोंके कारण प्रायः वरपक्ष या कन्यापक्षके अूपर असह्य आर्थिक बोझ आ पड़ता है । फिर, ये रूढ़ियाँ सुयोग्य चुनावके मार्गमें भी बाधक होती हैं । हरअेक युवक और युवनीको अपने विवाहके समय इस बातका आग्रह रखना ही चाहिये कि व्याहके दरम्यान अिनमेंसे किसी भी रूढ़िका व्यवहार न हो सकेगा ।

साथीके चुनावकी अितनी चर्चा कर चुकनेके बाद मैं फिर कहता हूँ कि आखिर विवाहकी सफलताका आधार पति-पत्नीके पारस्परिक सद्भाव पर ही है । और इस सद्भावका आधार अेक दूसरेके स्वभावको समझने तथा सहनेके अुनके निश्चय पर और दोनोंके विवेकयुक्त व्यवहार पर है । इसका अर्थ यह नहीं कि स्त्री या पुरुषका अपना कोअी स्वतंत्र व्यक्तित्व न होना चाहिये । स्वतंत्र व्यक्तित्वका मतलब यह है कि यदि किन्हीं खास बातोंमें वे अेक दूसरेसे भिन्न विचार या स्वभाव रखें, तो रख सकते हैं; पति और पत्नी दोनों अपने अपने विचार और स्वभाव पर अवश्य कायम रह सकते हैं । किन्तु इस प्रकारकी दृढ़ताके रहने हुअे भी लोगोंमें अेक दूसरेको निबाह लेनेकी जवर्दस्त शक्ति पड़ी हुअी है । यदि इसी चीज़को अनुभवजन्य सूत्रके रूपमें कहना हो तो कहा जा सकता है कि : 'अेक-दूसरेके विचारों और स्वभावोंमें सामंजस्य स्थापित करने, और जहाँ सामंजस्य स्थापित न हो सके, वहाँ अेक दूसरेको निबाह लेनेके निश्चयका नाम ही विवाहकी योग्यता है' । जिसमें इस प्रकारका निश्चय न हो, वह चाहे तो विवाह न करे, लेकिन विवाह करनेके बाद जरा जरासी अनबन या विरोधसे भड़ककर तलाक देने या आत्महत्या कर डालने पर अुतारू हो जाना अथवा हताश और दिङ्मूढ बन जाना

अचित नहीं। विवाहके बाद तो अपने गृहस्थाश्रमको अज्ज्वल बनानेका एकमात्र सच्चा मार्ग यही है कि पति पत्नी दोनों अपने सम्बन्धकी अविच्छेद्य मानें, दोनों निष्ठापूर्वक एक दूसरेसे जुड़े रहें, धैर्यके साथ परस्पर सहयोग बढ़ानेका प्रयोग करें, और एक दूसरेके स्वभावकी भिन्नताको समझकर उसके अन्तरको मिटाने या उसे निबाह लेनेका प्रयत्न करें।

गांधीजी और कस्तूरबाका अदाहरण हमारे सामने है। बाके दिलमें गांधीजीके लिये अनन्य भ्रद्धा और भक्ति है। हमारे यहाँ धार्मिक वृत्तिवाले लोगोंमें व्रत उपवास आदिके विषयमें जो दृढ़ता पायी जाती है, वह नामें सम्पूर्णतया मौजूद है। लेकिन गांधीजीने मानवजीवनके प्रत्येक अंगसे सम्बन्ध रखनेवाली जो विविध प्रवृत्तियाँ शुरू की हैं, उन सबके हेतु और विस्तारको बा बेचारी जहाँ भलीभँति समझ पाती हैं? फिर भी गांधीजीकी हर एक हलचलमें वे अच्छा सहयोग दे रही हैं। और, गांधीजीने अपना जो एक विशाल कुटुम्ब निर्माण किया है, उस कुटुम्बके प्रति बा जिस प्रकारकी वत्सलता प्रकट करती हैं, और गांधीजीके स्थानपर अतिथियोंका जो ताँता लगा रहता है, उन अतिथियोंका जिस प्रेमके साथ वे स्वागत सत्कार करती हैं, वह सब तो एक अद्भुत वस्तु है। इस स्थिति तक पहुँचनेके लिये गांधीजीने और कस्तूरबाने एक दूसरेके स्वभाव, एक दूसरेकी आदतों, और एक दूसरेकी रुचि अरुचिको किस हद तक बर्दाश्त किया है, इसका कुछ वर्णन गांधीजीने अपनी आत्मकथामें किया ही है। फिर भी अपने गृहस्थाश्रमको इस अँची हद तक पहुँचानेके लिये अिन दोनोंने जो तपस्या और साधना की है, उसका सही खयाल तो तभी आ सकता है, जब गांधीजी और बाके मुँहसे हम उनके जीवनकी घटनाओंका वर्णन सुनें। गांधीजी और कस्तूरबाके इस भव्य अदाहरणके साथ यदि मैं अपने साधारण जीवनकी चर्चा करूँ, तो वह फबेगा नहीं। लेकिन इस विचारसे कि तुम्हें उसमें स्वभावतः कुछ दिलचस्पी हो सकती है, मैं यहाँ उसका अुल्लेख करता हूँ। जब मैं चार सालका और मणि (तुम्हारी माँ) छह महीनेकी थी, हमारी सगायी हो चुकी थी और जब मैं सोलहका और मणि साढ़े बारहकी हुआ, तो हमारी शादी हो चुकी थी। कोअी तीन साल

बाद हमारी गृहस्थी शुरू हुई। मैं बहुत ही अघमी, जिद्दी और रूठने रिसानेवाला था। लेकिन मणि चतुर और सयानी थी। जिसलिये अगर मैं यह कहूँ कि उसने मेरे अनेकानेक त्रासोंको सहकर भी मुझे निवाहा और सुधारा, तो वह झूठ न होगा। उसके साथ ही मैंने अपने जीवनमें जो परिवर्तन किये और जिन हलचलोंमें हाथ बैठाया, उनमें भी उसने प्रसन्नतापूर्वक मेरा साथ दिया और मुझे मदद पहुँचायी है। विवाहसे पहले हममेंसे किसीने किसीको पसंद नहीं किया था, फिर भी चूँकि हमने परस्पर सुमेल साधनेका यत्न किया और एक दूसरे पर निष्ठा रखी, जिसलिये हमारी गृहस्थी अच्छी चली।

असका मतलब यह नहीं कि मैं तलाकके कानूनका विरोधी हूँ। तलाकका कानून तो बनना ही चाहिये। किसीको भी जबरदस्ती किसीके साथ बाँध रखनेमें न व्यक्तिका हित है, न समाजका। लेकिन कानूनके रहते हुअे भी जिस समाजमें उसका कमसे कम आश्रय लिया जाता है, वही समाज स्वस्थ और अधिक सुधरा हुआ माना जाता है। पारस्परिक सहयोगकी और एक दूसरेको निवाह लेनेकी जो सामाजिक वृत्ति प्रत्येक प्राणीमें पायी जाती है, वह जब किसी विकृतिके कारण नष्ट हो जाती या निर्बल पड़ जाती है, तभी तलाककी संख्या बहुत बढ़ने लगती है।

अनके सिवा भी हमारे समाजमें बहुतसे परिवर्तन और सुधार करनेकी जरूरत है। यह कहना बहुत कठिन है कि आज हमारे हिन्दू समाजका दाम्पत्यजीवन अच्छा है। फिर भी दाम्पत्यजीवनका जो आदर्श हमारे शिष्ट साहित्यमें प्रस्तुत किया गया है, और जो हमारी संस्कृतिमें मौजूद है, वह हमारी अच्छीसे अच्छी विरासत है। अपनी इस विरासत या अन्तराधिकारकी रक्षा करते हुअे जो परिवर्तन हमें अचित्त जँचें, करने चाहिये। हमारे सामने आदर्श तो यह है कि पति पत्नी दोनों जीवनमें समरस होनेकी अखण्ड साधना करें; दोनों अपने जीवनोद्देश्यको एक बनानेका प्रयत्न करें। सर सर्वपल्ली राधाकृष्णन्ने अपनी 'हिन्दू जीवन दर्शन' नामकी पुस्तकमें बहुत अच्छी तरहसे यह बताया है कि विवाह-प्रथाके बारेमें हिन्दू आदर्श क्या है। वे लिखते हैं:

“ विवाह प्रथाके अपने और सामाजिक दोनों स्वरूपोंको हिन्दू आदर्श महत्व देता है। न पुरुष मालिक है, न स्त्री दासी; लेकिन दोनों एक ऊँचे आदर्शकी सेवाके फर्जसे बंधे हुए हैं और उन्हें अपनी वैयक्तिक वृत्तियोंको इस आदर्शके सामने गौण समझना है। विषयवासनाको ऊँचा उठाकर, शुद्ध करके उसे आत्मविलोपनमय भक्तिमें बदल देना है। हिन्दू दम्पतीको एक दूसरेका प्रेम विवाहके शुरूमें ही सिद्ध किया हुआ नहीं मिल जाता। उन्हें यह प्रेमयोग तो जीवनभरकी साधनाके जरिये प्राप्त करना रहता है। अभिरुचि और स्वभाव, आदर्श और आस्वाद अिन सब बातोंमें एक दूसरेसे अभिन्नतावाले स्त्री-पुरुषके जोड़े अपन्यासोंके पृष्ठोंके सिवा और कहीं देखनेको नहीं मिलते। दोके बीचमें जैसे कुछ भेद तो हमेशा होते ही हैं, जिन्हें टाला नहीं जा सकता। अिन भेदोंके जरिये जीवनमें सुशीलापन, एक लय पैदा करना ही विवाह पद्धतिका काम है। दोनोंको मनकी अलग अलग वृत्तियों और वासनाओंमेंसे प्रयत्नपूर्वक हृदयकी एकता साधना है। अपने जीवन साथियोंके सम्बन्धमें कुछ पसन्दगीका तत्व तो जरूर होता है, पर अच्छेसे अच्छे विवाहमें भी संयोगकी मात्रा ही अधिक होती है। संयोगसे मिले साथीको जीवनसंगी बना सके, वही विवाह सफल कहा जा सकता है। विवाह काँची मंथन या पुरुषार्थकी समाप्ति नहीं है, बल्कि यहाँसे तो कठिन जीवनके परिश्रमका शुरुआत होती है। इस जीवनमें हम अपने व्यक्तिगत हकों और वृत्तियोंको गौण बनाकर विशाल आदर्शकी सिद्धिके लिये प्रयत्न करते हैं। चाहे जैसे जुदे जुदे स्वभावके आदमियोंको भी एक आदर्शकी साधना एक जगह रख सकती है। प्रेम अुनका बलिदान तो माँगता ही है। संयम और सहनशीलतासे हम प्रेमको और अधिक ऊँचा चढ़ाकर परब्रह्म रूप बना सकते हैं। ”

(पृ. ८४-८५, हिन्दू जीवनदर्शन)

अुपसंहार

अपने पिछले पत्रोंमें मैं तुमसे आजीवन अविवाहित रहनेवालोंकी कुछ चर्चा कर चुका हूँ । असि सम्बन्धमें अेक जगह स्वामी विवेकानन्दका अेक अवतरण भी दे चुका हूँ, जिसमें अुन्होंने देशके लिअे कौमारव्रतधारी युवकों और युवतियोंकी आवश्यकता पर जोर दिया है । गार्गीजी भी कहते हैं कि देशके असि विषम कालमें सन्तान अुत्पन्न करना गुलामोंकी तादाद बढ़ानेके समान है । हमारी बुद्धि अिन बातोंकी सच्चाईका भलीभाँति अनुभव करती है । लेकिन जो जो कुछ बुद्धिको सच मालूम हंता है, अुस सबको मनुष्य आचरणमें नहीं ला पाता । प्रकृतिने सृष्टिके क्रमको बनाये रखनेके लिअे प्राणी मात्रमें अेक जबरदस्त विकार अुत्पन्न कर रक्खा है, जिसके वेगके सामने प्रायः बुद्धिकी दलीलें भी निकम्बी हो जाती हैं । अिन विकारोंका दृढ़ विरोध तो तभी किया जा सकता है, जब बचपनसे हमारे अन्दर पवित्रता और संयमके संस्कारोंका सिचन हुआ हो, और अिन संस्कारोंके फलस्वरूप जिस प्रकारका आचरण हमारे लिअे स्वाभाविक बन गया हो, अुसके विरुद्ध आचरण करना हमें अच्छा ही न लगे । सारांश यह कि यदि हम असि आवेगको अपने वशमें न रख सकें, तो विवाहका विचार करनेमें कोअी बुराअी नहीं ।

टॉल्स्टॉय लिखते हैं : 'विषयवासनासे जूझना अतिशय कठिन है । . . . असि युद्धमें मनुष्यको अेक क्षणकी भी गफलत न करके शत्रुको पराजित करनेवाले सभी साधनोंका सावधानीके साथ अुपयोग करना पड़ता है । शरीर या मनको चंचल या विक्षिप्त बनानेवाली सभी चीजोंसे दूर रहना पड़ता है । निरन्तर किसी न किसी काममें बसे रहना होता है । यह अेक मार्ग है । दूसरा मार्ग यह है कि यदि विषयवासनासे जूझते हुअे तुम अपने असि शत्रुको पराजित न कर सको, तो विवाह कर लो । अर्थात् अपने लिअे अैसे किसी साथीको पसन्द कर लो, जो तुम्हारे साथ पति या पत्नीके रूपमें रहनेका राजी हो, और अुसके साथ रहकर भी जीवनमें ब्रह्मचर्यको सिद्ध करनेके अुद्देश्यको अपने सामने बनाये रहो । जितनी जल्दी वह सिद्ध होगा, अुतना ही अच्छा है ।'

अस अपदेशमें हमारे लिये विशेष ध्यान देने योग्य बात तो यह है कि विवाहके बाद भी मनुष्यको अपने विकारोंपर प्रभुत्व पानेका यत्न करते रहना चाहिये । मनुष्य अविवाहित रहे या विवाहित, बिना संयमके वह जी नहीं सकता ।

आहार और निद्राकी शारीरिक आवश्यकताके साथ कुछ लोग कामवासनाको भी उसी श्रेणीमें रखते हैं । लेकिन अिन दोमें बड़ा भेद है । आहार और निद्राके बिना तो मनुष्य शरीर टिक नहीं सकता — मनुष्य सदाके लिये अिनका त्याग नहीं कर सकता । शरीरको स्वस्थ और सुदृढ़ बनाये रखनेके लिये अुचित मात्रामें अिनका सेवन आवश्यक ही है । किन्तु काम उसी वस्तु नहीं है । असका आवेग बलवान अवश्य होता है, लेकिन असका यह अर्थ नहीं कि मनुष्य असके बिना जी ही नहीं सकता । अुल्टे, अस आवेगको ज्ञानपूर्वक वशमें रखनेसे शरीर और मनकी शक्तियोंका प्रचुर विकास होता है । मनुष्य चाहे तो वह अिसे सदाके लिये छोड़ भी सकता है । अतःअेव प्रत्येक मनुष्यको अपने सामने आदेश तो संयमका ही रखना चाहिये । कामविकार विवाहका प्रेरक कारण हो सकता है, तथापि वैवाहिक जीवनमें भी मनुष्यका ध्येय तो अस विकारका नियमन और शमन ही होना चाहिये ।

जैसा कि टॉल्स्टॉयने कहा है, असका अच्छेसे अच्छा अपाय यही है कि मनुष्य रात और दिन किसी न किसी काममें लगा रहे । गांधीजी भी कहते हैं कि 'काम' का अिलाज काम ही है । जीवनकी सफलता अिर्णाममें है कि मनुष्य अपना कोअी शुभ ध्येय निश्चित कर ले और असकी सिद्धिके लिये अपनी पूरी शक्तियोंके साथ निरन्तर लपता रहे ।

महादेवकाकाके दो शब्द

१

जिन दिनों मैं बेलगाँव जेलमें था, नरहरिभाजीने इस पुस्तककी एक प्रति मेरे पास भेजी थी। मुझे पुस्तक पढ़कर सन्तोष हुआ था। लेकिन साथ ही मनमें यह विचार भी आया था कि अगर नरहरिभाजीने बहन वनमालाके और अपनी दूसरी पुत्री तुल्य कन्याओंके सामने विविध आदर्शकी चर्चा दृष्टान्तोंके साथ रखी होती तो ज्यादा अच्छा होता। मैंने नरहरिभाजीपर अपना यह विचार प्रकट भी किया। उन्होंने मुझसे कहा: 'इस सम्बन्धका एक अध्याय आप ही क्यों न लिख दे?' मैंने प्रसन्नतापूर्वक लिखना स्वीकार तो किया, लेकिन अब लिखते समय संचता हूँ कि जिन्होंने विकारोंका शमन करके अपनी शक्तियोंका विनियोग सेवाकार्यमें किया है, उनका सन्देश बहुत उपयोगी हो सकता है।

लेकिन अब इसके अभावमें मैं ही उसे कुछ लोगोंकी चर्चा यहाँ करूँगा। काम-विकार सबसे प्रबल और अजेय विकार चाहे हो, लेकिन जिसने इस पर प्रभुत्व पाया है, उसने संसारकी अधिकसे अधिक सेवा की है। सच पृच्छो तो दुनियामें त्याग नामकी कोई चीज ही नहीं है। जो आदमी सोच-समझकर किसी चीज या किसी शौकका त्याग करता है, वह उससे बेहतर किसी चीजको अपनाानेके लिये ही वैसा करता है। पहली वस्तु या शौकसे उसे अरुचि या विरक्ति उत्पन्न होती है, जब कि उससे बेहतर मालूम होनेवाली चीज या शौकके लिये मनमें अनुरक्ति उत्पन्न होती है। 'त्याग न टके रे वैराग्य विना' इस महासत्यका भी यही रहस्य है। शुद्ध वस्तुओं, हल्के शौकों और तुच्छ आवेगोंका त्याग करके उनके स्थान पर महान् वस्तुओं, उच्च अभिरुचियों और आवेगोंकी स्थापना करना शिक्षाका कर्तव्य है। अथवा यों कहिये कि यही सच्ची शिक्षा है। ढेरों किताबी ज्ञानका उपार्जन करके भी जो इस प्रकार शुद्ध

नहीं बने, शिक्षाके संस्कारोंने जिन्हें कुन्दन नहीं बनाया, उनकी शिक्षा व्यर्थ है। अतःवेव काम-विकार कुछ देरके लिये कितना ही 'प्रेय' क्यों न प्रतीत हो, तो भी उसकी अपेक्षा दूसरी बहुतेरी 'श्रेय' वस्तुयें हैं। इस सच्चाओको हम जितनी जल्दी समझ लेंगे, उतनी ही यह हमारे लिये हितकर होगी। इस हीन विकारका शमन करके दूसरे उन्नत भावोंको जाग्रत करनेकी क्रियाको अंग्रेजीमें Sublimation कहते हैं। हम इसे आत्मशुद्धिकी, सुसंस्कृत या कुन्दन बननेकी क्रिया कहेंगे।

पश्चिमी देशोंके विषयमें हमारे मनमें अनेक झूठे खयाल भरे रहते हैं। उनमें एक यह भी है कि वहाँ स्वेच्छाचार बहुत है, और हमारे यहाँ संयम है। पश्चिममें नीति नामकी कोभी वस्तु नहीं, जब कि हम नीतिके टेकेदार हैं! यह भ्रम है। पश्चिममें संयमी जीवनके अनेक अनुपम दृष्टान्त मिलते हैं। कहीं कहीं स्वतंत्रताका परिपाक स्वच्छन्दतामें चाहे जाता हो, लेकिन पश्चिममें इस प्रकार कुन्दन बननेकी साधना करनेवाले अनेक स्त्री पुरुष पाये जाते हैं। महान् आदर्शके लिये प्रतिज्ञापूर्वक आजीवन कुँवारे रहनेवाले तो वहाँ हैं ही; किन्तु छोटे छोटे आदर्शोंके लिये अधिवाहित रहनेवाले भी कम नहीं हैं। यहाँ मैंने 'कुँवारे' और 'अधिवाहित' शब्दोंका उपयोग किया है, 'ब्रह्मचारी' शब्दका नहीं। कारण इसका यह है कि शुद्ध ब्रह्मचर्यका जो आदर्श हमारे सामने है, वह शायद अिन सब कुँवारोंके सामने न रहता हो। यानी उसको ध्यानमें रखकर ये कुँवारे न रहते हों। लेकिन जो जीवनमें उच्च आदर्शको अपनाते हैं, वे तो ब्रह्मचर्यपूर्वक ही वैसा कर सकते हैं। कार्डिनल न्यूमैनने छोटी उम्रमें ही यह अनुभव किया कि शुद्ध धार्मिक जीवन बितानेके लिये ब्रह्मचर्य ही एक मात्र उपाय है। अतःवेव उसने अखण्ड ब्रह्मचारी जीवन बिताया। कॅथोलिक सम्प्रदायकी अनेक बहनें सेवाकी दीक्षा लेते समय शुद्ध ब्रह्मचर्यकी प्रतिज्ञाके साथ ही दीक्षित होती हैं। यह तो नहीं कहा जा सकता कि उनमें कोभी पदभ्रष्ट होती ही नहीं, अनेक होती होंगी। लेकिन कहनेका तात्पर्य तो यह है कि जो सफलतापूर्वक शुद्ध जीवन बिताते हैं, उनका त्याग वैराग्य पर आश्रित होता है। प्राचीन उदाहरण देनेकी आवश्यकता नहीं। भगिनी थेरिसाने

अनेक चेतावनियोंके बावजूद भी अपना जीवन निवेदित किया और भरी ज्वानीमें साक्षात्कार करके चल बसी। यह तो अभी कलकी बात है। फ्लॉरेन्स नाभिंटिगोलने 'नर्सिंग' (शुश्रूषा) के व्यवसायको अुत्तम कोटि तक पहुँचा दिया, और उसके लिये उसने अपना सारा जीवन फकीरीमें बिताया। वह ९० वर्ष तक ब्रह्मचर्यपूर्वक जीवित रही। आज हमारे बीच मीराबहन (मिस स्लेड्) मौजूद हैं। विचारपूर्वक वासनाओंका परित्याग करके ही वह आज कुन्दन बन सकी हैं। उन्होंने जीवनमें क्षुद्र अभिलाषाओंके स्थानपर सेवाकी महान् दीक्षा और अुच्च अभिलाषाओंको स्थापित किया है, और यही वजह है कि वह आज अितनी अुंची अुठ सकी हैं।

लेकिन यह तो महान् आदशोंकी बात हुअी। मैं अैसी अनेक बहनोंको जानता हूँ, जो अपने पिता, भाअी या माताकी सेवाके लिये अविवाहित रही हैं। टॉल्स्टॉयकी अेक लड़की टॉल्स्टॉयकी सेवाके लिये ही आग्रहपूर्वक कुमारी रही। टॉल्स्टॉयके बहुत कहने और समझाने तथा व्याहके अनेक सँदेशोंके आने पर भी उसने विवाहका विचार तक न किया। अन्तमें पिताकी मृत्युके बाद कोअी ४६ वर्षकी अुम्रमें उसने विवाह किया। भिग्लैण्डमें अनेक लड़कियाँ अपने मातापिताकी सेवाके लिये अविवाहित और ब्रह्मचारी जीवन बिताती हैं। मैं अैसी कभी बहनोंको जानता हूँ। रोमे रोलाँकी बहन मैडलीन रोलाँ अपने भाअीकी सेवाके लिये ही ब्रह्मचारिणी रही हैं। भाअीने तो अिघर व्याह भी कर लिया है, लेकिन अुनके लिये अब व्याहका कोअी प्रश्न नहीं रहा। कवि वर्ड्सवर्थ और दूसरे अेक दो कवियोंकी बहनोंने अपने महान् भाअियोंकी सेवाके लिये ही ब्रह्मचारिणी रहनेका निश्चय किया था।

अैसे अुदाहरण हमें अपने यहाँ क्योँ नहीं मिलते? हमारे देशमें अनेक लिधवायें मात्र सेवापरायण और निवेदित जीवन बितानेवाली पाअी जाती हैं। मेरे अपने निकटके सम्बन्धियोंमें तीन बाल-विधवायें अैसी हैं, जिनका प्रातःस्मरण करना पुण्यस्मरण करनेके समान है। तीनोंकी अुम्र आज करीब साठ साठ सालकी है, तीनोंने निष्कलंक जीवन बिताया है। अिन तीनोंके सामने यदि किसीने विवाहकी चर्चा तक चलाअी होती,

तो वह अुनके लिये असह्य हो जाती । अुन्होंने अपने जीवनकी परिणति दृसर्गकी सेवामें ही समझी । अैसी अनेक शुद्ध विधवाओंके जीवन sublimated अर्थात् कुन्दन बने हुअे जीवन हैं । अगर विधवायें यह सब करती हैं, तो कुमारिकाओंके लिये तो यह और भी शक्य होना चाहिये । लेकिन हम तो कन्याका अविवाहित रहना ही पाप समझे बैठे हैं । सच है कि आज यह भ्रम बहुत कुछ दूर हुआ है । फिर भी पश्चिममें स्वेच्छासे संयमपूर्वक अविवाहित रहनेवाली बहनोंके जितने अुदाहरण मिलने हैं, अुतने हमें अपने यहाँ नहीं मिलते । हृदयसे यही पुकार अुठती है कि हमारे यहाँ भी अैसी अनेक निवेदितायें प्रकट हों ।

२

पश्चिममें तो आजीविकाके लिये अविवाहित रहनेवाली भी अनेक बहनें हैं । जीविकोपार्जनकी शक्ति प्राप्त करना अच्छी चीज है । केवल जीविकोपार्जनकी असमर्थताके कारण स्त्रीको विवाहके लिये विवश होना पड़े और अपने मनको न रुचनेवाली पुरुषकी पराधीनता सहनी पड़े, यह तो अेक असह्य वस्तु है । यदि विवाहको परतन्त्रताका प्रतीक माना जाय और केवल भरण-पोषणके लिये ही विवाह किया जाय, तो वह अिष्ट नहीं है । अुससे बेहतर तो यह है कि कन्यायें अपनी आजीविकाके लिये कोअी भी अेक घन्धा पसन्द करके अुसे सीख लें और अुसे चलानेकी कुशलता प्राप्त कर लें ।

लेकिन विवाहित जीवन कोरमकोर परतन्त्रता नहीं है । अुसे हमने परतन्त्रता युक्त बना रक्खा है, यह हमारा दुर्भाग्य है । असलमें विवाहित जीवन अपूर्ण जीवनकी पूर्णता है, अथवा होना चाहिये । अिसका कोअी यह अर्थ न करे कि अविवाहित जीवन मात्र अपूर्ण है । अुस दशामें मुझे अिस लेखका प्रथम भाग रद करना होगा ! लेकिन जो विवाहित जीवन विताना चाहते हैं,— और यह अुचित है कि अपनी मर्यादाको समझनेवाला हरअेक मनुष्य यह चाहे — अुन्हे विवाहित जीवनको पूर्णताका साधन बनाना चाहिये । अगर लोग यह समझ लें कि विवाह स्त्री पुरुषके विकारोंका पोषक साधन नहीं, बल्कि अेक दूसरेके विकारोंको मर्यादामें

रखनेका साधन है, तो वह एक दूसरेके आदर्शको सफल करनेमें सहायक होनेवाला एक महा साधन भी बनाया जा सकता है ।

पश्चिममें इस दोहरे अद्भुतकी सिद्धिके विचारसे विवाह करनेवाले अनेक जोड़े पाये जाते हैं; और अन्होंने अपने जीवनमें सुन्दर सफलता प्राप्त की है । यहाँ रॉबर्ट ब्राउनिंग और अेलिजाबेथ ब्राउनिंगका अुल्लेख करना शायद अनुचित न होगा । दोनों कवि थे । कवि जीवनके समान आदर्शको सन्मुख रखकर दोनों विवाह सूत्रमें बँधे थे; और यह जानते हुअे भी बँधे थे कि अेलिजाबेथ सदा बीमार रहा करती है । किन्तु त्रिकि कवि-जीवन कोअी पुरुषार्थसाध्य वस्तु नहीं है, अिसलिये सम्भव है कि यह एक असाधारण दृष्टान्त माना जाय । लेकिन सिडनी और बीअेट्रीस वेब को लो । दोनोंका जीवन आदर्श रूपसे समर्पित या निवेदित जीवन था । दोनोंने श्रमजीवियोंके जीवनके अध्ययनको अपना जीवनकार्य बनाया, और जितनी पुस्तकें लिखीं, एक दूसरेके सहयोगसे लिखीं । आज समाजशास्त्रका प्रत्येक विद्यार्थी अिनकी पुस्तकोंसे परिचित है । कोअी ७०-८० वर्षकी अुम्रमें ये दोनों पतिपत्नी रूस जैसे देशका नया और अद्भुत प्रयोग देखने गये और वहाँकी सामाजिक व्यवस्थाके विषयमें दो बहुमूल्य पुस्तकें लिखकर अिन्होंने अपने सफल जीवनकी पराकाष्ठा कर दी । श्री० जे० अेल० हेमण्ड और श्रीमती हेमण्डका किस्सा भी कुछ अैसा ही है । अिनकी लिखी हुअी श्रमजीवियों सम्बन्धी पुस्तकोंपर और दूसरी पुस्तकोंपर पति-पत्नी दोनोंके नाम छपे हैं । वेब दम्पतीकी पुस्तकोंके समान ही अिनकी पुस्तकोंके सम्बन्धमें भी यह कहना कठिन है कि अुनके लेखनमें दोनोंका कितना कितना हाथ था । यह तो हम तभी बता सकते हैं, जब या तो हम अिनकी आत्मकथा पढ़ें, या अिनके मुँहसे अिनके जीवनके संस्मरण सुनें । मि० ग्रीन और मिसेस ग्रीन दोनों अितिहास लेखक थे । मि० ऑस्टिन और मिसेस ऑस्टिन दोनों न्याय-शास्त्रप्रवीण थे । मि० क्यूरी और मैडम क्यूरी दोनोंके जीवन विज्ञानके लिये निवेदित; दोनोंने रेडियमका आविष्कार करके मानवजातकी अपरम्पार सेवा की है; दोनों नोबल पुरस्कारके विजेता । अिनसे सहज निचली श्रेणीवालोंके भी मैं बहुतसे अुदाहरण दे सकता हूँ । निचली श्रेणीसे मेरा

मतलब है, कम प्रसिद्ध; जैसे जिनके जीवनकी उच्चतामें कोई फर्क नहीं, किन्तु जो दुनियामें ज्यादा मशहूर नहीं हो पाये। हमारे देशमें मजदूर वर्गके स्त्रीपुरुष तो बेचारे मिलकर काम करते ही हैं— हम जानते हैं कि मजदूर और किसान स्त्री-पुरुष एक साथ काम करते हैं, लेकिन वह केवल अदरनिर्वाहकी दृष्टिसे होता है, किसी आदर्शकी सिद्धिके लिये नहीं। यदि हम अमीको आदर्शसिद्धिका साधन बना सकें, तो कितना अच्छा हो ! स्कॉटलैण्डमें एक अहिंसावादी सज्जन 'हरिजन'के पाठक हैं। स्वयं शाकाहारी हैं और शाकाहारका प्रचार करते हैं। उन्हें पत्नी भी वैसी ही मिली है। दोनों लिख-पढ़कर और मजदूरी करके अपना प्रचार-कार्य करते हैं। हाल ही में उनकी जो फोटो आयी है, उसमें दोनों पति-पत्नी एक मोटा सा लकड़ी चीरते नजर आते हैं। इस साल अहमदाबादमें अखिल भारतवर्षीय महिला-परिषद्की सभानेत्री मिसेस कजिन्स थीं। मिसेस कजिन्स और मि० कजिन्स दोनों एक आदर्शसे प्रेरित होकर विवाहसूत्रमें बंधे हैं, दोनों शिक्षाके शौकीन हैं, और दोनों उस आदर्शके लिये सेवामय जीवन बिताते हैं। यहाँ वर्धामें श्री० जमनालालजीने महिलाभ्रमके लिये श्री० आर्यनायकम् और श्रीमती आशादेवीके रूपमें एक सुन्दर जोड़ा प्राप्त किया है। श्री० आर्यनायकम् लंकाके तामिल सज्जन हैं। यहाँ, विलायतमें और अमेरिकामें वर्षों रहकर अन्होंने शिक्षा प्राप्त की है। उनकी पत्नी हिन्दू विश्व-विद्यालयके प्रसिद्ध प्रोफेसर श्री० अधिकारीकी लड़की हैं; वह संस्कृतकी विदुषी और बनारसकी अम० अ० हैं। दोनोंने अपने जीवनका पूर्ण बनाने और अपने शिक्षा-सम्बन्धी आदर्शोंकी अुपासनाके लिये विवाह किया है और दोनों सेवामय अंध परम सुखी गृहजीवन व्यतीत कर रहे हैं। श्री० आर्यनायकम् नवभारत विद्यालयके आचार्य हैं, और श्री० आशादेवी महिलाभ्रमकी अध्यापिका हैं। इनके दो बालक हैं। पति-पत्नी दोनोंने आपसमें यह तय कर लिया है कि या तो वे दोनों एक साथ बाहर जायँगे, और अगर एक साथ जाना न हुआ, तो दोनों बारी बारीसे बालकोंके साथ रहेंगे। 'अद्वैतं सुखदुःखयोरनुगुणं सर्वास्ववस्थासु यत्' यह युक्ति मुझे इन दोनोंके जीवनमें चरितार्थ होती नजर आती है। चरितार्थ

तो वह अपरके सभी दृष्टान्तोंमें होती है, पर यह तो आँखों देखा दृष्टान्त है।

३

स्त्रीपुरुषके समान अधिकारोंकी बातें आजकल बहुत सुनायी पड़ती हैं। अपर मैंने जो उदाहरण दिये हैं, मैं नहीं समझता कि उनके बीच कभी किसी दिन न्यूनधिक अधिकारका प्रश्न खड़ा हुआ हो। क्योंकि स्त्रियोंमें पत्नीको जिस वस्तुकी जरूरत थी, सो पत्नीनिष्ठ पतिने उसे दी है, और पतिको जिसकी आवश्यकता थी, सो पतिनिष्ठ पत्नीसे उसे मिला है, और यों दोनोंने अपने अपूर्ण जीवन पूर्ण बनाये हैं। स्त्री-पुरुष दोनोंको एक दूसरेके जीवनको परिपूर्ण बनानेका आनंद उठाना है। लेकिन पश्चिममें समान अधिकारकी बातें खूब हुई हैं, और उनकी गूँज यहाँ भी सुनायी पड़ती है। आज पश्चिममें तो पूछा यह जाता है कि जीवनका ऐसा कोई एक भी विभाग है, जिसमें स्त्री पुरुषके मुकाबले हलकी सिद्ध हुई हो? और, एक पुस्तकमें तो साहसके क्षेत्रमें स्त्रियों द्वारा किये गये पराक्रमोंकी सत्रह कथाओंका रोमांचकारी वर्णन दिया गया है। इस पुस्तकमें उन स्त्रियोंके वृत्तान्त दिये गये हैं, जिन्होंने चलने, दौड़ने, पहाड़ों पर चढ़ने, समुद्रके गर्भमें प्रवेश करने, आकाशमें उड़ने, और अधिकसे अधिक वेगके साथ मोटर चलानेमें पुरुषोंको पराजित किया है। मैडम डेविड नील गुप्त वेशमें लासा (तिब्बतकी राजधानी) नगर पहुँची, दो महीने वहाँ रहीं, और उन्होंने अपने अनुभवोंका वर्णन लिखा। उनका यह माहम बटन और लॉरेन्सकी याद दिलानेवाला था। आर्मीसेबेल इचिन्सन नामक एक स्काँच युवतीने अलास्का, आइसलैण्ड और प्रीनलैण्डकी वनस्पतिके नमूनोंका संग्रह करनेके लिये कठोर साहसके साथ असह्य सर्दीका सामना किया था। ग्लोरिया हेल्सिटर नामक एक अमेरिकन युवतीने समुद्रके अन्दर हजारों फुट गहरी डुबकी मारकर अनेक वनस्पतियों और प्राणियोंके नमूने एकत्र किये थे। एक महिलाने अपने पतिके साथ जंगली पशुओंका शिकार करनेमें आनन्दका अनुभव किया है, तो दूसरीने बरसों पहाड़ों और जंगलोंमें भ्रमण करके भी बन्दूकका स्पर्श तक नहीं किया है। एक घण्टेमें १२५ मीलसे भी

ज्यादाकी रफ्तारसे मोटरें चलानेवाली और पुरुष तैराकोंसे भी अधिक गतिके साथ तैरकर अंग्लिश चैनलको पार करनेवाली स्त्रियोंके नाम मशहूर हो चुके हैं । मिस ऐमी जॉनसनको आज सभी कोभी पहचानते हैं । उसने अपने हवाभी जहाज द्वारा अकेले पहली बार ऑस्ट्रेलियाकी यात्रा की, और वह विलायतसे केप तक कमसे कम समयमें अड़कर पहुँची । फ्रेया स्टार्क नामकी एक अंग्रेज महिलाको किसी गंभीर दुर्घटनावश तीन साल तक विस्तरकी शरण लेनी पड़ी । अिन तीन वर्षोंमें उसने अरबी और फारसीका अध्ययन किया, और फिर जिन प्रदेशोंमें ये भाषाये बोली जाती हैं, उन प्रदेशोंकी यात्रा करके एक यात्रा-ग्रन्थ लिखा और उस पर रिचर्ड बर्टन पदक प्राप्त किया । ये सभी शुद्ध साहसके अुदाहरण हैं । लेकिन मानवसेवाके लिये अपने प्राणोंको संकटमें डालनेवाली बहनें अधिक स्तुतिपात्र हुआ हैं । नाअिटिंगेलको सभी कोभी जानते हैं । मिस ऐन० बगेंसने ३५ वर्षों तक लूटपाट, मारकाट और अत्याचारवाले प्रदेशोंमें रहकर आर्मेनियन लोगोंकी सेवा की, उनमें अुद्योग-घन्वोंका प्रचार करके अुन्हें प्राणवान बनाया, और प्लेगके अेव दूसरे रोगोंसे पीड़ित रोगियोंकी सेवा-शुश्रूषा की । अिन सेविकाओंको छोड़ देने पर जो रह जाती हैं, उनमें अधिकांश तो ऐसी हैं, जिन्होंने अभिमानवश, यह सिद्ध करनेके लिये कि स्त्री भी पुरुषके समान साहसके कार्य कर सकती है, अनेक साहसिक कार्य करके दिखवाये हैं । हमारे देशमें राजपूत वीरांगनायें शौर्य और शीलके जो अनुपम दृष्टान्त छोड़ गयी हैं, सो पुरुषोंके साथ समान अधिकार सिद्ध करनेकी किसी भावनासे नहीं, बल्कि पवित्रताकी रक्षा करनेका जो सहज धर्म स्त्रियोंको प्राप्त है, असे सिद्ध करनेके विचारमात्रसे ।

लेकिन यह सिद्ध करनेके लिये कि स्त्रीको पुरुषके समान ही हक और शक्ति प्राप्त है, अूरके अिन सब साहसिक कार्योंकी कोभी आवश्यकता नहीं है । आज हम अिन सब साहसोंकी चर्चा करते हैं, लेकिन जिन माताओंने महापुरुषोंको — वीरों, भक्तों, और महात्माओंको — जन्म दिया है, उनके बारेमें अितिहास प्रायः चुप है । अैसे पुत्रोंको जन्म देनेका साहस अूरके सभी साहसपूर्ण कार्योंसे कहीं बढ़कर है, और अिस साहसमें पुरुष कभी स्त्रीकी बराबरी कर नहीं सकता । यह तो स्त्रीका ही विशेष

अधिकार और विशेष कर्त्तव्य है । माता बननेकी अिच्छा रखनेवाली प्रत्येक स्त्री अगर अितना भी समझ ले, तो वह मानवजातिकी बहुत बड़ी सेवा कर सकती है । अिसके लिये न विकट साहसकी आवश्यकता है, न विशेष शिक्षाकी आवश्यकता है, और न विशेष अवसरोंकी आवश्यकता है: आवश्यकता केवल वीरता और पवित्रताकी है । गर्भाधानके बाद तुरन्त ही गर्भिणी अपने गर्भकी रक्षाके पवित्र कर्त्तव्यको समझ ले, तो वह अनन्त अपकार कर सकती है । गर्भकी रक्षाका अर्थ यह है कि गर्भिणी नौ महीनों तक सम्पूर्ण ब्रह्मचर्यका पालन करे, खानपानमें सम्पूर्ण संयमसे काम ले, प्रसन्नचित्त रहे, सद्वाचन और सद्विचारमें समय बिताये, और अिस प्रकार गर्भका पोषण करके अपने पवित्र कर्त्तव्यका पालन करे । स्त्री और कुछ भी न कर सके, किन्तु अुसे जो असाधारण अधिकार प्राप्त है, अुसका अपयोग करके वह अपने कर्त्तव्यका यथोचित पालन करे, तो पुरुष जगज्जननीकी जितनी पूजा आज करते हैं, अुससे कहीं अधिक करने लगे । जिन नररत्नोंकी माताओंके विषयमें हम कुछ भी नहीं जानते, अुनके बारेमें अितनी बात तो अलिखित होने पर भी हमें स्वीकार कर लेनी चाहिये कि वे आदर्श जननिर्था थीं; अुन्होंने वीरता और पवित्रता पूर्वक अपने गर्भकी रक्षा की थी । स्त्रियोंके और सब अधिकार चाहे छीने या लूटे जा सकते हैं, लेकिन किसकी ताब है जो अुनका यह अधिकार अुनसे छीन सके । दूसरे साहम असाधारण स्त्रियोंके लिये हो सकते हैं, साधारण स्त्रियाँ अुनकी ओर बढ़नेका या अुनमें पढ़नेका विचार न करें तो कोअी हर्ज नहीं; किन्तु जो स्त्रीमात्रका सहज साहम है, और जो साधारण स्त्रियोंके लिये भी सुसाध्य होना चाहिये, अुसमें भी वे सफल हों तो बहुत है ।

तुम देखोगी कि अिस लेखके तीन हिस्सोंमें तीन अलग अलग दृष्टियोंसे लिखा गया है । आशा है, अिन तीनोंमें दी हुअी सामग्री भिन्न भिन्न रुचिको तृप्त कर सकेगी ।

४

[श्री० महादेवभाओंके अुक्त तीन पत्रोंको पढ़कर चि० बनमालाने यह टीका की कि महादेवकाकाने सभी अुदाहरण यूरोपके ही क्यों दिये

हैं ? क्या हमारे देशमें ऐसी स्त्रियाँ नहीं हैं ? उसके जवाबमें श्री० महादेवभाजीने जो पत्र लिखा था, उसका आवश्यक अंश नीचे दिया जाता है ।]

मेरे लेखके तीन विभाग हैं । पहले विभागमें जिनके नाम दिये जा सकें, ऐसी हिन्दुस्तानी बहनोंको मैं नहीं जानता । . . . के समान कुछ बहनें हैं सही, लेकिन अभीसे अन्हें इतिहासकी वस्तु नहीं बनाया जा सकता । दूसरी जो जानी-पहचानी हैं, अन्होंने अपनी कीर्तिको निष्कलक नहीं रक्खा है । यूरोपके लिअे मैंने जो कुछ लिखा है, वह वहाँके लिअे बिलकुल स्वाभाविक है । यह कहनेवाली वीस-पचीस वर्षकी अनेक लड़कियाँ हमें वहाँ मिलेंगी कि I am keeping house for my father; और सिर्फ़ इसी लिअे वे अविवाहित रहीं होंगी । यह चीज हमारे यहाँ व्यापक क्यों न बने ? मैंने अपनी अेक बहन और दो फूफियोंकी बात तो अ़पर लिखी ही है; तीनों बाळविधवायें हैं, और तीनोंका चरित्र निष्कलक रहा है । लेकिन इस प्रकार अपने जीवनको कुटुम्ब या समाजकी सेवाके लिअे अर्पण करनेवाली कुमारिकायें हमारे यहाँ क्यों न हों ? कारण इसका यही है कि आज हमारे देशमें कुँवारे रहनेका आम रिवाज अभी नहीं पड़ा है । विलायतमें तो केवल आर्थिक परिस्थितिके कारण कुँवारी रहनेवाली और क्लर्क या टाइपिस्टका काम करनेवाली हजारों कन्यायें पायी जाती हैं । सच है कि वे सभी पवित्र नहीं होतीं । लेकिन उनमें कभी बहुत बहादुर और सच्चरित्र होती हैं ।

दूसरे विभागमें देने योग्य देशी अुदाहरण तो सचमुच मेरे पास हैं ही नहीं, जब कि पश्चिमके जितने मैंने दिये हैं, उससे बहुत ज्यादा दे सकता हूँ ।

तीसरे विभागमें तो Women in the Realm of Adventure नामक अेक पुस्तकका, जो मेरे पढ़नेमें आयी थी, सारांश देकर मैंने यह समझानेकी कोशिश की है कि हमें इस प्रकारके साहस करके यह सिद्ध करनेकी कोअी आवश्यकता नहीं है कि स्त्री पुरुषके समान अधिकारोंवाली या पुरुषके सदृश साहसिक कार्य करनेवाली है । पहले

दो विभागोंमें जिनका समावेश नहीं हो सकता — प्रतिकूल परिस्थितियोंके कारण जो वैसा जीवन नहीं बिता सकतीं — वे तीसरे या अन्तिम विभागमें तो शामिल हो ही सकती हैं। तात्पर्य यह कि जिन्हें जीवनमें बहुत अच्छे अवसर नहीं मिले हैं, जो अनपढ़ हैं, वे भी उत्तम मातायें बन सकती हैं, बशर्ते कि उनमें उत्तम माता बननेकी महत्त्वाकांक्षा हो। हमें उनके सामने यह महत्त्वाकांक्षा (ambition) रखनी चाहिये, और उसके लिये जिन शर्तोंका मैंने उल्लेख किया है, वे शर्तें भी उन्हें समझानी चाहियें।

बापूजीकी सलाह

सन् १९३२में यरवदा जेलसे आश्रमकी एक शिक्षिकाको लिखे गये पत्रका कुछ हिस्सा :

“बालकको जिन जिन बातोंके बारेमें कुतूहल पैदा हो, उनके सम्बन्धकी जानकारी हम उसे दे सकें, तो जरूर दें। जानकारी न हो, तो अपना अज्ञान कबूल कर लें। कोअी न कहने लायक बात हो, तो बालकोंको रोकना और उन्हें समझाना चाहिये कि वे दूसरोंसे भी उसके बारेमें न पूछें। उन्हें कभी अज्ञान और टालमटोल भरे जवाब न दिये जायें। जितनी हम सोचते हैं, उससे ज्यादा जानकारी बालकोंको अिन बातोंकी रहती है। जो कुछ वे नहीं जानते, उसके बारेमें यदि हमने उन्हें ज्ञान न दिया तो वे अनुचित रीतिसे उसका ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। तिसपर भी जो नहीं देने योग्य है, उसे तो जोखम अुठाकर भी हम न दें। जैसा न देने योग्य कम ही होता है। यदि वे बीभत्स क्रियाका ज्ञान लेना चाहें, तो वह हम कभी न दें, फिर चाहे हमारी रोकके रहते वे उसे गलत तरीकोंसे ही क्यों न पा लें।

“पक्षियोंमें होनेवाली क्रियाको बालक देखें और वे उसे जानना चाहें, तो मैं जरूर उनकी यह अिच्छा तृप्त करूँगा और उसके द्वारा उन्हें ब्रह्मचर्य सिखाऊँगा। पक्षी, पशु और मनुष्यके बीचका भेद समझाऊँगा। जो स्त्री-पुरुष पशु जैसा आचरण करते हैं, वे मनुष्याकृति

पानेके बाद भी अिस बारेमें पशु-पक्षी जैसे हैं। यह कोअी निन्दाकी बात नहीं, वस्तुस्थिति है। पशुतासे बचनेके लिअे हमें मनुष्यका आकार और बुद्धि मिली है।

“सयानी लड़कीको मासिक धर्मका सम्पूर्ण ज्ञान देना चाहिये। अुससे छोटी अुम्रकी लड़की यदि अिस बातको जाने और पूछे, तो अुसे भी अुतनी बात समझाअी जा सकती है जितनी वह समझ सके।

“हम कितनी ही कोशिश करें, फिर भी यह सम्भव नहीं कि लड़के और लड़कियाँ अन्त तक अिस विषयसे अनजान रह सकें। अिसलिअे अच्छा यही है कि अिसका खयाल रखकर सबको अमुक समयपर यह ज्ञान दे दिया जाय। अिस ज्ञानको पानेवालेका ब्रह्मचर्य अितना निर्बल हो कि वह अुसका पालन कर ही न सके, तो हमें अुससे कोअी वास्ता नहीं। असलमें तो अिस ज्ञानप्राप्तिके बाद ब्रह्मचर्य अधिक सफल होना चाहिये। मेरे अपने बारेमें तो यही हुआ है।

“ज्ञान देने-पानेमें बहुत भेद है। अेक अपने विकारका पोषण करनेके लिअे ज्ञान पाता है, दूसरेको वह अनायास मिलता है, तीसरा विकारोंका शमन करनेके लिअे या दूसरोंकी सहायता करनेके विचारसे वह ज्ञान प्राप्त करता है।

“यह ज्ञान देनेकी योग्यता हो, तो ही कोअी यह ज्ञान दे; और अैसे योग्य व्यक्तिको ही यह ज्ञान देना चाहिये। तुझमें यह योग्यता होनी चाहिये, आत्मविश्वास होना चाहिये कि तेरे ज्ञान देनेसे लड़कियोंमें कभी विकार अुत्पन्न होगा ही नहीं। तुझे अिस बातका भान होना चाहिये कि विकारोंकी शान्तिके लिअे तू यह ज्ञान दे रही है। अगर तुझमें विकार पैदा होनेकी सभावना हो, तो तुझे अिस बातका ध्यान रखना चाहिये कि अिस विषयका ज्ञान देते समय तुझमें विकार अुत्पन्न न हों।

*

*

*

“पति-पत्नीके रूपमें स्त्री-पुरुषके सांसारिक जीवनकी जड़में भोग है। अुसमेंसे हिन्दू धर्मने त्याग पैदा करनेका प्रयास किया है, अथवा कहो कि सब धर्मोंने अैसा किया है। यदि पति ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर

है, तो पत्नी भी यह सब है ही। पत्नी दासी नहीं, समान अधिकारवाली मित्र है, सहचारिणी है। दोनों अंक दूसरेके गुरु हैं।

* * *

“लड़कीका हिस्सा लड़केके बराबर ही होना चाहिये।

“जितना धन जो कमाते हैं, उसके पति-पत्नी दोनों समान हकदार हैं। पति पत्नीकी मददसे कमाता है, फिर चाहे पत्नी रसोयी ही क्यों न बनाती हो। वह दासी नहीं, भागीदारिन है।

* * *

“जिस पत्नीके साथ पति अन्यायपूर्ण व्यवहार करता हो, उसे उससे अलग रहनेका अधिकार है।

“बच्चोंपर दोनोंका समान हक है। बड़े होनेपर किसीका कुछ नहीं। पत्नी जब नालायक हो, तो उसका हक नहीं रहता। यही पुरुषपर भी लागू होता है।

“संक्षेपमें स्त्री और पुरुषके बीच कुदरतने जो भेद रखे हैं और जो प्रत्यक्ष देखे जा सकते हैं, उनके सिवा और कोई भेद मुझे मंजूर नहीं।”

बापूके आजके विचार

[आमतौर पर मैं अपनी रचनाओंको पढ़ जानेका बोझ बापूजी पर नहीं डालता। लेकिन महाबलेश्वरमें नवजीवन कार्यालयकी तरफसे जिस पुस्तककी चौथी आवृत्ति बापूजीको मिली। उन्हें कुछ फुरसत थी, जिसलिअे वे अपनी जिच्छासे सारी पुस्तक पढ़ गये। और अपनी सूचनार्थे मुझे नीचे लिखे पत्रके रूपमें भेजीं।]

महाबलेश्वर, ६-५-४८

चि० नरहरि,

तुम्हारे 'कन्याने पत्रो'* ध्यानपूर्वक पढ़ गया। सावधानी और परिश्रमपूर्वक लिखे गये हैं। पर ऐसा लगता है, मानो कलम डरते डरते चली हो।

मिश्र विवाहके बारेमें तुम्हारे विचार व्यवस्थित नहीं लगे। चूँकि मेरी यह मान्यता है कि जैसे विवाह जितने हों अतने कम हैं, जिसलिअे मैं तो अेक ही जातिके विवाहको किसी तरह स्वीकृति नहीं देता। तुम्हारे पत्रोंमें यह भी नहीं पाया कि अेक प्रान्तमें तो विजातीय विवाह बड़े पैमानेपर होने चाहिये। प्रान्तोंको तो तुम अपवाद रूपमें स्वीकार करते हो। मैं तो जिसे अुत्तेजन दूँगा, और देना चाहिये। सुधारवादी यानी धर्मके बारेमें अुदासीन लोगोंके ऐसा करनेसे कोअी सार न निकलेगा। लेकिन तय यह होना चाहिये कि हम जो धर्मको पहला स्थान देनेवाले हैं, वे कहाँ तक जायँ ? अगर हिन्दुस्तानी राष्ट्रभाषा बन जाय और जातपाँतको जिस रूपमें हम जानते हैं, अुसका वह रूप लुप्त हो जाय और होना भी चाहिये, तो हमें निःशंक भावसे 'अतिशुद्ध' और 'सवर्ण' के बीचके विवाहको बढ़ावा देना चाहिये। अुस हालतमें प्रान्तका तो सवाल ही न रहेगा।

विधर्ममें भी जहाँ माता पिता समझदार हों, वहाँ कोअी हर्ज न होना चाहिये। हम तो सब धर्मोंको समान मानते हैं न ? प्रार्थनामें अन्ध धर्मोंको जो स्थान दिया गया है, सो सोचविचार कर दिया गया है। बच्चे अपनी

* 'सयानी कन्यासे' का गुजराती नाम

मरजीके मुताबिक जिस धर्मका चाहें, पालन करें। हमारी कल्पनाकी जोड़ी इस बारेमें शिक्षा भी सुदार ही देगी। मेरी दृष्टिमें यह चीज सहल ही होनी चाहिये। कन्याको लिखे जानेवाले पत्रोंमें ऐसी चीज बहुत दृढ़तापूर्वक और स्पष्ट रीतिसे लिखी जानी चाहिये।

महादेवका लेख जग सुभावदार बन गया है। वनमालाकी शंका ठीक है। हमारे यहाँ जैन साध्वियाँ क्या करती हैं? स्वामीनारायण (सम्प्रदाय)की साध्वियोंका क्या? अंग्रेजों साहित्यमेंसे बच्चोंको अितनी ज्यादा सामग्री देनेसे अपचन पैदा हो सकता है। तुलना बराबर वालोंकी होती है। हमारी सभ्यतामें पश्चिमकी अतिशयताके लिअे स्थान नहीं। बड़े होनेपर बच्चे अिसे समझें और तौलें। सुकुमार बालकोंको पहले तो अपनी सम्पत्ति अच्छी तरह पहचाननी और पचानी चाहिये। अिसे बहुत नहीं बड़ाँगा।

अेक चीज छूट रही थी। तुमने अपनी कोटिके अर्थात् तीन जातिके लोगोंको और उनमें भी ब्राह्मणों और बनियोंको ही अपने सामने रखा है। राजपूतोंका क्या? शूद्रोंका क्या? अतिशूद्रका क्या? उनमें तलाकका रिवाज है, घरमें बैठनेका रिवाज है। कहीं कहीं विवाह जैसी कोअी चीज है भी नहीं। फिर भी वहाँ शुद्धताकी रक्षा होती है। अिस चीजका अुल्लेख अवश्य ही होना चाहिये।

अिसमेंसे जितना पचा सको, अुतना ही लेना। अिसमें मेरे आज तकके विचारोंकी झाँकी मिलती है। यह महत्त्वका पत्र है। नकल आफिसके लिअे रखना।

बापूके आशीर्वाद

बापूजीने खुद ही अिस पत्रको महत्त्वका माना है। अुनके आखिरीसे आखिरी विचारोंका अिसमें दर्शन होता है। साथ ही अुन्होंने सलाह भी दी है कि अिसमेंसे अुतना ही लेना जितना हजम हो सके। मैं समझता हूँ कि अन्तरप्रान्तीय और अन्तरधर्मीय विवाहोंके लिअे मैंने पृष्ठ ७९ पर अपने जो विचार जाहिर किये हैं, अुनमें कहीं कहीं सुधार करनेकी जरूरत है। अुसी तरह अधिक खुलासा करना भी जरूरी है। परन्तु अिस तरह पुस्तकमें हेरफेर करनेके बजाय, बापूजीने जिस बात पर टीका की है वह

पाठकोंके सामने रहे, इसलिये मैंने मूल पुस्तक जैसीकी तैसी रहने दी है । और उसमें करने जैसे संशोधनोंकी चर्चा यहाँ की है ।

खास तौरसे मिश्र विवाहोंके विषयमें जाहिर किअे हुअे मेरे विचारों पर बापूजीकी टीका है । मिश्र विवाह यानी अन्तरजातीय, अन्तरप्रान्तीय और अन्तरधर्मीय विवाह । अब हम सिलसिलेसे अिन पर विचार करेंगे ।

हमारे समाजमें अभी जो जातिप्रथा चल रही है, उसे कायम करनेमें ऐतिहासिक कारण चाहे जो हों, फिर भी आज उसमें ऐसा कोअी तत्त्व नहीं रहा जो समाजकी प्रगतिमें सहायक हो । अितना ही नहीं, आजकी जातिप्रथा तो कअी तरहसे हमारी तरक्कीमें बाधक हो रही है । बापूजी अस जातिप्रथाको मिटा देना चाहते हैं, यह बिलकुल ठीक है । आश्रमके बच्चे तो यह भी नहीं जान पाते कि वे किस जाति या अपुजातिके हैं । और न जाननेकी जरूरत ही है । समाजमें आज जातिप्रथाके प्रतिबन्ध दो ही बातोंमें दिखायी देते हैं — अेक तो भोजन-व्यवहारमें और दूसरे शादी-ब्याहके काममें । अिनमें भोजन-व्यवहारके बन्धन तो बहुत कुछ ढीले हो गये हैं, लेकिन शादी-ब्याहके कामोंमें अुतनी ढील नहीं दिखायी देती । ये बन्धन ढीले हो जायँ या मिट जायँ, तो जातिप्रथाके कायम रहनेका कोअी खास कारण नहीं रहता । अस जाति-प्रथाको तुरन्त नेस्तनाशुद करनेकी दृष्टिसे ही बापूजी अेक-जाति विवाहको किसी तरहकी स्वीकृति नहीं देते और कअी सालोंसे अैसे विवाहोंमें भाग भी नहीं लेते । और अभी अभी तो अुन्होंने अपने लिअे यह नियम बना लिया है कि बग-बधू चाहे अलग अलग जातिके भी हों, फिर भी अुनमेंसे यदि अेक हरिजन न हो, तो अैसे विवाहमें भाग न लिया जाय ।

युवक और युवतियोंको अपने साथीकी पसन्दगी जानबूझकर जातिके बाहर करनी चाहिये, यह तो मैंने बतलाया ही है । (देखिये पृ. ७५) अस बातका विशेष प्रचार होना जरूरी है । परन्तु अेक तरफ जहाँ हम अिन अनेक जातियों और अपुजातियोंको मिटाना चाहते हैं, वहाँ दूसरी तरफ गुजरातमें तो अभी भी अेक अपुजातिमें भी नये नये जूथ बनते जा रहे हैं । यह बात विचार करने जैसी है । पाटीदार जातिमें अभी भी कुलवान माने जानेवालेको लड़की देनेमें बड़प्पन समझा जाता है । कुछ खास

गाँव और अनुमें भी कुछ खास कुटुम्ब कुलवान माने जाते हैं । छोटे माने जानेवाले गाँवके लोग बड़प्पन पानेके खातिर बड़ी बड़ी पहरावनियाँ देकर अपनी लड़कियाँ अनि कुलवान माने जानेवाले कुटुम्बों या गाँवोंमें देनेके लिये अतुसुक रहते हैं । अस तरह जब बहुतसे लोग ऊँचे घरोंमें अपनी लड़कियाँ देने जाते हैं, तो अनुमें बराबरीवालोंमें लड़कियोंकी कमी रहती है । अिपका नतीजा यह होता है कि कितनों ही को अपनेसे नीच गिने जानेवाले गाँवोंसे कन्यायें लानी पड़ती हैं और अुसके लिये पैसे भी देने पड़ते हैं । अस कठिनायीको दूर करनेके लिये कुछ गाँव अिकट्टे होकर जूथ बना लेते हैं और ऐसी तजवीज करते हैं कि अुस जूथमें ही लड़कियोंका लेनदेन हो । बनियोंकी अेक ही अपजतिमें अनेक जूथ होते हैं और वे भी अिसी कारणसे बनाये गये हैं । छोटे गाँवोंके लोग अपनी लड़कियोंको शहरों या बड़े गाँवोंमें देना पसन्द करते हैं । पर शहर या बड़े गाँववाले तो अपनी लड़कियाँ छोटे गाँवोंमें देते ही नहीं । नतीजा यह होता है कि छोटे गाँववालोंको लड़कियोंकी कमी रहती है । अस आफतको दूर करनेके लिये तरकीब यह की जाती है कि कुछ गाँवोंके लोग अपना अेक जूथ बनाते हैं और अुस जूथमें ही कन्याओंके लेनदेनका कड़ा बन्दोबस्त करते हैं । अससे अस जूथमें गरीब माने जानेवाले कुटुम्बोंको भी लड़की पानेमें मुश्किल नहीं होती । अस तरह आत्मरक्षाके खातिर यह ब्यवस्था पैदा हुअी है । लेकिन ऐसी आत्मरक्षा करनेमें जूथोंके बाहरके लोगोंसे बिलकुल सम्यन्ध टूट जाता है । अससे किसी अन्धे कुअें या पानीके किसी बन्द गडहेमें घिर गये हों ऐसा हो जाता है । और फिर अुसमें भी अनेक तरहकी सङ्घर्ष पैदा हो जाती है । विचार और विवेकका आश्रय लेकर अपनी गलतियाँ सुधारनेके बजाय अस तरह कायर प्रतिबन्ध लगानेसे कभी भी आत्मरक्षा नहीं हो सकती । यह बात हमारी जातियोंपर ही नहीं, सारे हिन्दू समाजपर भी लागू होती है । हिन्दू समाज जब आत्मरक्षा करनेके लिये, और अपनी मानी हुअी शुद्धता और अुच्चता कायम रखनेके लिये अपने देशमें बाहरसे आनेवाली जातियोंके संसर्गमें आनेसे अनिकार करने लगा, अुसने नअी विद्यायें और नये विचार ग्रहण करना बन्द कर दिया तथा अपने आसपास

जातपाँत, साम्प्रदायिक परम्पराओं और प्रचलित रूढ़ियोंकी दीवालें खड़ी करके अन्हींमें घिरे रहना शुरू कर दिया, तबसे हमारे समाजका विकास रुक गया है। अतना ही नहीं बल्कि हमारे समाजमें खूब ही सड़ाँघ पैठ गयी है, खूब ही निर्बलता आ गयी है। अिन दीवालेंको हम जितनी जल्दी तोड़ेंगे, अतनी ही जल्दी हमें स्वच्छ और स्वतंत्र हवा मिलने लगेगी, अतनी जल्दी हम सशक्त बनेंगे और अतनी ही जल्दी हम शुद्ध स्वतंत्रता भोगने लगेगे। हमें अनेक तरहके बन्धनोंसे मुक्ति पाना है, अुमीके साथ विवाहके सम्बन्धमें जाति, प्रान्त और धर्मके बन्धन भी न रहने चाहियेँ अैसा जो बापूने अपने पत्रमें लिखा है, अुसके पीछे यही दृष्टि है।

अब विवाहके सम्बन्धमें जातपाँत खतम कर देनेके साथ ही 'अतिशूद्रों' और 'सवर्णों'में जो भेद है अुसका विचार पैदा होता है। असलमें तो जातपाँतके भेद खतम करनेके साथ ही अस तरहके भेदोंको भी खतम कर देना चाहियेँ। लेकिन आज सवर्णोंकी अनेक जातियोंमें आपसमें जितने भेदभाव हैं, अुनसे भी 'सवर्णों' और 'अतिशूद्रों' या 'हरिजनों'के बीच हमने ज्यादा बड़े भेद और बाधायेँ खड़ी कर रखी हैं। और असमें तो कोअी शंका नहीं कि अिन भेदों और बाधाओंको मिटानेमें ही मुक्ति है। अिन्हें नाबूद करनेके अनेक अुपाय हैं। अुनमेंसे अेक बहुत ही प्रबल अुपायके रूपमें हमें 'अतिशूद्र' और 'सवर्णों'के बीच विवाह-सम्बन्धको पहला स्थान देना चाहियेँ, अैसा बापूका कहना है। लेकिन यह कहना जितना आसान है, अुतना ही अमलमें लाना मुश्किल है। आज तो अैसी हालत है कि सवर्ण समाजका बहुत बड़ा हिस्सा अैसे विवाहके लिये तैयार नहीं होगा। असलियेँ अस कामको सबसे पहले शुरू करनेकी जिम्मेदारी या फर्ज अुन लोगोंका है, जिनके मनमें अस भेदको नाबूद कर देनेकी तीव्र अिच्छा है। लेकिन अस तरहका कदम अुठाना चाहनेवाले लोगोंको आजकी वस्तुस्थितिपर कुछ विचार कर लेना चाहियेँ। अतिशूद्रों या हरिजनोंमें अब अच्छी जाग्रति हो रही है। लेकिन अिसीके साथ अिन लोगोंमें बहुतसी शंकायेँ भी घर कर गयी हैं। अिनके कअी नेता — करीब करीब सब ही — सवर्णोंकी ओर (अिनमें

जिन्होंने अस्पृश्यता मिटानेका काम अपने हाथमें लिया है वे स्वर्ण भी शरीक हैं) शंकाकी नजरसे देखते हैं। उन्हें लगता है कि स्वर्णोंकी अनि प्रवृत्तियोंके पीछे कुछ तो भी मतलब है; वे हमें मिलनेवाले लाभमें हिस्सा बँटाना चाहते हैं या हमारी मारफत कुछ लाभ अठा लेना चाहते हैं। अिससे यदि कोअी स्वर्ण युवक किसी हरिजन कन्याके साथ विवाह करे तो हरिजन नेता यह शोर मचावें तो अिसमें कोअी आश्चर्य नहीं कि हमारी कन्याओंको ले जानेके लिये ही ये लोग अस्पृश्यतानिवारण, हरिजन-सेवा और हमारी कन्याओंको शिक्षा देनेकी बातें करते हैं। कोअी स्वर्ण कन्या हरिजनके साथ विवाह करे, तो सम्भव है ये लोग अैसा शोर न मचावें और शायद अिसका स्वागत भी करें। फिर भी अिस बारेमें निश्चित कुछ नहीं कहा जा सकता। अपनी जातिसे दूसरी जातिमें कन्या जानेके बजाय वह दूसरी जातिमेंसे अपनी जातिमें आवे तो जातिको कुछ फायदा हुआ या जातिने कुछ बहादुरी की, यह मान्यता चली आ रही है। अिसलिये जब स्वर्ण कन्या हरिजनके साथ विवाह करे, तो शायद है वह आवाज न अुठे। चूँकि यह मान्यता स्त्री पुरुषके बारेमें छोटे-बड़े होनेके छूटे खयालपर बनी हुअी है अिसलिये हम अिसे महत्व न दें। लेकिन अनि धिवाहोंके लिये अितना तो कहना ही चाहिये कि जब तक वातावरण सशंक है, तब तक अुन्हीं स्वर्ण युवक-युवतियोंको हरिजनके साथ विवाह करना चाहिये, जिनकी जिस कुटुम्बमें वे खुद विवाह करें अुस कुटुम्बको और अुसके सगे सम्बन्धियोंको अपना कर लेनेकी, हरिजन समाजको पूरी तरह अपना लेनेकी और अुस समाजके अंगरूप होकर तथा अुसके बीच रहकर अुसकी सेवा करनेकी तैयारी हो। हरिजनके साथ विवाह करके ये दम्पती यदि हरिजन समाजसे अलग रहने लगें, तो हरिजनोंके द्वेषपात्र बनेंगे और अस्पृश्यतानिवारणके कामको भी नुकसान पहुँचावेगे।

अब हम अन्तरप्रान्तीय धिवाहोंपर विचार करें। अैसे धिवाहोंमें बच्चोंको भाषाकी कठिनाअी होगी, यह मानकर मैंने कहा है कि अन्तर-प्रान्तीय धिवाहोंको अपवाद रूप समझना चाहिये। विशेष विचार करने पर मुझे लगता है कि भाषाके प्रश्नसे धवरानेकी जरूरत नहीं। अलग अलग

प्रान्त और अलग अलग मातृभाषावाले होनेपर भी माँ-बाप घरमें आपसमें जो भाषा बोलते हैं, वही बालककी मातृभाषा होगी। अपने आसपास बोली जानेवाली भाषा सुनकर बालक उसे सीख जाता है। यानी माँ-बापके अलावा आसपासवाले दूसरे लोग जो भाषा बोलते हैं, वह भी बालक सीख लेता है। बालक जिस प्रान्तमें पैदा होता है, परवरिश पाता है और पढ़ना-लिखना सीखता है, उस प्रान्तकी भाषा माँ-बापकी भाषासे अलग होते हुअे भी बालक उसे मातृभाषाकी तरह ही सीख लेता है। अुदाहरणके लिअे हमारे आश्रममें काका साहब और पण्डितजी महाराष्ट्रके रहनेवाले हैं। वे घरमें मराठी बोलते हैं फिर भी सतोश और बाळ तथा उसी तरह रामभाऊ और मथुरी मराठीकी अपेक्षा गुजराती ज्यादा अच्छी जानते हैं। मथुरी तो जन्मसे ही आश्रममें रही, असलिअे उसके बोलनेमें गुजराती ढंग तथा गुजराती लहजा भी पूरी तरह आ गया है। देवदासभाभी और लक्ष्मीबहन गुजराती और तामिल हैं। फिर भी अेक दूसरेके साथ हिन्दुस्तानीमें बोलते हैं और दिल्लीमें रहते हैं, असलिअे अिनके बच्चोंने तो हिन्दुस्तानीको बिलकुल मातृभाषा बना ली है। प्रभुदासभाभी और अम्बादेवी गुजराती और हिन्दी बोलनेवाले हैं, फिर भी अेक दूसरेके साथ वे गुजरातीमें बोलते हैं और अिनके बच्चे घरमें गुजराती बोलते हैं, लेकिन संयुक्त प्रान्तमें रहनेकी वजहसे हिन्दुस्तानी अच्छी तरह जानते हैं। और यदि अिनका शिक्षण हिन्दुस्तानीमें हुआ, तो गुजरातीकी अपेक्षा हिन्दुस्तानीपर अिनका विशेष अधिकार होगा। असलिअे अिस विषयमें ठीक ठीक नियम नहीं दिया जा सकता। आमतौर पर सम्भव है कि माँ-बाप अेक दूसरेसे जिस भाषामें बोलते हों, वही भाषा बालक भी घरमें बोले; लेकिन जिस भाषाके वातावरणमें उसकी परवरिश हो, उसका शिक्षण हो उस भाषा पर उसका विशेष अधिकार हो और वही भाषा उसकी साहित्यिक भाषा बने।

हिन्दुस्तानी राष्ट्रभाषा है। असलिअे यह कहा जाता है कि अैसे अन्तरप्रान्तीय विवाहवाले कुटुम्बों और अुनके बच्चोंकी भाषा हिन्दुस्तानी रहे। लेकिन यह खयाल मुझे ठीक नहीं मालूम होता। कारण, किसी मनुष्यको, खासकर बालकको, भाषा सिखानेके लिअे उस भाषाके वातावरणकी

जरूरत है। इसलिये आसपासके रहनेवाले लोग जहाँ हिन्दुस्तानी न बोलते हों, वहाँ मुख्य भाषा या स्वभाषा हिन्दुस्तानी नहीं बन सकती।

हम अन्तरप्रान्तीय विवाहोंका विचार करते करते भाषाके विचारमें अंतर गये। अन्तरप्रान्तीय विवाह ज्यादा तादादमें होने लगे, तो संकुचित प्रान्तीयता या झूठा प्रान्ताभिमान दूर करनेमें वे बहुत ही सहायक हो सकते हैं। इसलिये ऐसे विवाहोंको जरूर प्रोत्साहन देना चाहिये। अलबत्ता ऐसे विवाह अन्तरप्रान्तीय सम्बन्धवाले कुटुम्बोंमें ही अधिकतर होंगे और इसलिये ऐसे विवाहोंकी संख्या बहुत ही कम रहेगी।

फिर, हर अन्तरप्रान्तीय विवाहमें प्रान्त बदलनेकी बात नहीं रहती। एक प्रान्तके कितने ही परिवार दूसरे प्रान्तमें बसे हुये देखनेमें आते हैं। वे चाहे घरमें अपनी भाषा बोलते हों, फिर भी जहाँ वे बसे हैं उस प्रान्तकी भाषा वे अच्छी तरह जानते हैं। वहाँके लोगोंके साथ उनके सम्बन्ध भी गाढ़े हो गये होते हैं। फिर भी ये कुटुम्ब विवाहसम्बन्ध अपने असल प्रान्तके साथ ही रखते हैं, जिसके साथ उनके दूसरे सम्बन्ध बहुत कम हो गये होते हैं। यह बात ठीक नहीं है। अदादरणके लिये गुजरातमें रहनेवाले महाराष्ट्रके कुटुम्ब गुजराती कुटुम्बोंके साथ विवाहसम्बन्ध करें और महाराष्ट्रमें रहनेवाले गुजराती कुटुम्ब महाराष्ट्री कुटुम्बोंके साथ सम्बन्ध करें यही अिष्ट है। विवाह सम्बन्ध करनेके लिये अपने प्रान्तमें दूर जाना, जहाँ जानपहचान भी कम रह गयी हो, ठीक नहीं।

बापूजीने जुदे जुदे धर्मोंके बीचके विवाहोंको स्वागत योग्य समझा है। बापूजीके आदर्शके अनुसार जिन्हें सब धर्म समान समझनेका अुदार शिक्षण मिला है, सर्वधर्मसमभाव जिनके रगरगमें समा गया है तथा जो अपने धर्मका इस तरह पालन करते हैं कि यदि कोई दूसरे धर्मवाला भी अिनके साथ रहे तो उसकी धर्मभावनाको भी पोषण मिले, बलवान होनेका मौका मिले, ऐसे जुदे जुदे धर्मवालोंके बीच विवाहसम्बन्ध हों तो वे अिष्ट ही समझे जायेंगे। आज धर्म और सम्प्रदायके नामसे जो मूर्खतापूर्ण झगड़े हो रहे हैं, उन्हें मिटानेमें ऐसे विवाह बहुत ही सहायक होंगे। लेकिन यह सच है कि यदि दोनों अपने अपने धर्मोंको संकुचित भावसे माननेवाले और पालनेवाले हों,

तो दोनोंके बीच मुसीबतें पैदा होना सम्भव है । गुजरातमें कितनी ही जातियाँ ऐसी हैं, जिनके कुछ कुटुम्ब तो वैष्णव धर्म पालते हैं और कुछ जैन धर्म । और उनमें बेटीव्यवहार चालू है । जैसे कुटुम्बोंमें अधिकतर होता यह है कि कन्या ससुराल जाकर अपने पतिका धर्म स्वीकार कर लेती है । जैन कन्या वैष्णव कुटुम्बमें विवाही गयी हो, तो वह वैष्णव महाराजकी कण्ठी बाँध लेती है और वैष्णव कन्या जैन कुटुम्बमें विवाही गयी हो तो वह देरासरमें पूजा करने लग जाती है और अपासरेमें 'वखाण' सुनने लग जाती है । परन्तु जैसे मामलोंमें धर्मके विषयमें या तो अज्ञान रहता है या अुदासीनता । धर्मके सिर्फ बाहरी आचारोंका पालन होता है । हमारी स्त्रियोंपर जैसे संस्कार पड़े हुअे होते हैं कि वे हर तरहसे अपने पतिके अनुकूल हो जाती हैं — अुसमें धर्मकी बात भी शामिल है । ये ही संस्कार अूपरके मामलेमें स्त्रीके धर्म बदलनेके सम्बन्धमें भी काम करते हैं । लेकिन जिन धर्ममें परवर्गिश हुअी हो, अुस धर्मका आग्रह रखनेवाली स्त्रियोंके लिअे दूसरे धर्मवाले कुटुम्बोंमें घुलमिल जानेमें और अुनके अनुकूल अपने आचार-विचार बना लेनेमें कठिनायी होती है । कितनी ही बार अुनका जीवन बलेशमय हो जाता है । लेकिन ये प्रश्न वहीं पैदा होते हैं, जहाँ माँबाप विवाह करवाने हैं । बच्चे बड़े और समझदार हो जायँ और फिर अेक दूसरेको पसन्द करके विवाह करें, तो वहाँ कभी भी बनावटी प्रतिबन्ध लगानेका सवाल ही नहीं अुठना चाहिये । जाति, प्रान्त और धर्मके किसी भी तरहके प्रतिबन्धके बिना वे विवाह कर सकते हैं और मातापिताओंको जैसे कामोंमें अुन्हें अुत्तेजन देना चाहिये । जहाँ अुनकी भूल होती हो वहाँ अुनके मातापिता मार्गदर्शन जरूर करें, लेकिन अन्तिम निर्णय करनेका अधिकार तो विवाह करनेवाले युवक-युवती पर ही छोड़ा जाना चाहिये । फिर, यह तो भूलना ही नहीं है कि पसन्द करके विवाह करनेके बाद विवाहकी सफलता तो दोनोंकी अेक दूसरेके अनुकूल होकर रहनेकी कुशलता और शक्ति पर निर्भर करती है ।

बापूजीने अपने पत्रमें लिखा है कि अिन पत्रोंको लिखते समय मैंने ब्राह्मण-बनियोंको खयालमें रखकर लिखा है । यह बात बिल्कुल सच है । कारण कि ये पत्र खासकर तुम सब साथमें रहनेवाली कन्याओंको

नजरमें रखकर ही लिखे थे । बापूजी जो कहते हैं कि जिन कौमोंमें तलाक और घरमें बैठनेका रिवाज हो और जिनमें विवाहकी प्रथा व्यवस्थित रूपसे अमलमें न आती हो, वहाँ भी चरित्रकी शुद्धता देखनेमें आती है, यह बात भी बिल्कुल सच है । बात यह है कि शुद्धतामें सबसे बड़ा कारण है दिलकी सफाई और दिलकी शुद्धता । सामाजिक प्रयायें तो जब तक अन्हें पालन करनेमें विवेकसे काम लिया जाय, तभी तक शुद्धि कायम रखनेमें सहायक साधनोंका काम देती हैं ।

मुझे बापूजीकी यह बात भी माननी ही चाहिये कि मेरी कलम डरते डरते चली है । पहली बात तो यह है कि विषय नाजुक है, इसलिये मैंने डरते डरते लिखा है । दूसरे, जैसे विषयोंमें जितनी अधिक चित्तशुद्धि हुओ हो, उतनी ही कलममें ताकत आती है । इसलिये मेरा जितना अधिकार है, उतनी मेरी कलम चली है ।

काकासाहबके दो शब्द

१

यह सुन्दर और हितकर पत्रमाला लिखे नरहरिभाओको बारह बरस हो गये हैं । गुजराती पाठक अभी तक इस पुस्तककी चार आवृत्ति हजम कर चुके हैं । ये जब पहली बार पुस्तक रूपमें छपे, तभी मेरे मनमें आया था कि मैं भी इसमें अपने विचार जोड़ दूँ । उस वक्त मुझे लगा था कि अलग अलग पुस्तकें लिखनेके बजाय एक अच्छी तरह लिखी हुअी और प्रचार पाओी हुअी पुस्तकके साथ ही अपने विचार भी पेश कर दिये जायँ, तो वह अधिक सुविधाजनक है ।

आज इस पुस्तकको फिरसे पढ़ते हुअे लगता है कि अब इसमें अधिक जोड़नेकी गुंजायश नहीं है । यह पुस्तक अतनी लोकप्रिय बनी है, उसमें आश्चर्यकी बात नहीं । जो बातें स्त्री-पुरुषके बारेमें समझानेमें मुश्किल हैं, अुन्हींको वनस्पति, मछलियों, मधुमक्खी, पक्षी और दूसरे सस्तन प्राणियोंके जननव्यापारके जरिये समझाकर बहुत ही आसान कर दिया गया है । मैं नहीं मानता कि ऐसी साधारण पुस्तकमें इस विषयमें कुछ जोड़ा जा सकता है । रजोदर्शनके समय और जननव्यापारके बारेमें स्वच्छता किस तरह रखी जाय और दूसरी कौन कौन सी सावधानी रखी जाय, इस सम्बन्धमें कोओी माता एक अलग स्वतन्त्र पुस्तक लिखकर सूचनायें दे दे, तो अधिक अच्छा हो । सयानी कन्यायें कहेंगी कि 'जीवनकी दृष्टिसे ऐसी सूचनायें हमारे लिअे ज्यादा जरूरी हैं । वे कहीं नहीं मिलतीं, इसलिअे हमें बहुत परेशानी होती है ।'

इस पुस्तकके दूसरे भागमें जिस विषयकी चर्चा की गयी है, मैं समझता हूँ उसमें कुछ और बातें जोड़ी जा सकती हैं । मैं अुन्हींपर कुछ लिखकर सन्तोष मान दूँगा ।

जोखम भरा होते हुए भी जरूरी

एक जगह नरहरिभाभी लिखते हैं कि इस विषयका अज्ञान जैसे नुकसानकारक है, वैसे ही इस विषयकी चर्चामें गर्क रहना भी नुकसानकारक है ।

यह बात बिल्कुल ठीक है । लेकिन तरुण पाठक अितने अिशासे आसानसे नहीं समझ सकते । साधारणतः इस सिद्धान्तको सब मानते हैं कि अज्ञानमें कुशल नहीं है । ज्ञान ही हमें बचा सकता है । इसमें शंका नहीं कि हम अपने शरीर और उसके व्यापारसे अनजान रहकर बड़ी भारी जोखम उठाते हैं ।

लेकिन ज्ञान प्राप्त करते समय अगर अपना मन तटस्थ रह सके, तो ही हम निर्दोष रहकर उसे प्राप्त कर सकते हैं और वह लाभदायक हो सकता है । किसी समय दंगा क्यों हुआ और लोग क्यों मारे गये, अिसे यदि हम एक ऐतिहासिक घटनाके तौरपर पढ़ें तो हम शान्तिसे अिस पर विचार कर सकते हैं । लेकिन हमारे दुश्मनने अिस दंगेसे फायदा उठाकर हमारे बिलकुल नजदीकके प्रियजन या बुजुर्गका किस तरह खून किया, अिसका जब हमें साजा वर्णन सुनना पड़े, तो हमारी बुद्धि ठिकाने नहीं रहती । हम अुत्तेजित हो जाते हैं और परिस्थितिका तटस्थ रहकर विचार नहीं कर सकते ।

कोअी मनुष्य बीमार हो तब हम अिस बातकी सावधानी रखते हैं कि अुसके कान तक अैसे समाचार न जायँ जिनसे अुसका मन अुत्तेजित हो जाय । अिसका कारण यह है कि बीमारके कमजोर मनमें अैसे समाचार तटस्थ रहकर सुननेकी शक्ति नहीं रहती । और हम अैसे कितने ही अुदाहरण जानते हैं, जहाँ अैसी बातें सुनकर बीमारके मनपर बहुत असर हुआ और अुसकी तबीयत ज्यादा बिगड़ गयी ।

खराब समाचार सुनकर या पढ़कर ही मन बिगड़ता है, सो बात नहीं है । नेपोलियन बोनापार्टके मुख्य मंत्रीने एक बार नेपोलियनसे रोजका सब काम पूरा कर लेनेके बाद अुसे यह खबर दी कि एक लड़ाअीमें फरासीसी सेना जीत गयी है । अिसपर नेपोलियनने आश्चर्यसे

पूछा — ‘अितने आनन्द और महत्त्वके समाचार कचहरीमें आते ही आपने क्यों नहीं कहे?’ मूहफ्ट मन्त्रीने जवाब दिया — “मुझे माफ कीजियेगा महाराज! लेकिन होता यह है कि जब आप खुशीके समाचार सुनते हैं, तो आपका सिर ठिकाने नहीं रहता और बहुतसा महत्त्वका काम यों ही रह जाता है। असलिये ऐसा करता हूँ।”

अिस बातमें कोअी मतभेद नहीं हो सकता कि अँधेरे तलघरमें जाते समय मोमबत्ती साथमें रखनेमें ही होशियारी है। लेकिन यदि अुस तलघरमें बारूदके थैले भरे हों, तो वहाँ बगैर अुजेलेके जाना भी मुश्किल है, और जलती मोमबत्ती ले जाना भी खतरनाक है। यदि बारूद चेत जाय, तो भड़केसे सत्यानाश ही हो।

युवावस्थामें युवक-युवतीके मन कामविकारसे अुत्तेजित न हों, यही अिष्ट है। फिरभी यदि वे मनकी वासनायें, अुसमें पैदा होनेवाले विकार, स्त्रीपुरुषका आकर्षण और जननव्यापारका रहस्य वगैरा बातोंके बारेमें नहीं जान लेते, तो वे भारी खतरा अुठाते हैं। क्योंकि स्वाभाविक ही अिन विकारों और भावनाओंका अुदय तो होना ही है। और पशुपक्षियोंके व्यापार देखकर, असभ्य लोगोंकी गालियोंवाली गन्दी भाषा सुनकर और बेजिम्मेदार लोगोंकी अेकान्त बातें सुनकर अुत्सुक मनको कल्पनाके लिये काफ़ी खुराक मिलेगी ही। अिसके बजाय यदि यह जरूरी ज्ञान योग्य व्यक्तिके मुँहसे या कलमसे, खास तौरसे लगाये गये वर्गोंमें या पवित्र खानगी वातावरणमें मिले, तो वह हर तरहसे अिष्ट है। लेकिन साथ ही ये सब बातें सुनकर यदि मन अुत्तेजित हो जाता हो और जहाँ नहीं होना चाहिये वहाँ विकार पैदा होते हों और अेकान्त मिलते ही मनके विकारोंमें रमे रहनेकी आदत पड़ जाय, तो यह डर है कि जो ज्ञान सुरक्षित रहनेके लिये दिया गया है वही विकारोंको भड़कानेका काम करेगा, और जहाँ जत्राबदारीका खयाल पैदा होना चाहिये वहाँ विकारोंकी अन्धता पैदा होगी।

अेक छोटसा किस्ता याद रखने जैसा है। अेक मनुष्य अेक साधुके पास गया और अुससे धन प्राप्त करनेका मंत्र माँगा। साधुने अुसे मन्त्र देकर कहा — ‘अिस मंत्रके चौबीस लाख जप करेगा तो तेरी

अच्छा हो अतना धन तुझे मिलेगा । पर शर्त यह है कि जब जप चल रहा हो, तब बन्दरका विचार नहीं आना चाहिये ।’ आठ दिनके बाद उस धनलोभीने आकर कहा — ‘धनके लिये मेरे मनमें अितनी लगन थी कि यदि आपने बन्दरकी बात न कही होती, तो बारह महीनोंमें एक क्षणके लिये भी मुझे बन्दरका विचार न आता । लेकिन उस दिन आपने बन्दरका खास नाम लेकर मुझे जो चेतावनी दी, उससे जहाँ मैं जपके लिये बैठता हूँ कि मेरे सिरमें बन्दर ही बन्दर कूदने लगता है । आठ दिन हो गये मुँहमें मंत्र और सिरमें वानरलीला — ये मेरे हाल हैं । मैं नहीं मानता कि यह मंत्र अब मुझसे सिद्ध हो सकेगा ।’

हमारा मन भी कभी मर्तवा इसी धनलोभीके मनकी तरह बन जाता है । जिस बातको टालना हो उसकी ओर ध्यान खींचते ही वही बात भूतकी तरह मनमें पैठ जाती है । इसलिये मनको नीरोगी रखना और जरूरी बातें वर्गमें सबके साथ बैठकर स्पष्ट शब्दोंमें और स्वच्छ वातावरणमें सुनना जरूरी होता है । इस अुम्रमें लिंग सम्बन्धी बातें आकर्षक होती ही हैं । इस विषयका जितना अज्ञान रहता है, अतनी ही कल्पना ज्यादा दौड़ती है । सुनी हुयी बातोंको अमलमें लेकर देखनेकी जिज्ञासा या चिकीर्षा भी तीव्र होगी ही । यह चिकीर्षा काबुमें रह सके असा मानसिक और सामाजिक वातावरण पैदा किये बिना यदि अैसी बातें की जायँ, तो वे खतरनाक होती हैं । इसीलिये कहना पड़ता है कि इस विषयका ज्ञान जरूरी होने पर भी यदि वह विकारी वृत्तिसे मनमें घुटता रहे, तो उसका बुरा परिणाम ही होगा ।

युवक हो या युवती असे अितना विश्वास होना चाहिये कि माँबाप, शिक्षक या श्रद्धेयकी ओरसे हमें जितना जरूरी है अतना ही ज्ञान, अतनी ही जानकारी, अतनी ही तफसील दी जाती है । यदि ज्यादा पूछनेकी जरूरत हो तो हमें पूछनेकी स्वतंत्रता है । दूसरे, असे इसका भी खयाल होना चाहिये कि और जगह जानकारी लेने जानेमें गलत जानकारी मिलनेकी सम्भावना है । और अुसमें खतरेमें गिरनेका भी डर रहता है । इस तरह इस दोहरी जानकारीसे जितनी सुरक्षितता आ

सके अतनी ही ठीक है । जैसे तो जीवन चीज ही खतरनाक है । हर खतरेका अिलाज रहता ही है, ऐसा नहीं ।

*

*

*

चरित्रकी बुनियाद

कच्ची उमरके युवक और युवतियोंके कामविकार और स्त्री-पुरुषके सम्बन्धके बारेमें सुरक्षित रखनेका अुपाय उन्हें अज्ञान रखनेमें नहीं, बल्कि उनके चरित्रकी जड़ें मजबूत करनेमें है ।

माँबापों और हितैषियोंको अितना जानना चाहिये कि सिर्फ अुपदेशसे चरित्रबल नहीं बढ़ता । चरित्रमें क्या क्या है और अुसे मजबूत करनेके लिये किन किन बातोंको टालनेकी जरूरत है, यह सब अुपदेश या विवेचनसे सिखाया जा सकता है । लेकिन चरित्रका ज्ञान और चरित्रकी शक्ति ये दोनों अलग अलग बातें हैं । यह तो जानना ही चाहिये कि चरित्रका स्वरूप क्या है, लेकिन अुससे भी बढ़कर महत्त्वकी चीज है चरित्रबल । अिस बलके विकासके लिये मातापिता और बालकोंके बीच आपसमें शुद्धता, विश्वास और प्रेमादरकी गहरी भावना होनी चाहिये । विश्वास, प्रेम और शुद्धता अिन तीनों तत्त्वोंमें ही चरित्रबल बढ़ानेकी योग्यता है ।

ऐसा बल जहाँ विकसित हो चुका हो, वहाँ हर तरहका योग्य रीतिसे दिया हुआ ज्ञान हितकर ही होता है ।

चरित्रबल विकसानेकी यह जिम्मेदारी माँबाप अपनी अिच्छाके अनुसार चाहे जिस मनुष्यपर नहीं डाल सकते । जिन्होंने बालकको जन्म दिया है या तो अुन्हींकी यह जवाबदारी है, या फिर जो अुन बालकोंसे माँ-बाप जैसा ही प्रेम करते हों, अुनकी है ।

*

*

*

२

अपनी मान्यताका विकास

बुद्ध, महावीर, नानक अित्यादि पुराने समयमें जितने भी सुधारक हो गये हैं, अुन सबने जातपौतका अनादर ही किया है । वर्णव्यवस्थाको वे पसन्द करते थे, यह नहीं कहा जा सकता ।

अस जमानेके सुधारक भी वर्णव्यवस्था या जातपाँतको कुछ भी स्थान नहीं देते। वर्णव्यवस्थाका किसीने समर्थन किया है, तो दयानन्द सरस्वतीने। और किसीने उसका बचाव किया है तो स्वामी विवेकानन्दने। सर सर्वपल्ली राधाकृष्णन् तक कितने ही विद्वान वर्णव्यवस्थाके पीछे रहनेवाले समाजशास्त्रको पसन्द करते हैं। जातपाँतको न माननेवाले रवीन्द्रनाथ ठाकुर भी अपनी पुरानी समाजव्यवस्थाकी किसी खास सुन्दरतापर मुग्ध ही थे।

पूज्य बापूजी ही एक ऐसे धर्मसुधारक हैं, जिन्होंने न सिर्फ वर्णव्यवस्थाको ही बल्कि जातपाँतको भी अपनी स्वीकृति सबसे पहले दी थी। अनिकी दलील यह थी कि जातिके बाहर शादी नहीं की जा सकती, अस नियमसे होता यह है कि जातिके बाहरकी लड़कियोंके प्रति अपने आप ही हममें निर्विकारी भाव विकसित होता है, और असलिअे असमें संयमके लिअे अनुकूल वातावरण रहता है। आश्रमके शुरूके दिनोंमें अन्होंने आश्रमवासियोंके लिअे अैसा विचित्र नियम भी बनाया था कि आश्रमवासी जब आश्रमके बाहर जायँ तो अपने हाथसे बनाकर खायँ; जो आश्रममें नहीं रहता उसके हाथका बिलकुल न खायँ। अस नियमका परिणाम यह हुआ था कि चि० प्रभुदास जब राजकोट जाते, तो अपने घरके लोगोंके हाथका खाना नहीं खाते थे, हाथसे बनाते और खाते थे। मामा साहब फड़के जब बड़ोदेके पास सयाजीपुरेमें मुझे मिलनेके लिअे आते, तो पूज्य श्री देशपांडे साहबके यहाँ नहीं खाते; अपने हाथसे बनाते और खाते और लकड़ीका धुआँ सहन न होनेके कारण हैरान होते। आखिर पूज्य बापूजीने फतवा दिया कि मामाजी काकाके घर खायँ तो उसमें कोअी आपत्ति नहीं। मैं उस समय आश्रममें शरीक नहीं हुआ था। फिर भी वूँकि आश्रमके प्रति मेरे मनमें आकर्षण था, असलिअे बापूजीने मुझे आश्रमवासियोंमें ही गिना था। मैं जब आश्रममें रहने गया, तो पहले ही दिन बापूजीसे कह दिया कि मैं कोअी अैसे नियम नहीं पाळूँगा। मुझे जहाँ पसन्द आयेगा, फिर वह किसी भी जाति या धर्मका मनुष्य हो, मैं वहाँ खाऊँगा। हम जहाँ शंकराचार्यकी समाजव्यवस्था मिटानेके लिअे बैठे हैं, वहाँ आप दूसरे शंकराचार्य बनकर उस तरहकी संकुचितता हमपर क्यों लाद रहे हैं!

बाप खुद उस वक्त फलाहारी थे । दूध भी नहीं पीते थे । अिसलिअे अन्हें किसी तरहकी असुविधा नहीं होती थी । बादमें जब अुन्होंने अन्नाहार शुरू किया, तब किसीने अुनसे पूछा कि आप डबल रोटी क्यों खाते हैं, तो अुन्होंने अुसे जवाब दिया था — जैसे अग्नि प्रयोगके कारण चने मुरमुरे शुद्ध माने जाते हैं, वैसे ही डबल रोटीको भी मानना चाहिये ।

ये सब बातें अिसलिअे कही हैं कि आश्रमके शुरू शुरूके वातावरणकी कुछ कल्पना हो ।

हिन्दू धर्म यानी वर्ण और जातपाँतकी व्यवस्था और खानपानकी मर्यादायें, यह सार्वत्रिक मान्यता होनेके कारण दूसरे हिन्दुओंकी तरह मैं भी स्वामी विवेकानन्द और महात्मा गांधी अिन दो सुधारकोंकी ओर आकर्षित हुआ था ।

अुसमें बापूजीने समझाया कि वर्णव्यवस्थाके साथ खानपान या बेटीव्यवहारका भी कोअी प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं है । वर्णव्यवस्था तो आजीविका प्राप्त करनेमें अमर्यादित प्रतिस्पर्धा न हो, अिसलिअे अेक संयमरूप पैदा की गयी है । मनुष्य अपने बापका ही घन्घा करे, दूसरे घन्घेमें प्रतिस्पर्धाके लिअे न जाय और जितनी भी योग्यता प्राप्त करनी हो सब अपने ही घन्घेमें करे । अैसा करनेसे मनुष्यको पगभ्रमसे चली आ रही कार्यकुशलता विगलतके रूपमें मिलती है और प्रतिस्पर्धा मर्यादित होती है । अुन्होंने अिस लाभको मुख्य माना है ।

आगे जाकर अुन्हें कष्टुल करना पड़ा कि अैसी वर्णव्यवस्था आज मौजूद नहीं है । तो क्या यह सम्भव है कि भविष्यमें फिर पैदा हो सकेगी ? और सम्भव हो तो अुसे कौन पैदा कर सकता है ? शंकराचार्य ? सरकार ? या कोअी खास महात्मा लोग ? अिस तरह मैंने अेक बार पूछा था । तब अिन्होंने जवाब दिया था कि यह सवाल कठिन है । अिसका जवाब मेरे पास नहीं है ।

छूतछात भिटानेके बारेमें पहले तो समाजके लोगोंके सामने अुन्होंने अितनी ही बात रखी थी कि सामाजिक व्यवहारमें अितनी शुद्धको छूनेकी स्वतंत्रता है, अुतनी ही हरिजनोंको छूनेकी भी होनी चाहिये । आश्रमवासी तो

ओक तरहसे संन्यास धर्म पालनेवाले ठहरे, उन पर जातपाँतके नियम नहीं लागू होने, अिस तरह हम दलील करते थे । जैस तरह पुराने जमानेमें गुस्के घर पढ़नेवाले विद्यार्थी जातपाँतका भेद नहीं पालते थे, उसी तरह हम भी आश्रममें नहीं पालते, यों कहकर हम लोगोंको सन्तोष देते थे ।

ओक बार मुझे जाहिर करना पड़ा कि 'आश्रम और विद्यापीठमें हम पंक्तिभेदमें विश्वास नहीं करते । हर जाति और धर्मके आदमी ओक साथ बैठकर खाते हैं और खाते रहेंगे । सिर्फ रसोअिया ब्राह्मण ही खाता है ।' अिस पर पूज्य बापूजीने टीका करते हुअे कहा था कि 'काका डरते डरते सुधार करते हैं । रसोअिया हमेशा ब्राह्मण ही मिले, यह नहीं हो सकता । किसी भी जातिका आदमी रसोअी बना सकता है ।'

आश्रमकी हरिजन लड़की लक्ष्मीका जब मारुलैयाके साथ विवाह हुआ, तब जैसे विवाहके सम्बन्धमें बापूजीने मेरी राय ली । मैंने कहा — 'यह तो कुछ भी नहीं है । अिसमें कौनसी बड़ी बात है ! लेकिन जब कोअी ब्राह्मण लड़की किसी हरिजनके साथ विवाह करनेको तैयार हो जाय, तो उस विवाहमें भी पुरोहितका काम करनेके लिये मैं तैयार हूँ ।'

जब देवदास गांधीकी शादी राजगोपालाचार्यजीकी लड़की लक्ष्मीके साथ, हुअी तब अिस प्रतिलोम विवाहको वैदिक विधिसे पूरा करनेके लिये मैं वार्धके तर्कतीर्थ लक्ष्मण शास्त्री जोशीको ले आया था ।

वैदिक विधिसे संस्कार करना हो तो मनुष्यका यज्ञोपवीत यानी जनेअू होना चाहिये । देवदासका जनेअू तो हुआ नहीं था । अिस असुविधाको दूर करनेके लिये मैंने शास्त्रविधिसे प्रायश्चित्त रूपमें ब्राह्मणको कराया था ।

यह ब्राह्मणस्तोम विधि किसी मनुष्यका वर्ण बदलनेके लिये भी की जाती है । अिसलिये मद्रासकी ओरके अितने ही लोग यह कहने लग गये थे कि ब्राह्मणस्तोम करके देवदासको ब्राह्मण बना लिया गया था । तब मुझे यह जाहिर करना पड़ा था कि ब्राह्मणस्तोम सिर्फ द्विजपनके संस्कारके अभावको दूर करनेके लिये ही किया गया था । मैंने यह भी कहा था कि गांधीजी भले ही वैश्य वर्णके हों और राजाजी ब्राह्मण

वर्णके, लेकिन दोनोंके खानदानोंके संस्कार, सामाजिक दरजा, और समाजसेवामें सात्त्विक निष्ठा सभी, यानी रहनसहन, आचारविचारको देखते हुये देवदास और लक्ष्मी दोनों अेक ही वर्णके हैं ।

हमारे शंकरने (सतीशने) जब अेक गुजराती जैन महाजनकी लड़कीसे शादी करना तय किया, तब मेरी बहुत अच्छा थी कि ब्राह्मण-जैन विवाह भी वैदिक विधिसे हो सकता है इस बातका अेक अुदाहरण कायम किया जाय । लेकिन अिन दोनोंने मिम्बिल मेरेज अेक्टके अनुसार अपनी शादी रजिस्टर्ड करवाकर ही सन्तोष माना ।

ये सब विवाह हिन्दू समाजके भीतर ही थे । लेकिन जब पण्डित जवाहरलालजीकी लड़की अिन्दिराका विवाह फिरोज गांधीके साथ हुआ, तब समाजमें खूब चर्चा चर्चा हुआ थी । जवाहरलालजी काश्मीरी मारस्वत ब्राह्मण हैं और फिरोज गांधी पारसी । फिर भी जब दोनोंका वैदिक विधिसे विवाह हुआ, तब बापूजीने लिखा था कि अैसे विवाह होंगे ही । हिन्दू समाज अैसे विवाहोंका स्वागत न करेगा, तो वह मिट जायगा । फिर भी बापूजीका साधारण दृष्टिकोण अैसा था कि वर्ण वर्णके बीच तो विवाह होना ही चाहिये, लेकिन अलग अलग धर्मवालोंके बीच विवाहसम्बन्ध न हो यही अिष्ट है ।

हम लोगोंमें अेक और भिन्न धर्मी विवाह हुआ है । वह है श्री शंकरलाल वैकरके भतीजे प्रबोधका श्री अब्बास साहब तैयबजीकी पौत्री हमीदाके साथ ।

आजकल देशमें अैसे विवाह होने लगे हैं, और समाजको यह अच्छा लगे या न लगे, वह कुछ आपत्ति नहीं अुठता । अैसे विवाह शुरू शुरूमें तो अपवादरूप ही होंगे । लेकिन जहाँ अेक मर्तबा रास्ता खुला कि फिर तो बेशुमार होने लगेंगे । मनुष्य कोअी सुधार करनेके लिये विवाह नहीं करता । लेकिन अलग अलग जाति, वर्ण और धर्मके लोग जैसे जैसे आपसमें हिलमिल कर रहने लगेंगे, वैसे वैसे भिन्नधर्मी विवाहोंका होना किसीको नहीं अखरेगा ।

यह दलील की जाती है कि अिस तरहके विवाहोंसे वर्णभेद और धर्मभेद नष्ट हो जायगा । मैंने हमेशा अिसका जवाब दिया है कि वर्णभेद

और धर्मभेदका नष्ट होना अिष्ट हो या न हो, सिर्फ वर्णान्तर या धर्मान्तर विवाहसे ये भेद मिटनेवाले नहीं हैं; लेकिन अँच्चनीचका भाव मिट जायगा । मनुष्य अपने ही गोत्रमें विवाह न करे, अिस कड़े नियमके आजतक चले आनेकी वजहसे मनुष्य अपने गोत्रके बाहरकी ही लड़की ढूँढ़ता है और फिर भी गोत्रका नाश नहीं होता । आमतौरसे जो पतिका गोत्र, जाति, वर्ण और धर्म हो, वही पत्नीका भी कहा जा सकता है । या फिर पतिपत्नी अपने अपने धर्मपर कायम रहें और अुनके बच्चे बड़े होनेपर यह सब तय करें कि अुन्हें पिताके धर्मपर चलना है, या माताके धर्म चलना है, या फिर दोनोंमेंसे किसीके धर्मपर नहीं चलना है । सब धर्म सच्चे हैं, सब धर्म अच्छे हैं, अितना मान लेनेके बाद यह तो मनमें अपने आप ही पैदा हो जायगा कि सब धर्म मेरे हैं ।

धर्म यानी खास खास मान्यतायें, अुनके साथ विकसित होनेवाली जीवनदृष्टि और अुमी जीवनदृष्टिके आधारपर समाजके बनाये हुअे रहन-सहनके नियम, शिष्टाचार वगैरा । हरअेक कुटुम्बके कुलाचार भी धीमे धीमे धर्ममें ही मिल जाते हैं ।

मनुष्य आज तक थोड़ी बहुत मात्रामें आग्रहपूर्वक यह सावधानी रखता आया है कि अपने अपने धर्मके नियमोंका पालन हो । अुमने अपने धर्म, अपने समाज, और अपने कुलाचार अिन्हींको महत्त्व दिया है । राम और कृष्णको अेक माननेवाले और प्रचार करनेवाले सन्त भी जब द्वारका जाते थे, तो कृष्णके आगे यह जिद्द करनेमें विश्वास करते थे कि जब धनुषबाण हाथमें लिये हुअे तुम्हारे रूपका दर्शन करूँगा, तभी मेरा सिर तुम्हारे चरणोंमें झुकेगा । स्वधर्मपालन, अपने अिष्ट देवकी ही पूजा, यह सब पातिव्रत-जैसी ही अिष्ट वृत्ति समझी जाती थी ।

अब यह सब बदल जाना चाहिये और भक्तको कहना चाहिये कि “ भगवान, तुम चाहे जो रूप धारण करो, मैं अुसे मंजूर करूँगा । मैं तुम्हें सब रूपोंमें मानूँगा । भगवान, तुमने ही कहा है — ‘ये यथा मां प्रपद्यन्ते . . .’।” तब हम भी यही वृत्ति धारण करेंगे । भगवान और अुसके आदेश चाहैं जिस धर्मके मारफत मिलें, हमारे लिये अेक-से ग्राह्य हैं । स्वधर्मके सिद्धान्तके साथ ही साथ सर्व धर्मका सिद्धान्त हम नहीं मानेंगे,

तो हमारे जीवनमें अेकागिता और संकुचितता आ जायगी । आज तक अिस तरहकी बहुतसी संकुचितता आ गयी है । अिस संकुचितताको कम करनेके लिये हिन्दू धर्ममें पंचायतनकी पूजाका रिवाज दाखिल किया गया था । अिसी रिवाजको व्यापक बनाकर — ‘सभी धर्म सच्चे हैं, अच्छे हैं और मेरे हैं’ अिस वृत्तिका विकास करके अपनी अुपासनामें हमें सब धर्मोंको मानना चाहिये ।

‘सब धर्म मेरे हैं । सभी धर्मोंकी अुपासनामेंसे सारभूत तत्त्व में ग्रहण करता हूँ । सभी धर्मोंकी जीवनदृष्टिकी खूबियोंको मैं समझता हूँ । तर्ककी दृष्टिसे चाहे अिनमें विरोध दिखायी दे, तो भी समन्वयकी दृष्टिसे मैं अिनमें सामंजस्य और अेकता कायम कर सकता हूँ ।’ मनुष्य जब अिस तरह समझने लगेगा, तब वह सभी धर्मोंके समाजोंमें हिलमिलकर आत्मीयताका भाव साध सकेगा । प्रेम, धीरज और सहिष्णुता अुसे अिस काममें खूब मदद करेंगे । कारण कि प्रेमकी अेकतासे, आस्तिकताकी धीरजसे और सबका आत्मा अेक है अिस भावसे मीठी बनी हुआ सहिष्णुता ही धर्मसर्वस्व है ।

अिस तरहकी वृत्तिका विकास हो जानेके बाद भिन्न वर्णी और भिन्न धर्मी विवाह हमें नहीं अखरेंगे । अितना ही नहीं, हमें नये नये सामाजिक प्रयोग करनेसे वह आनन्द मिलेगा, जो अेक प्रयोगवीरको अपने प्रयोगोंमें मिलता है । और हमारा धर्मशास्त्र यानी हमारा आध्यात्मिक समाजशास्त्र अधिक गहरा, अधिक विस्तृत और अधिक समृद्ध बनेगा ।

युगधर्म पुकार पुकार कर कहता है (अुसकी पुकार वाणीके जरिये जाहिर नहीं होती, बल्कि अद्भुत, भीषण घटनाके जरिये जाहिर होती है) कि “अब सबका समन्वय करो, सबको अेक प्राण, अेक जीव, अेक हृदय, अेक शरीर कर दो । यह युग महत् समन्वयका है ।”

सामाजिक समन्वयके लिये विवाहसम्बन्ध महत्त्वका कदम है । अिसलिये अब हमारा काम है कि अिसके लिये तेजीसे समाजको तैयार करें ।

